राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ४३वां दिवस [संख्या २६

शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११. १० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

चम्बल नदी पर कॉफर डैम का निर्माण

१०३२. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Minister-in-charge of Irrigation be pleased to state:-

(1) Is it correct that the Coffer dam built across the Cnambal river at the site of the Kota Barrage near the fort at Kota has been breached and washed away on Friday the 7th November, 1958? If so, what is the amount of loss the Government has suffered on account of the breach and what will be the estimated cost of rebuilding the Coffer dam?

(2) What type of drilling and grouting method was used at the dam site for preparing the cut off for the key wall across the river?

(3) Is it correct that only one row of holes were drilled and grouting done along one side of the sheet pile curtain?

(4) Is it correct that the French Engineer advised the Government for grouting two rows of holes one on each side of the sheet pile curtain for a satisfactory cut off?

(5) Is it correct that during the grouting operations a large number of holes stopped on boulders and not on the sound rock?

(6) Is it correct that the grouting operations were not done departmentlly on account of lack of trained personnel but was executed by a private party? If so, what is the name of the party and the fees it charged for the work?

सिचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (1) The earthen Coffer dam was damaged and the extent of damage is estimated to be Rs. 7,5000/-

(2) No drilling or grouting has been done.

(श्री रामकिशोर व्यास)

(3) The question does not arise.

(4) Yes.

(5) The question does not arise.

(6) The work is of a special type requiring trained personnel and special equipment and M/S Cimentation Company were asked to make an experiment area to test the affectiveness of the methcd. No fee has yet been paid.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister has just said that no grouting has been done. I have myself seen that grouting was done there.

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने लास्ट पार्ट में कहा है कि एक्सपेरीमेंट किया था कुछ एरिया में, रेग्युलर ग्राउन्टिंग नहीं किया है।

श्री पी० के० चौधरी : How long this experiment will continue? For what period ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह देखने के लिए कि ग्राउन्टिंग अफेक्टिव हो सकते हैं या नहीं। मेसर्स कमेन्टेशन कम्पनी ने टैस्ट किया है।

श्री पी० के० चौधरी : What is the cause of this breach ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिस्चार्ज ऑफ वाटर ज्यादा है।

श्री पी० के० चौधरी : But what is the cause ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसे हम तरजीह देते हैं, डिस्चार्ज ऑफ वाटर ज्यादा था।

श्री पी० के० चौधरी : How long will you take to reconstruct it ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह हो गया है, उसी वक्त।

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

महाराजा धौलपुर की ओर बकाया रकम

१०३३. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या मुख्य मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तारांकित प्रश्न ७५१ दिनांक १८ मई, सन् ५४ के बारे में अब तक राजस्थान सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(२) उक्त प्रश्न के उत्तर में ६० लाख रुपया बकाया होना स्वीकृत किया है उसमें से अब तक कितना वसूल हो चुका और कितना बाकी है या सरकार ने माफ कर दिया ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) हिज़ हाइनेस धौलपुर से वसूली के बारे में भारत सरकार को लिखा गया था।

(२) भारत सरकार ने इस रकम की वसूली माफ कर दी, सब दृष्टि से।

श्री श्रीभानसिंह : भारत सरकार ने माफ करने की सलाह दी, राजस्थान सरकार ने माफ कर दिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

प्रश्न संख्या १०३४

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मीचन्द

(अनुपस्थित)

Page No.3

प्रश्न संख्या १०३५

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०३६

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०३७

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०३८

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०३९

श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०४०

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री सज्जनसिंह ।

राजस्थान में लघु सिंचाई योजना का लक्ष्य

१०४१. **श्री सज्जनसिंह** (बूंदी) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) खाद्य उत्पादन को अधिक व शीघ्र सफल बनाने के उद्देश्य से लघु सिंचाई योजना को प्राथमिकता दिये जाने के केन्द्रीय सरकार के आदेश के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

(२) क्या सरकार ने यह सर्वेक्षण करवा लिया है कि लघु सिंचाई योजनाओं के लिये किन किन जिलों में साधन उपलब्ध हो सकते हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या ऐसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

(४) लघु सिंचाई योजना में सरकार ने इस वर्ष कितनी और कहां कहां की योजनाओं को लेना निश्चय किया है ? उनकी जिलेवार सूची देने की कृपा करेंगे ?

(५) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लघु सिंचाई योजना पर अनुमानित कितनी धनराशि सरकार ने लगाने का निश्चय किया है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) लघु सिंचाई योजनाओं के अनुसंधानार्थ व कार्यान्वित करने हेतु अनुक्रम में एक सर्वे सर्किल तथा छः उप खंड कार्य कर रहे हैं इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्यक्रम परिशिष्ट (क) में है, जो सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(२) कुछ जिलों में सर्वेक्षण किया जा चुका है और दूसरी जगहों का प्रगति पर है ।

(३) उपलब्ध सूची परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है । सब जिलों में अभी यह कार्य पूरा नहीं हो सका है । अभी अन्वेषण और सर्वेक्षण-कार्य जारी है ।

(४) सूची (परिशिष्ट ग) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(५) द्वितीयपंच वर्षीय योजना में सिंचाई विभाग के अधिनस्थ लघु सिंचाई योजनाओं के लिए २७६.३ लाख रु० की धनराशि निर्धारित है।

(उपरोक्त सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में प्रेषित की गई)

श्री पी० के० चौधरी : कौन कौन से जिले में सर्वे किया जा चुका है और कौन कौन से बाकी रह गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : सिवाय तीन चार जिलों को छोड़ कर हर जिले में हो रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : किस को छोड़ दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : जैसे बीकानेर है।

श्री सज्जनसिंह : किन २ जिलों में सर्वे हो चुका और किन में प्रारम्भ किया है।

श्री रामकिशोर व्यास : सब जगह चल रहा है, कम्प्लीट नहीं हुआ है।

प्रश्न संख्या १०४२

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

लालसोट में चरागाह का अभाव

१०४३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि लालसोट में ४००० मवेशी होते हुए एक भी बीघा चरागाह नहीं है ?

(२) क्या सरकार ने पहाड़ चराई के लिए बन्द कर रखा है और फिजूल जमीन का जहां चारा नहीं है, टैक्स वसूल करती है ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

एक माननीय सदस्य: वहां चरागाह बिल्कुल नहीं है तो सरकार क्या सोच रही है वहां की मवेशियों के लिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चरागाह जहां जमीन पड़त नहीं है वहां नहीं हैं, क्या करें।

प्रश्न संख्या १०४४

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह कछवाह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०४५

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०४६

श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या १०४७

श्री लक्ष्मीचन्द

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०४८

श्री अर्जुनदास

(अनुपस्थित)

श्री सोहनलाल भटनागर।

राजस्थान के पशु चिकित्सालय व उनके डॉक्टरों की संख्या

१०४६ **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

राजस्थान में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं तथा कितनों के लिये ट्रेन्ड डॉक्टर नियुक्त हैं ?

उपमन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : राजस्थान में कुल २२५ पशु चिकित्सालय हैं, इनमें से १५१ डिस्पेन्सरी हैं जिनमें डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं होती है केवल ट्रेन्ड कम्पाँउन्डर ही काम को संभालते हैं । ७४ हॉस्पिटल्स हैं जिनमें से ५४ में ट्रेन्ड डॉक्टर काम कर रहे हैं ।

श्री सोहनलाल भटनागर : डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दौलतराम सारण: बीकानेर वेटनरी कॉलेज़ में डॉक्टर्स तैयार किये जा रहे हैं और बाहर से मिलें तो उनके लिये भी प्रयत्न किया जा रहा है ।

प्रश्न संख्या १०५०

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह

(अनुपस्थित

श्री प्रभुलाल पुरोहित

अध्यापकों की सनियोरिटी लिस्ट

१०५१. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या निरीक्षक, जयपुर पूर्व ने अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित कर दी है ?

(२) यदि नहीं तो क्यों तथा यह लिस्ट कब तक प्रकाशित कर दी जायगी ?

(३) क्या लिस्ट के अभाव में जूनियर अध्यापकों को सीनियर अध्यापक के मुकाबले में ऊंचा पद व ऊंची ग्रेड दे दी जाती है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल ।

राजस्थान में रूटों का राष्ट्रीयकरण

१०५२. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कितनी रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है ?

(ख) क्या जिन रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया जाना सोचा जा रहा है उनके लिए टेम्प्रेरी अथवा पर्मानेन्ट पर्मिट्स दिये गये हैं और दिये जा रहे हैं ?

यातायात मन्त्री : (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) हां । जब तक राष्ट्रीयकरण की योजना को कार्यरूप में परिणित नहीं किया जाता, तब तक जनता (यात्रियों) के हित में स्थायी अथवा अस्थायी पर्मिट्स का दिया जाना जारी रहेगा ।

श्री सोहनलाल : कब से विचाराधीन है?

श्री नाथूराम मिर्धा : करीब चार महीने हुए हैं।

प्रश्न संख्या १०५३

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

दौसा उपजिला में हाई स्कूल्स एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल्स की संख्या

१०५४. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) उपजिला दौसा में कितने हाई स्कूल्स एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं तथा उनमें मय इन्टर कॉलेज, दौसा की छात्रसंख्या कितनी है ?

(२) दौसा इन्टर कॉलेज को डिग्री कॉलेज में परिणित कब किया जायेगा ?

(३) भांडारेज ग्राम में जब भवन तैयार है और छात्र संख्या भी पूर्ण है तो वहां हायर सेकेन्डरी अथवा हाई स्कूल क्यों नहीं खोला जाता ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) निम्नलिखित ४ हाई स्कूल, २ हायर सेकेन्डरी स्कूल एवं १ इन्टर कॉलेज है। छात्रसंख्या इस प्रकार है :

(१) हाई स्कूल ४	छात्रसंख्या
(अ) राजकीय हाई स्कूल, बसवा	४०१
(ब) राजकीय हाई स्कूल, बांदीकुई	७०६
(स) राजकीय हाई स्कूल, गीजगढ़	१६२
(द) राजकीय हाई स्कूल, लालसोट	२७३

(२) हायर सेकेन्डरी स्कूल्स २

(अ) राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, सिकराय	१४६
(ब) रेल्वे मल्टीपर्पज हायर सेकेन्डरी स्कूल, बांदीकुई	३२८

(३) कॉलेज १

(अ) इन्टर कॉलेज दौसा :

हाई स्कूल सेक्शन	७६५	८६०
इन्टर कॉलेज सेक्शन	९५	

(२) यह प्रश्न विचाराधीन है।

(३) भांडारेज से ६ माइल की दूरी पर इन्टर कॉलेज दौसा है।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

सीकरी अस्पताल का भवन

१०५५. श्री नत्थीसिंह (कामां) : Will the Minister for Public works be pleased to state:

(1) Is it a fact that there is no Government building for dispensary at Sikri, district Bharatpur for the last 25 years or so and the dispensary works in a hired House which is quite unsuitable ?

(2) Is the Government aware that the building constructed for dispensary is in the occupation of the Police Station from the time of the former Bharatpur State ?

(3) Will the Government provide for the construction of a new building

Page No.7

(श्री नत्थीसिंह)

either for dispensary or for the police Station ?

(4) If so, how long will it take to construct the building ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट वीक ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

उद्योगपति के विरुद्ध बलात्कार का केस

१०५६. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लाल सोट) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् ५३-५४ या ५४-५५ में भीलवाड़ा के किसी व्यवसायी या उद्योगपति के विरुद्ध पुलिस में बलात्कार का केस रजिस्टर हुआ था ।

(२) यदि हाँ, तो उक्त केस के रजिस्टर होने के बाद आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) भीलवाड़ा के किसी व्यापार के विरुद्ध कोई बलात्कार का प्रकरण अंकित नहीं हुआ । किन्तु भारतीय दण्ड विधान संग्रह की धारा ४५१, ३५२, ३६७ के अन्तर्गत अंकित एक प्रकरण के अनुसंधान में कुछ साक्षियों के बयान से प्रकट हुआ कि एक उद्योगपति ने एक लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया ।

(२) प्रकरण को साक्षी के अभाव में खत्म कर दिया गया ।

श्री श्रीभानसिंह : नाम क्या है उद्योग पति का ?

श्री रामकिशोर व्यास : सौभागमल लोढ़ा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार ने उस उद्योगपति के खिलाफ ३२ केसेज वापिस लिये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे पता नहीं ५३-५४ के वाके की बात बताई है ।

श्री भैरोंसिंह : यह केस रजिस्टर हुआ कि नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : शिकायत की ही नहीं गई और केस में विटनेस ने कहा । तो इन्क्वायरी की गई पर और एविडेन्स नहीं मिली ।

श्री भैरोंसिंह : जिस आधार पर इन्क्वायरी की, उसी आधार पर केस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : केस तो रजिस्टर किया था पर एविडेन्स नहीं मिली इस लिये सबूत के अभाव में खत्म कर दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह है कि पुलिस में केस रजिस्टर हुआ कि नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अर्ज किया है या नहीं किया ?

श्री श्रीभानसिंह : कौन सी सेक्शन में ?

श्री रामकिशोर व्यास : बलात्कार में किया ।

श्री भैरोंसिंह : कौन सी सेक्शन ।

Page No.8

श्री रामकिशोर व्यास : ३७६ है।

श्री श्रीभानसिंह : The House is at a loss to understand whether this case was reported ?

श्री रामकिशोर व्यास : As there was no evidence in the case, final report was made?

श्री पी० के० चौधरी : Statement of the girl or the lady concerned was taken or not ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिटेल्स में किस किस की एविडेन्स हुई यह तो अलग से पूछें तो बता सकता हूं। और एविडेन्स नहीं आने से केस को सबूत के अभाव में खत्म किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : बलात्कार जिसके साथ हुआ, उसके स्टेटमेंट हुए कि नही।

प्रश्न संख्या १०५७

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

डॉ० बहादुरसिंह।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, एक उद्योगपति के द्वारा बलात्कार हुआ है, गरीबों को इस प्रकार के अत्याचार से बचाने के लिये, हाउस के सिवाय और जगह नहीं है। सरकार ने जो इस सम्बन्ध में सूचना दी है वह काफी नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ सप्लीमेंट्रीज और पूछने की आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष : आपके पास विशेष जानकारी हो तो वह मंत्रीजी को दे दें, वे उसकी जांच कर लेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह।

सत्र न्यायालयों, मुन्सिफ एवं मजिस्ट्रेटों के यहां विचाराधीन मुकदमे

१०५८. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या विधि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के सत्र, न्यायालय मुन्सिफ एवं मजिस्ट्रेटों के यहां कितने मुकदमें ३ साल तथा इससे भी अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

(२) उक्त मुकदमे किस जिले में सबसे अधिक हैं ?

(३) क्या सरकार इन विचाराधीन मामलों के निपटाने हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विधि मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) राजस्थान में सेशन्स मुकदमे ३ साल या उससे अधिक समय पुराने किसी सत्र-न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं, अलबत्ता ३ फौजदारी मुकदमे जो ३ साल के पुराने हैं दो मुन्सिफ एवं मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में विचाराधीन हैं। इन मुकदमों में से एक मुकदमा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नसीराबाद के न्यायालय में तथा दो बसवाडा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हैं।

(२) इसका उत्तर प्रश्न के भाग १ से विदित होगा।

(३) सिर्फ ३ फौजदारी मुकदमे ही पुराने हैं और उनको शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिये

Page No.9

(श्री रामकिशोर व्यास)

हाई कोर्ट द्वारा संबन्धित न्यायालयों को हिदायत दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति करने का कोई कारण नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

अफसरों के तबादले

१०५६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मन्त्रीजी, नियुक्ति विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) श्री बी. आर. बिश्नोई आई. पी. एस. की १९५४ में व श्री हिम्मतसिंह सरूपरिया आर. ए. एस. के १९५१ और १९५२ में कितने तबादले और कहां कहां किस कारण हुए ?

(२) इनके कितने ट्रान्सफर इन्हीं सालों में कैन्सिल किये गये और क्यों ?

(३) इस पर सरकार को कुल कितना टी. ए., डी. ए. प्रति व्यक्ति देना पड़ा ?

(४) उपरोक्त अधिकारी अब कहां पर हैं और वहां कितने अर्से से हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) श्री बी. आर. बिश्नोई, आई. पी. एस. के १९५४ में दो बार तथा हिम्मतसिंह सरूपरिया, आर. ए. एस. के १९५१ और १९५२ में पांच बार तबादले निम्न स्थानों पर प्रशासनिक कारणों से हुए :

श्री बिश्नोई : (१) बारां व (२) बीकानेर।

श्री सरूपरिया : (१) कपासिन (२) उदयपुर दो बार (३) फलासिया व (४) बाली।

(२) कोई नहीं।

(३) इस सम्बन्ध में सूचना महकमा हिसाब से मालूम की जा रही है।

(४) इस समय श्री बिश्नोई बाड़मेर दिनांक ३-९-५६ से तथा श्री सरूपरिया बीकानेर दिनांक १७-१०-५७ से हैं।

श्री तनसिंह : यह जो अभी बतलाया है कि दो बार श्री बिश्नोई का ट्रान्सफर व श्री सरूपरिया का ५ बार, वहां पहले इसी प्रश्न के उत्तर में माननीय गृह मंत्री ने, नहीं आप ही मन्त्री ने बताया था कि श्री बिश्नोई की तीन व श्री सरूपरिया की १३ ट्रान्सफर हुई थीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कुछ भ्रम हो सकता है जो बी.आर. बिश्नोई हैं उनका पहला तबादला २२-३-५४ को चूरू से बारां हुआ था, इसके बाद ५५ रोज की छुट्टी पर चले गये इससे अन्दाज हो गया होगा, दूसरी बार जब उन्होंने ड्यूटी रिज्यूम की तो चूरू से १७-७-५४ को गंगा नगर भेजा गया। २५-८-५४ को बीकानेर और बाड़मेर ५६ में भेजा गया।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

कामां-पहाड़ी सड़क पर पुल की आवश्यकता

१०६०. **श्री नत्थीसिंह** (कामां) : Will the Minister for Public Works be pleased to state:—

(1) Is the Government aware that there is a Nala crossing the Kaman-

Page No.10

(श्री नत्थीसिंह)

Pahari (District Bharatpur) road at mile to 10 near village Satwari which cannot be crossed during heavy rains and thereby the traffic is held up ?

(2) Will the Government take early action for the construction of this bridge ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (1) Yes.

(2) No.

(3) Not possible due to paucity of funds.

तहसील पदमपुर के मुकदमात

१०६१ : श्रीमती सतवन्तकौर : (करनपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि सब-डिविजन, करनपुर में काम का बंटवारा किए जाने के कारण तहसील पदमपुर के मुकदमात ऐक्स्ट्रा मेजिस्ट्रेट (Extra Magistrate) करनपुर सुना करते हैं ?

(२) क्या यह सच है कि मिसल नम्बर ३४ तारीख २७-७-५८ स्टेट वर्सेज चोखाराम ३७६ आई० पी० सी० थाना पदमपुर में एस० डी० एम०, करनपुर ने नाजायज मदाखलत करके उस मिसल को खराब किया ?

(३) क्या यह सच है कि पुलिस की फाइल में सर्किल इन्सपेक्टर करनपुर द्वारा ऐसा नोट भी दिया गया है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) हां । सिवाय मुकदमात जेर दफा १०७, १०६, ११० व १४५ जाब्ता फौजदारी के एस० डी० एम० सुना करते थे ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं ।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सही है कि एस० डी० एम० द्वारा मदाखलत की गई ......

श्री रामकिशोर व्यास : आप जरा फिर से कहें मैं समझा नहीं ।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या ताराचन्द एस० डी० ओ० द्वारा इसमें मदाखलत की गई । कौन से कोर्ट में ट्रान्सफर करना....

श्री रामकिशोर व्यास : वे तो जो मुकदमे पेश होते हैं एस० डी० ओ० उनको भेजता है । वह जिसको चाहे ऐक्स्ट्रा मेजिस्ट्रेट को भेज सकता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुक्तिलाल मोदी ।

खनिज विभाग की ओर से सर्वे ।

१०६२ : श्री मुक्तिलाल मोदी : (बैराठ) क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या समूचे राजस्थान का खनिज विभाग की ओर से पूर्ण सर्वे हो चुका है ? यदि नहीं, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या योजना है ?

उप खनिज मंत्री (श्री खिवचन्द धारीवाल): जी नहीं, खनिज सर्वेक्षण का कार्य जारी है ।

Page No.11

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह कब तक जारी रहेगा और कितने दिनों में इसकी रिपोर्ट दी जावेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि अलग अलग स्थानों पर सर्वेक्षण का कार्य जारी है। कुछ सर्वेक्षण कम्पलीट हो गया है और कुछ का जारी है। इसमें कितना समय लगेगा यह कहना मुश्किल है। जब तक पूरी रिपोर्ट न आ जावे, यह नहीं कहा जा सकता कि कितने दिनों में सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इन्ट्रीम रिपोर्ट आपके पास आ गई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाव : जी हां, बहुत सों की आ गई है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने कुछ खनिज का काम किया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सरकार के खनिज के काम का जहां तक सर्वे का सवाल है, सर्वे कर लिया गया है। नीम के थाने के लाइम स्टोन की रिपोर्ट तैयार हो गई है। दूसर स्थानों पर भी काम चल रहा है, उसकी भी रिपोर्ट आवेगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : क्या सरकार १॥ साल में सारे राजस्थान का सर्वे करके........

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

ओबरा (गोगुन्दा) मर्डर केस को पुलिस बरामद करने में असमर्थ

१०६३. **श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा)** क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(१) डिप्टी पुलिस अधिकारी, कोटड़ा, जिला उदयपुर ने सन् ५५ व ५८ तक कितने केस कत्ल के बरामद किये ?

(२) क्या यह सत्य है कि ओबरा (गोगुन्दा) मर्डर के केस को पुलिस बरामद करने में असमर्थ रही है और सब-इन्सपेक्टर ने रिश्वत लेकर उस केस को कामयाब नहीं बनाया ?

(३) मौके पर कौन कौन अधिकारी गये और उन्होंने क्या क्या कार्यवाहियां की ?

(४) जो अधिकारी गये उनके टी० ए०, डी० ए० पर कितना खर्चा हुआ ?

(५) सन् ५५ से ५८ तक रिश्वत के केस में कितने पुलिस अधिकारी पकड़े गये ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कोटड़ा सब-डिविजन में सन् १९५५ से १९५८ तक १६ मुकदमें में से १५ मुकदमे डिप्टी-सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस कोटड़ा द्वारा या उसके संरक्षण में पकड़े गये ?

(२) जी नहीं, गोगुन्दा कत्ल के मुकदमे की इख्तेतामी अदम बकुआ में दी गई और सब के खिलाफ रिश्वत की शिकायत किसी ने नहीं की।

(३) सिर्फ एस० एच० ओ० गोगुन्दा ही मौके पर गया और उसने पूर्ण रूप से जांच की।

(४) एस० एच० ओ० के अतिरिक्त मौके पर कोई नहीं गया और इसलिये टी० ए०, डी० ए० का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(५) कोटड़ा सर्किल में सन् ५५ से ५८ तक सिर्फ एक सिपाही रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इक्तामी देने के लिए इस प्रकार के मर्डर और संगीन केसेज़ में पुलिस विभाग में यह नियम है कि फाइनल डिप्टी-सुप्रिन्टेन्डेन्ट के नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता।

श्री रामकिशोर व्यास : उनका सुपर्विजन रहता है। एक्चुअली तो काम इन्स्पेक्टर और सब-इन्सपेक्टर ही करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावे कि यह एक प्रकार स्पेशल केस है और उसको सब-इन्सपेक्टर नहीं कर सकता।

श्री रामकिशोर व्यास : सब-इन्सपेक्टर कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह : आपके यहां पुलिस में रूल्स हैं, नहीं कर सकता। आपके यहां है सर्क्युलर स्पेशल केसेज़ के लिये।

श्री रामकिशोर व्यास : स्पेशल केसेज़ के लिये।

श्री भैरोंसिंह : स्पेशल केसेज या ऐसे केसेज़ जिनमें ऑब्जेक्शन हो……।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें भी।

एक माननीय सदस्य : मर्डर केस के मौके पर कोई पुलिस का अधिकारी जल्दी नहीं पहुँचा, इसलिये वह केस साबित नहीं हो सका।

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग केस है। इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या १०६४

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती गंगादेवी डाटा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

चौमू से सामोद वाली सड़क का ठेका

१०६५. **श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री** (आमेर स) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

चौमू से सामोद जाने वाली सड़क का ठेका कब दिया गया और यह सड़क कब तक ठीक हो जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : गिट्टी कुटाई का १४-२-५८ को ठेका दिया गया। डामर का १७-१०-५८ को दिया गया। आशा है यह काम ६ महीनों में समाप्त हो जावेगा।

प्रश्न संख्या १०६६

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्रीमती गंगादेवी डाटा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट।

१०३६. **श्री मोडूलाल** (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) बूंदी से नेनवा जाने वाली सड़क पर पुलेता नदी के पुल का काम कब से हो रहा है ?

(श्री मोडूलाल)

(२) पुल बनाने का ठेका कब, कितने रुपये में तथा कितने समय में काम पूरा करने के लिये दिया गया था ?

(३) पुल का कार्य पूर्ण हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) दिनांक २३-४-५७ से।

(२) दिनांक १७-४-५७ को ६७१८८ रु. में पूरा काम एक वर्ष में, पुल का काम ३ मास में।

(३) जी नहीं। वर्षा, नदी व तालाब में पानी के कारण।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट,

रावराजा श्री सरदारसिंह।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, इसका उत्तर दे दिया जावे।

गर्ल्स स्कूल, टौंक की छात्राओं का घायल हो जाना

१०३७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि माह जुलाई, १९५८ हाल में गर्ल्स स्कूल, टौंक में छात्राएँ घायल हो गई थीं ? अगर हां तो किन कारणों से और कितनी छात्राओं को किस तरह की चोटें आई ?

(२) क्या यह सही है कि शिक्षा अधिकारी, टौंक ने संबंधित ऑफिसरों को यह सूचना दे दी थी कि गर्ल्स स्कूल की इमारत की हालत खतरनाक है ? अगर हां, तो सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई): (१) जी हां। १ जुलाई ५८ को न्यू गर्ल्स प्राइमरी स्कूल टौंक की इमारत का बाहरी भाग गिर गया था, जिस कारण ६ छात्राओं के चोटें आई थी। जिनमें से ४ अस्पताल में भर्ती करवा दी गई थीं।

(२) जिस समय इमारत किराये पर ली गई थी, अच्छी दशा में थी। उच्च अधिकारियों को सूचित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। छुट्टियों में वर्षा के कारण बाहरी भाग में दरार पड़ गई थी जो कि बाद में १ जुलाई सन् १९५८ को गिर गई।

डॉ० चन्द्रकला : जब पहले से दरार पड़ी थी और उसके गिर जाने का अन्देशा था तो उसको ठीक क्यों नहीं कराया गया ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : आपने मेरा उत्तर जो मैंने दिया है उसे सुना नहीं। मैंने कहा है कि पहले ठीक थी। छुट्टियों में वर्षा के कारण बाहरी भाग मे दरार पड़ गई और वह एक जुलाई को गिर पड़ी।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस समय छुट्टियां नहीं थीं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई उसी दिन खुला था।

डॉ० चन्द्रकला : उन लड़कियों का

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : क्या उसी दिन वर्षा हुई, उसी दिन दरार पड़ी और उसी दिन अकस्मात् दीवार गिर पड़ी ?

श्री भैरोंसिंह : जब १-७-५८ को आपके

Page No.14

(श्री भैरोंसिंह)

ध्यान में था कि दरार पड़ गई है तो आपने उसके लिये प्रिकोशन्स क्यों नहीं लिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ध्यान में नहीं था। ऊपर का दरवाजा कहीं से फट गया था।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या यह सही है कि उसी दिन दरार पड़ी और दीवार गिर पड़ी।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दरार पड़ने की जानकारी हमें पहले नहीं थी। उस दिन वर्षा हुई और वह गिर पड़ी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दयाकृष्ण विजय।

एस पी. श्री गुमानसिंह का बम्बई के फ्री प्रेस जनरल पत्र में वक्तव्य.

१०३८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री दयाकृष्ण विजय की अनुपस्थिति में) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को यह विदित है कि मेजर फतेहसिंह, एम. एल. ए. की गिरफ्तारी सम्बन्धी एस. पी. (अब ए. आई. जी.) श्री गुमानसिंह का वक्तव्य बम्बई के फ्री प्रेस जनरल नामक समाचार पत्र के पृष्ठ संख्या ५ दिनांक १५ अप्रेल, सन् १९५७ ई० में प्रकाशित हुआ था ?

(२) क्या श्री गुमानसिंह को ऐसा वक्तव्य देने का अधिकार था ? यदि हां, तो किस कानून अथवा नियम के अन्तर्गत ?

(३) इस वक्तव्य की जानकारी सरकार को कब मिली ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास)।

(१) जी हां।

(२) एस. पी. ने ऐसा वक्तव्य प्रेस को देने से इन्कार किया है। किसी भी राज्य कर्मचारी को सरकार की साधारण या विशेष अनुमति के बिना ऐसी सूचना जो उसके राजकीय कर्तव्य-पालन के अवसर पर ज्ञात हुई है प्रेस को देने का अधिकार नहीं है।

(३) श्री फतेहसिंह एम. एल. ए. द्वारा चलाये हुए दफा ५०० ता० हि० के मुकद्दमों में १९५६ के प्रारम्भ में जब श्री गुमानसिंह पर एस. डी. एम. ब्यावर द्वारा भेजे गये प्रोसेस की सर्विस हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस बात की सरकार ने जानकारी की है कि फ्री प्रेस जनरल को जो वक्तव्य दिया था, वह श्री गुमानसिंह का वक्तव्य था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने इन्कार किया है। कोर्ट में केस चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि वे कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते तो फिर स्टेटमेंट आया है फ्री प्रेस जनरल में तो क्या सरकार ने इस बात की जानकारी की है कि वाकई उन्होंने वह वक्तव्य दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस पेन्डिंग है कि श्री गुमानसिंह ने वक्तव्य दिया था या नहीं इसलिए कोर्ट के डिसिजन को अवेट किया जाय।

प्रश्न संख्या १०३९

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री मुरलीधर व्यास ।

मंत्रियों द्वारा बीकानेर का दौरा

१०४०-**श्री मोहरसिंह** (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) २७ अप्रेल, १९५८ को किन मंत्रियों ने बीकानेर का दौरा किया व क्यों ?

(२ इस दौरे में सरकार का कितना खर्च हुआ ?

मुख्य मंत्री : (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) (१) केवल मुख्य मंत्री बीकानेर 'गीता जयन्ती उत्सव' और अन्य कार्यक्रम के उपलक्ष में गये थे ।

(२) १५६ रुपये, ४२ नये पैसे खर्च हुए ।

प्रश्न संख्या १०४१

श्री अध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

पलाना खान

१०४२. **श्री मोहरसिंह** : (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) क्या खनिज मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पलाना खान में इस समय कितने आदमी काम करते हैं ? खान का औसतन प्रतिदिन क्या खर्च है ?

(२) वहां प्रतिदिन औसतन कितना कोयला निकलता है ?

(३) खान घाटे में चल रही है या मुनाफे में ?

(४ क्या मजदूर और मालिक के बीच कोई इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है ?

(५) यदि हां, तो सरकार की ओर से मामले को रिप्रेजेन्ट करने के लिए कौन वकील है ?

उप खनिज मन्त्री (श्री रिखबचंद धारीवाल) : (१) पलाना खान में इस समय २०८ व्यक्ति काम करते हैं । खान का औसतन प्रतिदिन का खर्चा ६२४ रु० है ।

(२) चूंकि इस समय विकास हेतु नये गड्ढे खोदे जा रहे हैं लिहाजा कोयले निकलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) खान घाटे में चल रही है ।

(४) जी हां ।

(५) सरकार ने श्री एम० जी. रेल, माइन्स मैनेजर पलाना, को इस केस की पैरवी करने के लिए ऑफिसर इन्चार्ज नियुक्त किया है जो कि समय समय पर डॉ० आनन्दप्रकाश (बार एट-लॉ, एडवोकेट, दिल्ली) से सलाह लेते रहते हैं ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि पिछले छः महीने से खान का काम बन्द है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, बन्द है । क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का जो माइन्स इन्सपेक्टोरेट है, उन्होंने इस खान के काम को बन्द करने की हिदायत की है ?

Page No.16

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि ५६ तक यह खान लाभ में चल रही थी और अब घाटे में है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अभी चल ही नहीं रही है, इसलिए घाटे में चलने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री भीमसेन : आपने कहा था कि इस वक्त घाटे में चल रही है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दूसरे पिट्स खोदे जा रहे हैं इसलिए घाटे में चलने का सवाल नहीं है। पहले घाटे में चल रही थी।

श्री भीमसेन : क्या इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते कि एक पिट तैयार करके फिर दूसरा पिट खोदा जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : वह व्यवस्था कर ली गई है और मैं समझता हूं कि या तो चालू हो गई है या शीघ्र चालू हो जायगी।

श्री गिरधारीलाल : द्वितीय पंचवर्षीय-योजना में इस खान के उत्पादन का टार्गेट क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ओपन कोस्टमाइनिंग के लिए गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से एक्सपर्ट्स को बुलाना तय किया गया था। उसके बाद पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

मुल्तानी मिट्टी, बाड़मेर

१०४४. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर) : क्या व्यापार व उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर जिले में मुल्तानी मिट्टी की लीज किस किस पार्टी को कितने कितने रेट में दी हुई है ?

(२) क्या उनकी रॉयल्टी की दरों में भारी असमानता है ? अगर हां, तो कितनी ?

(३) क्या यह असमानता न्यायोचित है ? अगर नहीं, तो इसे मिटाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) निम्नलिखित तीन पार्टियों को दिये गये :

(क) रामलाल एण्ड सन्स ६४,०००रु० में।

(ख) मेसर्स लीलाचन्द खेमराज मल को १६,००० रु० में।

(ग) श्री राजपुताना इन्वेस्टमेंट सोसाइटी लिमिटेड ७,०७०रु० में।

(२) जी नहीं, रॉयल्टी की रेट २७ रु० फी टन है।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बिजली के मीटरों की जांच

१०४५. **श्री मोहरसिंह** (श्री मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति में) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कंजूमरों के घरों पर लगाये हुए विभागीय बिजली के मीटरों की कभी जांच की जाती है ?

Page No.17

(श्री मोहरसिंह)

(ख) यदि हां, तो कितने अर्से के बाद ?

(ग) क्या मीटर टेस्टिंग की रिपोर्ट कंज्यूमरों को नहीं बताई जाती ?

(घ) क्या टेस्टिंग फीस जमा कराने वालों के पास लिखित में कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं भेजी जाती ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) हां।

(ख) कोई निर्धारित समय नहीं।

(ग) बताई जाती है। यदि उनकी शिकायत अथवा अनुरोध पर उनके द्वारा फीस जमा कराने पर मीटर टेस्ट किया जाता है।

(घ) भेजी जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

सरकारी अधिकारियों को कोयलों का परमिट

१०४६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१ अप्रेल सन् १९५६ के बाद से लेकर अब तक कृषि विभाग से किन किन सरकारी अधिकारियों को कोयले की कितनी कितनी मात्रा (Quantity) का परमिट दिया गया और क्यों ?

उप कृषि मन्त्री (श्री दौलतराम सारण) : १ अप्रेल सन् १९५६ के बाद से लेकर अब तक कृषि विभाग से किसी भी सरकारी अधिकारी को कोई भी कोयले का परमिट नहीं दिया गया है।

प्रश्न संख्या १०४७

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०४८

श्री अर्जुनदास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०५०

श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०५३

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १०५७

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्रीमती गंगादेवी।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाय।

महारानी गर्ल्स हाई स्कूल, अलवर की बेकार बसें

१०६३. **डॉ० चंद्रकला** : (श्रीमती गंगादेवी की अनुपस्थिति में) क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.18

(डॉ० चन्द्रकला)

(१) महारानी गर्ल्स हाई स्कूल, अलवर की कितनी बसें कितने वर्षों से बेकार पड़ी हैं ?

(२) क्या शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उक्त स्कूल कर्मचारियों ने खराब बसों के लिए कभी सूचनाएं दी थीं ? यदि हां, तो किस किस तारीख में और उसके उत्तर क्या दिये गये ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) एक बस अलवर स्टेट के समय से ।

एक बस १९५६ से ।

एक बस १९५७ से ।

(२) जी हां । माह अगस्त, अक्टूबर व दिसम्बर, १९५७ में तथा जनवरी, जून व सितम्बर, १९५८ में । एक बस के लिए दो हजार रुपये मरम्मत के लिये मन्जूर कर दिये गये हैं तथा बाकी २ बसों को जयपुर गैरेज भेजने के आदेश दे दिये गये हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : बस खराब पड़ी है तो फिर स्कूल का काम कैसे चलता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दूसरी बस दे दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी ।

अलवर जिले में लड़कियों के लिये बोर्डिंग हाउस खोलने की स्कीम

१०६६ **डॉ० चन्द्रकला** (श्रीमती गंगादेवी द्वारा की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या अलवर जिले में लड़कियों का बोर्डिंग हाउस खोलने की कोई स्कीम है ? यदि हां, तो वह कब तक खोल दिया जावेगा ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) : ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है । अगर ऐसी कोई मांग प्राप्त होगी तो उस पर विचार किया जावेगा ।

डॉ० चन्द्रकला : मांग प्राप्त होने के साथ साथ सरकार क्या यह नहीं देखती है कि लड़कियों को छात्रावास की आवश्यकता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कुछ तो साधनों की कमी है और जब तक लड़कियां भर्ती होने-वाली न हों तो बोर्डिंग खोलने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यही एक प्रश्न है कि वहां से मांग नही आई है और इसी-लिए छात्रावास नहीं खोला जा रहा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बोर्डिंग की आवश्यकता होती तो मांग अवश्य आती। यही कयास किया जाता है कि मांग नहीं होने से आवश्यकता नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार के लिए लड़कियों के छात्रावास खोलने के खास कोई आधार हैं कि उनकी मांग आये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (शिक्षा मन्त्री) : मूल आधार तो आर्थिक है ।

डॉ० चन्द्रकला : अलवर के लिये क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मकान नहीं है । बिना मकान छात्रावास शुरू होना मुश्किल है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय श्री दयाकृष्णजी विजय का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : पहले जो माननीय सदस्य आये हैं वे पूछ लें । We will repeat once more.

श्री भैरोंसिंह : उनकी तबियत खराब हो रही है । I will take advantage of this repeat once more......

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

शारदा प्रेस व जैन प्रिंटिंग प्रेस, भीलवाड़ा को लोन

१०५७ श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) शारदा प्रेस व जैन प्रिंटिंग प्रेस, भीलवाड़ा को कितना कितना तथा किस-किस नाम से लोन दिया गया ?

(२) क्या कर्ज लेने वाले राज्य कर्मचारी थे तथा क्या कर्ज उन्हें दिया जाना नियमानुसार उचित था ?

(३) यदि नहीं, तो कर्ज क्यों दिया गया ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) शारदा प्रेस व जैन प्रिंटिंग प्रेस, भीलवाड़ा को ऋण क्रमशः ६,००० व ५,००० रुपये का दिया गया है । यह ऋण श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी पुत्र श्री नन्दलाल त्रिवेदी व मेसर्स हीरालाल कैलाशचन्द्र के नाम से दिया गया है ।

(२) श्री चन्द्रशेखर राज्य कर्मचारी थे और श्री हीरालाल राज्य कर्मचारी नहीं थे । यदि यह पहले पता होता तो ऋण का दिया जाना उचित नहीं था ।

(३) जिस समय ऋण दिया गया था तब इस बात का कोई संकेत नहीं था कि श्री चंद्रशेखर राज्य कर्मचारी हैं । न तो तहसीलदार ने और न जिलाधीश ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख किया, अतः ऋण देने में कोई आपत्ति नहीं समझी गई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कलेक्टर ने इसकी जांच की थी कि जिनको ऋण देने की सिफारिश कर रहे हैं वे सरकारी मुलाजिम हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी रिपोर्ट नहीं की ।

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं की जो कि उनको करनी चाहिये थी तो उनके खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जो एक्शन होगा, लिया जावेगा ।

श्री भैरोंसिंह : श्री हीरालाल कौन से डिपार्टमेन्ट में मुलाजिम हैं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : श्री हीरालाल मुलाजिम नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आई एम सोरी, सर, श्री चन्द्रशेखर कौनसे डिपार्टमेन्ट में मुलाजिम थे ?

Page No.20

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वे राज्य कर्मचारी जरूर थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस तहसीलदार ने सिफारिश की, वे उसी तहसील में रीडर की हैसियत से काम करते थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हो सकता है; लेकिन मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जब एक रीडर के बारे में इस प्रकार से सिफारिश की जाय तो उस कलेक्टर और तहसीलदार के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जांच कराई जावेगी। यदि तहसीलदार के यहां रीडर था और यह जानते हुए कि वह रीडर है सिफारिश की तो जानकारी करूंगा और एक्शन लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

ग्राम लूणवा, तहसील नांवा से एक १३ वर्षीय बालिका का अपहरण

१०५३. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्राम लूणवां, तहसील नांवा से एक १३ वर्षीय बालिका का अपहरण हुआ ?

(ख) यदि हां, तो इसकी शिकायत कब हुई ?

(ग) कौन कौन पुलिस अधिकारियों ने इसकी जांच की तथा अन्तिम निर्णय क्या निकला ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) लूणवां ग्राम से बालिका का अपहरण नहीं हुआ, किन्तु वह स्वेच्छापूर्वक किसी व्यक्ति के साथ चली गई।

(ख) उसके पति द्वारा दिनांक ३०-५-५७ को थाना दूदू में तथा उसके पिता द्वारा दिनांक १४-५-५७ को लूणवां ग्राम पंचायत के सरपंच के पास शिकायत हुई। सरपंच ने एस० पी० नागौर के पास सूचना भेजी।

(ग) थाना दूदू व थाना मारोठ के स्टेशन हाउस ऑफिसर्स तथा मेड़ता रोड के डिप्टी एस० पी० द्वारा जांच की गई, जिसके फलस्वरूप इसका यह नतीजा निकला कि अपहरण का नहीं किन्तु स्वेच्छापूर्वक चले जाने का मामला था।

श्री पी० के० चौधरी : किस शख्स के साथ लड़की गई थी ? What is the name of the person with whom she left ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि अभिभावकों ने बयान दिया था कि इस लड़की को भगाने में पुलिस का हाथ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : लड़की का अपहरण नहीं हुआ, यह आपने कैसे मान लिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : शहादतों के आधार पर यह निर्णय किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : बालिका जब १३ साल की थी तो उसका स्वेच्छा से जाना कैसे मान लिया ?

Page No.21

श्री रामकिशोर व्यास : १३ साल की नहीं थी, बल्कि १८ साल की थी।

श्री भैरोंसिंह : थाना मारोठ में जो रिपोर्ट दी गई उसमें क्या इस बात का उल्लेख है कि इस लड़की को भगाने में पुलिस वालों का हाथ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन कर दिया पुलिस वालों का हाथ नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : एफ० आइ० आर० में इस बात का उल्लेख है कि पुलिस ऑफिसरों ने लड़की को भगाने में मदद की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप यह पर्टिकुलर प्रश्न कर रहे हैं। इसका नोटिस दीजिये जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : इस अपहरण के सम्बन्ध में जांच हुई उसका जो नतीजा निकला है, उसमें यह मालूम नहीं हुआ कि इसमें पुलिस वालों का हाथ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : क्या इस सम्बन्ध में पुलिस ने कुछ लोगों के नाम पर वारन्ट इस्यू किये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो केस बना है और उसमें यह पता चला कि वह अपनी स्वेच्छा से गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लड़की हरिजन की थी और भगाने वाला सवर्ण हिन्दू था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक मुझे मालूम है लड़की कुम्हारों की थी।

श्री भैरोंसिंह : भगाने वाला कौन आदमी है उसका नाम क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मुझे पता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी सूचना के लिये बता दूँ भगाने वाला जाट है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) **:** अध्यक्ष महोदय, ऐसे सवालों को बहुत लाइटली डिस्कस नहीं करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं कि इस प्रकार के सवालों को लाइटली नहीं लेना चाहिये, यह फेक्टस हैं जो मैं कह रहा हूं वह लड़की जाट ने भगाई थी। उसको सीकर में पकड़ा गया; वहां मैं भी मौजूद था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप तो यह भी कह रहे थे कि लड़की हरिजन की थी और वह निकली कुम्हारों की।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह जानकारी गृह मंत्री महोदय से लेना चाहता था, इस बात की जानकारी है या नहीं।

कस्तूरचन्द गेंग, मोहर्रिर का तबादला

१ ३६. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कस्तूरचन्द गेंग मोहर्रिर का जो इस समय बारां में कार्य कर रहा है २६-१-५८ से १३-८-५८ तक कितने स्थानों पर कहां कहां परिवर्तन हुआ ?

Page No.22

(श्री रामनारायण वर्मा)

(२) क्या नियमानुसार इस प्रकार परिवर्तन किया जाना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो क्यों किया गया ?

(३) क्या इस दुर्व्यवहार का कारण विधान सभा के तृतीय सत्र में श्री करतूरचन्द के नौकरी से अलग कर देने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था ?

(४) क्या इसी कारण से चिढ़कर एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर, कोटा उसे अलग करने की सोच रहे हैं ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा : (१) दो स्थानों पर कोटा-इटावा सड़क पर और बारां ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

(४) प्रश्न नहीं उटता ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्निलिखित माननीय सदस्यों ने विधान सभा की बैटकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है:-

मेजर फतेहसिह

१-१२-५८ से १५-१२-५८

श्री हीराभाई

१-१२-५८ से १५-१२-५८

क्या सदन की अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(आज्ञा प्रदान की गई)

११.५६ म०प०

राज्य की खाद्यान्न स्थिति संबंधी स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब एक संकल्प है कि जिसे माननीय सदन के नेता प्रस्तुत करेंगे ।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था :

श्री अध्यक्ष : उसका उत्तर आपको मिल जायगा ।

श्री भैरोंसिह : मेरा यह निवेदन है कि वह स्थगन प्रस्ताव लिया जायगा या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं लिया जायगा । किन वजूहातों से नहीं लिया जा रहा है उस संबंध में सदन को जानकारी दे दूं । सरकार की ओर से एक कमेटी का गटन किया जा रहा है जिसमें पार्लियामेंट के सदस्य, इस विधान-सभा के सदस्य होंगे तथा अन्य अधिकारी भी होंगे । वह कमेटी इस खाद्य स्थिति पर विचार-विमर्श करेगी जो कि सुझाव इस सम्बन्ध में होंगे वह सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

श्री भैरोंसिह : इस प्रकार की समिति का गटन कब तक हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष : बहुत शीघ्र ।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन

(श्री भैरोंसिंह)

करूंगा कि जो खाद्य की परिस्थिति जयपुर में हो रही है उसके कारण दो रुपये का अनाज भी खुले बाजार में नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में अगर वे एक स्टेटमेंट दे दें तो शायद पब्लिक को रिलीफ मिल सकता है या इसके लिये कोई दिन बहस का निश्चित कर दें ताकि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रही है उसका पता सदन को हो जाय।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में स्टेटमेंट देना और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना उचित नहीं होगा। सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वह एक कमेटी का निर्माण कर रही है जो विस्तारपूर्वक इन बातों में जायगी। उस कमेटी के सामने आपको भी कुछ कहना हो, किसी शहर के बारे में दिक्कत हो तो आप सरकार को अवगत करा सकते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति ऐसी हो रही है...................

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। इस बारे में कोई वाद विवाद नहीं होगा।

११.५८ म० प०

शासकीय संकल्प

विधान मंडल के सदन, संसद् एवं सदस्यों के अवमान तथा विशेषाधिकर की अवहेलना संबंधी संकल्प

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष एक संकल्प प्रस्तुत करता हूं जो मैं समझता हूं वह सरकुलेट हो चुका है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है...........

श्री श्रीभानसिंह : उसकी हिन्दी बहुत डिफीकल्ट थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं भी तो वही पढ़ूंगा। जिस रूप में भी वह है आपके सामने, उसके बारे में आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि जो स्पीकर्स कॉन्फ्रेन्स हुई थी उसमें पहले इस बारे में विचार हुआ था कि वहां पर विचार होने के बाद एक सब कमेटी मुकर्रर की थी। उस सब कमेटी ने इस बारे में रिपोर्ट दी उसके आधार पर दूसरी कॉन्फ्रेन्स में इस बारे में सम्पर्क लिये जाने के सबन्ध में विचार हुआ था। कुछ भारत की विधान सभाओं ने इस प्रकार का संकल्प पास कर दिया है, वही संकल्प मैं आज इस विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यह ऐसा संकल्प है जिसके बारे में किसी को मतभेद होना नहीं चाहिये। अध्यक्ष महोदय को इसमें एक प्रकार का अधिकार दिया गया है कि जो विशेषाधिकार का प्रश्न है उसमें उनको निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इस पर और ज्यादा कुछ कहने की मैं आवश्यकता नहीं समझता।

श्री पी० के० चौधरी : I will prefer the Hon'ble Chief Minister to explain as to the circumstances which necessitated the passing of this resolution. Why it should be passed and why this House should give powers to someother House?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्योंकि इस प्रकार की कुछ परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जिसके कारण यह जरूरी समझा गया है कि इस प्रकार का प्रस्ताव सभी विधान

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सभाओं से पारित किया जाय। इसी हेतु मैंने भी यह प्रस्ताव रखा है।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम नहीं हुआ कि कौन कौन से राज्यों ने इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है। उन स्टेटों का माननीय मुख्य मन्त्री ने हवाला नहीं दिया है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमें उन स्टेट्स का नाम बतावें जिन जिन स्टेट्स ने इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर दिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रस्ताव यू०पी० विधान सभा, यू०पी० लेजिस्लेटिव कौंसिल, केरल विधान सभा और आसाम लेजिस्लेचर से पास हो चुका है।

श्री पी० के० चौधरी : I will like speak.........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

१२.० मध्यान्ह

मैं कुछ और इस बारे में तथ्य सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूं कि यह प्रस्ताव किस तरह इस सदन के सम्मुख आया है।

कई बार ऐसा होता है कि इस सदन के सदस्य ने किसी अन्य राज्य के सदन के विशेष-अधिकारों का या यों कहिये कि इस सदन के सामने ऐसा मामला आया कि दूसरे राज्य के सदन के सदस्य ने इस सदन के किन्हीं विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया हो या लोक-सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया हो या इस सदन के जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने लोक सभा का या अन्य किसी राज्य सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया हो तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या प्रोसीजर काम में लाना चाहिये, यह इसमें बताया गया है।

इस विषय में कई बार विचार विमर्श हुआ और प्रेसाइडिंग ऑफिसरों की कॉन्फ्रेन्स ने इस पर विचार किया। उसने इसके लिये एक सब कमेटी भी बनाई। तीन चार वर्ष विचार करने के बाद एक ऐसे युनीफॉर्म प्रोसीजर को स्वीकार करने का उसमें फैसला हुआ जो कि सब जगह एक सा लागू हो।

एक तो प्रश्न यह है कि अगर इस सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सामान्यतया तो यह होता है कि उस पर यह सदन या इस सदन की विशेषाधिकार समिति विचार करे। पर कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि अन्य राज्य के सदन के किसी सदस्य ने इस सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया हो वह सदन शायद इजाजत न दे उस सदस्य को इस सदन के सामने आने की, या इस सदन में जो भी कार्यवाही की जावे या जो हमारी विशेषाधिकार समिति है वह इस पर विचार करे और वह माननीय सदस्य चूंकि दूसरे राज्य के सदन का सदस्य है, इसलिये वह हमारे सामने आने से इन्कार करे या उसमें अड़चन डाले तो यह स्थिति पैदा हो सकती है कि दोनों राज्यों की सदनों में आपस में एक तरह का झगड़ा सा पैदा हो सकता है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिये, एक प्रोसीजर को रेगुलेराइज करने के लिये, एक सा प्रोसीजर देश में हो इस बात को ध्यान में रखते हुए और इस उद्देश्य को लेकर यह संकल्प लाया गया है। कई स्टेटों में तो यह पास हो चुका है और कइयों में और भी पास हो जावेगा, ऐसी आशा है।

(श्री अध्यक्ष)

ऐसी स्थिति में इसे कोई विशेष बहस का विषय न बनाकर इसे एक सिम्पल प्रोसीजर का मामला समझें। इस पर काफी विचार-विमर्श हम कर चुके हैं। हम से मेरा मतलब है मेरा (मेरे से)। तो प्रेसाइडिंग ऑफिसरों की जो कमेटी इसके लिये बनी उसने सब बातों पर सोच विचार करके यह तय किया है कि इस तरह के प्रस्ताव सब स्टेटों की विधान सभाएं पास कर लें बजाय इसके कि वे अलग अलग कोई इस तरह के रूल्स आदि बनावें ताकि दो लेजिस्लेचरों में आपस में किसी तरह का झगड़ा कभी पैदा होने की सम्भावना न रहे। यह बात ध्यान में रखते हुए यह संकल्प लाया गया है और इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस पर विशेष बहस न करके और विवाद की तरह की चीजों में इसे न डालकर इसे पास कर दें। एक सीधी बात है। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि हमारे मामलों को इस तरह के मामलों को तय करने का अधिकार दूसरे राज्य की विधान सभा को हम दे रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जिनको हम अधिकार दे रहे हैं वे सदन भी जिम्मेदार सदन हैं और इसलिये हमें विश्वास रखना चाहिये कि इस तरह के मामले उनके सामने जाएंगे और ऐसे मामले होते ही रहते हैं, तो वे भी उतने ही ख्याल से उन मामलों को देखेंगे जितने ख्याल से हम देखते। उनको अगर हम ही तय करने लगें तो हमारे और दूसरी स्टेट के सदन के बीच ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि आपस में झगड़ा पैदा हो जावे। इसलिये हमने यह रास्ता अपनाया है। एक सदन के माननीय सदस्य दूसरे सदन के माननीय सदस्यों में विश्वास रखते हैं और यह समझते हैं कि हमारे इस सदन की मान-हानि के मामले को वे उसी तरह से सोचेंगे, बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी से सोचेंगे जितना कि वे अपने सदन की मान हानि के मामले को सोचते हैं।

इस स्थिति में इस सदन के नेता ने जो संकल्प रखा है वह पास कर दें।

श्री भैरोंसिंह : थोड़ा क्लेरिफिकेशन कराना है। यदि इस सदन के अन्दर किसी दूसरे राज्य की सदन के किसी सदस्य का या सदन की मान-हानि का प्रश्न आता है यानि इस सदन के किसी डेलीब्रेशन्स के द्वारा दूसरे सदन के सदस्य की मान-हानि करता है तो उस स्थिति में जिस सदन में मान-हानि हुई है या जिस सदन के सदस्यों की मान-हानि हुई है उसे उस सदन में जाना पड़ेगा क्या ?

श्री अध्यक्ष : इस सदन के द्वारा। यही तो हम चाहते हैं। सामान्यतया उनको करना चाहिये पर इस प्रोसीजर के द्वारा यह सदन करेगा कि उस सदन की मान-हानि हुई है या नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : रिसेन्टली पार्लियामेन्ट में एक प्रीवीलेज मोशन मूव किया गया था Against the Chief Minister of Keral, whether that will be decided by the Parliament Privilege Committee or it will be referred to the Keral Legislature.

श्री अध्यक्ष : I would like to differentiate between this case and the circumstances envisaged by this. The Chief Minister of Keral it is alleged to have committed a breach of privilege of Lok Sabha. So it is Lok Sabha which will try it and not the Legislature of the Keral.

(श्री अध्यक्ष)

ऐसी सम्भावनाएं हैं, पोसीबिलीटीज़ हैं। उनके बारे में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। जिस उद्देश्य और प्रिन्सिपल को लेकर यह किया जा रहा है वह सदन के सामने है।

प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय सदन के नेता ने प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

१२. १५ म० प०

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १९५८

(अग्रेतर खण्डश: विचार-विमर्श)

राजस्थान जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन बिल, १९५८ क्लॉज़ ५

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा ५ पर कल वाद-विवाद हो रहा था जिसका मुख्य मुद्दा यह रखा गया था कि जहां जमींदारी हम एबोलिश करते हैं, जमींदारी से सम्बन्धित जिस प्रोपर्टी को एक्वीज़ीशन करते हैं वह सारी बातें इस कानून के अन्तर्गत होंगी।

इस कानून की इस धारा के अन्तर्गत हमने यह भी व्यवस्था की है कि एक जमींदार की पर्सनल प्रोपर्टी क्या होगी ? यह अच्छा होता, अध्यक्ष महोदय, कि हम जमींदारी और जागीरदारी में कम से कम पर्सनल प्रोपर्टी के बारे में निर्णय लेने से पहले एक....

श्री श्रीभानसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, I am sorry to interrupt the Hon'ble member. वह परसों से एक पर्सनल चार्ज चला आ रहा है। उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आया। ऐसा लगता है वह चार्ज को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि रेवेन्यु साइड में माननीय सदस्य ने बताया कि गवर्नमेन्ट इसका एक्सप्लेनेशन दे।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिये किसी को कम्पैल नहीं किया जा सकता।

श्री श्रीभानसिंह : मैं तो चैयर को अपील करूंगा कि............

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने कल बताया। अगर वे उचित समझेंगे कि किसी बात का वे एक्प्लेनेशन दें तब तो वह स्थिति पैदा हो सकती है। पर अगर वे न देना चाहें तो मैं, आप या, यह सदन इसके लिये कोई कदम नहीं उठा सकता।

श्री श्रीभानसिंह : सरकार कदम उठा सकती है। वह दे सकती है। कोई दे, पर एक्सप्लेनेशन तो देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : Let us hope that he will heed your appeal.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जमींदारी एक्वीज़ीशन के साथ यदि हम स्वत: इस बात को स्वीकार कर लेते कि जहां जमींदारी की प्रोपर्टी का प्रश्न आता हो उस प्रोपर्टी को हमें जागीरदार की प्रोपर्टी से अलग नहीं समझना चाहिये तो एक बात समझ में आ सकती थी।

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन जिस तरह से सदन में कहा गया कि राजस्थान में अधिकांश स्थान ऐसे थे जो जागीरी इलाके कहे जा सकते हैं । ज ीदारी का केवल ८ जिलों में प्रभाव है और आठ में से भी केवल दो जिले ऐसे हैं भरतपुर और अलवर जिनमें जमींदारी एबोलिशन का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा । लेकिन उसमें भी अध्यक्ष महोदय, जमींदारी एबोलिशन बिल की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि यहां यू० पी० या अन्य प्रान्तों की तरह बड़ी जमींदारियां नहीं हैं बल्कि पैटी पेजेन्ट प्रोप्राइटरशिप है । तो ऐसी हालत में हमें ऐसा समझकर चलना पड़ेगा कि वे जमींदारियां बड़ी नहीं हैं बल्कि छोटी छोटी हैं ।

अब इन छोटी छोटी जमींदारियों के लिये यदि हम इस प्रकार की कोई व्यवस्था करें जैसी इस संशोधन के द्वारा की जा रही है तो अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से आपके द्वारा सदन को यह कहना चाहूंगा कि इसके कारण जमींदारों के जिन इन्टरेस्ट्स को हम खतम करने जा रहे हैं, उनके सोशियल और इकोनॉमिक स्टेटस में जिस प्रकार का हम रेडिकल चैन्ज लाने की व्यवस्था कर रहे हैं वह चैन्ज तो आएगा या नहीं आएगा यह समय बतावेगा पर उनके सामने हार्डशिप पैदा जरूर कर देगी ।

मैं मानता हूं कि आज समय का तकाज़ा है इन्टरमीडियरी को रख नहीं सकते, इसलिये राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर इस स्थिति में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करके समाप्त करने की बात की जाती है और इस बात की मांग की जाती है कि इस मध्यम वर्ग को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाय ।

लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन लोगों का चाहे किसी प्रकार का स्टेटस था, वह चाहे अन्याय करते थे, किसी प्रकार के थे, एक कानून के अन्तर्गत चाहे वह कानून ब्यूरोक्रेसी के जमाने का अच्छा कानून होगा फ्यूडेलिज्म के जमाने का अच्छा कानून होगा, लेकिन एक प्रकार का कानून था उसके अन्तर्गत उनको जागीरें और जमीनें रिटेन करने का संरक्षण प्राप्त था उनके लिए आज यह व्यवस्था करें कि जागीरदार या जमींदार, क्योंकि वह जागीरदार और जमींदार पहले थे, अब इस कानून के बनने के बाद उनको जितना दण्ड दिया जाय उतना देना चाहिए; मैं समझता हूँ कि मनुष्यता और न्याय की दृष्टि से वह किसी प्रकार से उपयुक्त चीज नहीं होगी । अच्छा यह होगा कि जिन लोगों में हम रेडीकल चैंज ला रहे हैं उनके लिए यह व्यवस्था करें कि कहीं वह अपरूट न हो जाये । ऐसी स्थिति पैदा न हो जाये कि उनका स्टेटस और भी दिनों दिन खराब होता जाये । मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार ने उनके लिए थोड़ा बहुत भी कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था की है और जागीरदारों के भी रिहेबिलीटेशन के सिद्धान्त को स्वीकार किया है । मगर उन सब के पीछे एक ही भावना है कि जिन लोगों की जागीरें रिज़म्पशन की हैं, जिनकी इन्कम के सोर्सेज़ को एक्वायर करके उनके लिए सोचा कि कम से कम उनकी ऐसी स्थिति अवश्य रहनी चाहिए कि वह बाकी के समाज में एक काश्तकार की हैसियत से या मजदूर की हैसियत से या बड़े जागीरदार हों तो अच्छे मालदार की हैसियत से अपना स्टेटस बनाये रखें और अपने जीवन निर्वाह के साधन उनके पास रहें । जहां तक यह जो सिद्धांत है, मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार भी इस सिद्धान्त के विपरीत नहीं है । लेकिन

Page No.28

(श्री भैरोंसिंह)

फिर प्रश्न एक आता है। जिस प्रकार से एक संशोधन कल स्वीकार किया गया उसके कारण इस प्रकार का संघर्ष पैदा हो सकेगा या नहीं। जमींदारी रिज़म्पशन का एक्ट सन् ५२ में बना था। उसके बाद से लेकर आज तक आठवां और नवां अमेन्डमेन्ट बिल आया है; लेकिन कोई भी ऐसा संशोधन आज दिन तक नहीं आया जिसके द्वारा हमने उनकी प्राईवेट प्रोपर्टी में दूसरे लोगों को अधिकार प्रदान किये हों। अध्यक्ष महोदय, कल एक माननीय सदस्य ने जो एक अच्छे से वकील हैं मैं समझता हूं उन्होंने इस पोइन्ट के ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित किया था। अब एक प्रश्न फिर आता है कि कानून द्वारा हम किसी व्यक्ति की प्राईवेट प्रोपर्टी डिक्लेयर करते हैं और कहते हैं यह इनकी निजी संपत्ति है और अब प्राईवेट प्रोपर्टी में किसी का राइट हो तो इसका मतलब यह हुआ कि वह प्राईवेट प्रोपर्टी नहीं है बल्कि सार्वजनिक प्रोपर्टी है। अब किसी का राइट है या नहीं इसको तय करने का अधिकार कलेक्टर को दिया है। आज किसी के मकान में कुंआं है या मन्दिर है और वह उसकी निजी संपत्ति है तो उनको हमें सार्वजनिक सम्पत्ति लेकर नहीं चलना चाहिए। उनके मकानों में जो कुंए और मन्दिर थे, वह सार्वजनिक नहीं थे बल्कि जागीरदारों के दूसरे लोगों से ऐसे रिलेशन्स हो सकते हैं, ऐसे संबंध हो सकते हैं जिसके कारण से वह कुछ लोगों को उसके अन्दर आने के लिए इज़ाजत दें और आपस की सद्भावना के कारण, अधिकार के रूप में नहीं, राइट के रूप में नहीं बल्कि सद्भावना के रूप में कोई वातावरण आज दिन तक चलता आया, यदि आज उसको राइट कह कर कानून में उसके लिए व्यवस्था करेंगे तो आज मुझे भय है कि जिस सद्भावना का उपयोग कुछ लोगों ने किया है वह उनका राइट है यह राइट क्लेम कर सकते हैं इन दो बातों के भुलावे में आकर वे मुकदमें में भी फंस सकते हैं आज ऐसी स्थिति नहीं है कि जमींदारों ने कोई मन्दिर बना लिया और वह भी अपने व लोगों के दर्शन करने के लिए और उस पर किसी प्रकार की रोक लगादें। मन्दिर को खोलने का मतलब ही केवल लोगों को दर्शन के लिए है। तो कोई भी जमीदार आज ऐसा नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को मन्दिर में आने से रोक दे। मुझे समझ में नहीं आया कि माननीय मंत्री महोदय ने किस प्रकार से इस चीज को कानून का रूप दे दिया और किस प्रकार से उनको यह डर हुआ कि जागीरदार लोग लोगों को मन्दिरों में नहीं आने देंगे या कुंओं पर पानी नहीं लेने देंगे और उनको वहां आने से रोक देंगे। हो सकता है कि उनके ध्यान में ऐसी कोई घटना आई हो। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर हमारे मंत्री महोदय एक उदाहरण भी ऐसा पेश नहीं कर सकेंगे कि जिसके कारण से जिनके पास जो मन्दिर हैं उनमें लोगों को दर्शन के लिए आने की इजाजत न दी हो। केवल इसलिए नहीं कि अधिकार देने की व्यवस्था नहीं की, लेकिन दर्शन करने के बारे में लोगों के स्वतः ही अधिकार हैं। मन्दिर बनाये ही इसलिए जाते हैं कि वे लोग स्वयं भी मूर्ति के दर्शन करें और मन्दिरों में सद्भावना के जरिये, आरती करके, पूजा करके, या ऐसी व्यवस्था बना कर लोगों में सद्भावना हो और जो कटुता हो, उसको दूर कर सकें। सत्संग आदि करें यह सारी व्यवस्थायें मन्दिरों के द्वारा की जाती हैं। अब सरकार को यह आभास मिला कि आज

[redacted]

(श्री भैरोंसिंह)

जागीरदार मन्दिरों में नहीं घुसने देंगे तो कल यह भी हो सकता है कि जिस जगह पर गावों में गांव की बरातें ठहरा करती थीं, गांव के लोग ठहरा करते थे, जिन गांवों में धर्मशालायें नहीं थीं,उनमें जिन जागीरदारों के मकानों में और कमरों में बरातें ठहरा करती थीं, उनमें अब अलाउ करें या नहीं करें, इसका भी लोगों को अधिकार होना चाहिए। उसके बारे में वह कहें कि वह प्राइवेट प्रॉपर्टी है। या तो यह कहें कि वह प्राइवेट प्रोपर्टी नहीं हैं या यह मान कर चलते हैं कि वह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उस प्राइवेट प्रापर्टी में इन्टर-फीयर करने का अधिकार किसी को न हो। हां, विधान सभा को अधिकार है, सरकार को भी कानून के द्वारा हस्तक्षेप करने का अधि-कार है, लेकिन क्या हमें ऐसे अधिकार देने चाहिए? या तो इसके लिए आपको प्राइवेट प्रोपर्टी का क्लॉज हटाना पड़ेगा या फिर यह कहना पड़ेगा कि यह सार्व-जनिक सम्पत्ति है। कुएं भी सार्वजनिक हैं, मन्दिर भी सार्वजनिक हैं फिर आप संशो-धन लाकर यह कह दो कि उसका कमरा जो बरात ठहरने के लिए था वह भी सार्वजनिक है। जैसा कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनके जो घोड़े और ऊंट वगैरह बारातों और शादियों के काम में आया करते थे वह भी सार्वजनिक हैं, वह धन जो कि सार्वजनिक उपयोग में आया करता था उसके ऊपर भी सरकार का अधिकार नहीं है बल्कि सार्व-निक अधिकार रहेगा और कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकेगा। यदि आपको ऐसे संशोधन लाने थे तो राजस्थान के अधि-कांश हिस्से में जहां यह चीज लागू होने वाली थी, उस समय करते। मुझे याद है जिस समय यह जागीर रिज़म्पशन एक्ट बना था उस समय जोधपुर से आने वाले एक साम्यवादी सदस्य ने संशोधन रखा था, उस समय केवल मात्र ट्रेजरी बेन्च की तरफ से उत्तर मिला था कि इन चीजों के ऊपर उनको प्राइवेट प्रोपर्टी डिक्लेयर करते हैं कि स्कूलों और हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स के अलावा और प्राइवेट प्रोपर्टी होगी, तो हस्तक्षेप करने का अधिकार नही होगा और उसी के रूप में कुछ बातें जोड़ी गई कि ऐसे कोई भी इन्स्टिट्यूशन्स हों जहां बच्चे पढ़ते हों या मरीजों का इलाज किया जाता हो उनको ही लिया जाएगा। लेकिन अब तो हमारी सरकार उससे भी आगे बढ़ गई। आज चाहे जमींदार की जमीन में कोई स्कूल बनती हो सरकार को कोई चिन्ता नहीं है, जमींदार की जमीन में कोई औषधा-लय था उसकी चिंता नहीं, लेकिन सरकार को चिंता हुई है कुओं की कि कुओं से पानी भरते हैं उसके ऊपर समाज का अधि-कार होना चाहिए। आप उन चीजों के अधिकार प्राप्त कर सकते थे जिनसे आपको और जनता को फायदा हो सकता था। एक सदस्य ने कहा था कि जिन जागीरदारों और जमींदारों ने कुएं आदि बनवाए यह भी जागीरों के पैसे से बनाए और एक सदस्य तो यह भी कह गए कि बिस्वेदार एक एक बिस्वा जमीन छीन कर बिस्वेदार बन गए और जमींदारों और जागीरदारों की डेफीनिशन भी इसी तरह की दी। अच्छा होता इस प्रकार का भाषण वह बाहर जाकर ऐसे लोगों के बीच में देते जो कि बिस्वेदार, जमींदार और जागीरदार की परीभाषा नहीं समझते। या फिर इस प्रकार का भाषण वोट लेने के लिए दिया होता। लेकिन, माननीय अध्यक्ष, यहां वोट लेने का प्रश्न नहीं है यहां तो कानून बनाने का प्रश्न है। कानून का मतलब होगा कि हम राजस्थान में किस प्रकार से शांति से,

(श्री भैरों सिंह)

सुविधा से और सुखी होकर अपना जीवन बिता सकते हैं इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज हम जमींदारी खत्म करना चाहते हैं इसका विरोध तो कम से कम हमारे सदन में किसी ने भी नहीं किया। सब कहते हैं कि यह होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि समय का तकाजा है। लेकिन यह तो समय का तकाजा नहीं है कि एक तरफ तो हम जमींदारी खत्म करें और दूसरी तरफ ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि वहां आर्थिक स्थिति को और भी अधिक विषम बना दें और गांवों में झगड़ों को कराते रहें।

आज दिन खुदकाश्त के कुंए का प्रश्न आता है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में हमने लोगों को खातेदारी के अधिकार दिये हैं। राजस्थान में जीगीर रिजम्प्शन के मातहत बड़े जागीरदारों को स्वयं को खातेदार बनाया है, लेकिन राजस्थान में एक हिस्सा भी ऐसा नहीं मिलता है जहां कुंए पर लोग पानी भरते हैं, उस कुंए पर पानी भरने के लिए काश्तकार जाता है और जागीरदार ने उसको रोका हो। आम तौर से आज भी जनता पानी भरती है। लोग जाते हैं और पानी भरते हैं। यदि सब लोगों को यह मालूम हो जाय कि उनको पानी भरने का अधिकार है। आप उनको अपने अधिकार के लिए कन्टेस्ट कराना चाहते हैं। बिला वजह आप उनको इन्स्टीगेट करें। आज भी उनको अधिकार है। आज भी वे पानी भरते हैं और कल भी भरेंगे उनको कोई अड़चन आने वाली नहीं है। कानून बनाकर आप कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार है घुस जाओ। किसी गूंगे को आग लगाने के लिए कहा जाय, उसके दिमाग में आये या नहीं उसके मकान में आग लगाने की, लेकिन उसको कह देते हैं, आग लगाने को, तो अवश्य वह इस बारे में विचार करेगा, लगाये या नहीं यह अलग सी बात है। लगायेगा ऐसी आवश्यकता है नहीं। उसी प्रकार की व्यवस्था यहां पर की गई है यह कह कर कि तुम्हारा अधिकार है, तुम अधिकार प्राप्त करने के लिए झगड़ा करो। यदि कोई जागीरदार या जमींदार रोकता है, सफाई के लिए वह कहता है उसके जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का पालन करने के लिए कहता है, तो तुम्हारा फर्ज है कि उसके नियम को तोड़ दो, उसकी सारी व्यवस्था को तोड़ दो, और अधिकार के तरीके से जो कुछ कर सकते हो करो। आज किसी के मकान के अन्दर कुंआं है। आप चाहेंगे कि १२ बजे रात को कुंआं खोला जाय या रात के दो बजे कुंआ खोला जाय इस प्रकार के अधिकार दे कर। कुंए पर वह दिन में पानी भरने देता है, दोपहर में पानी भरने देता है। आप यह अधिकार देकर यह चाहते हैं कि उसका मकान कितनी ही कीमत का हो, चाहे एक लाख की कीमत का हो या ५०००) रु० की कीमत का हो, उसके कुएं में से दो आदमी पानी भरा करते हैं और दो आदमियों को पानी भरने का अधिकार है तो वह मकान के ताले नहीं लगा सकता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कानून ऐसे गरीबों के साथ में जबरदस्ती अन्याय होगा।

अब प्रश्न आता है कि जमींदारों को बड़ा मानकर चलें। वे बहुत बड़े आदमी हैं। और बड़े आदमियों के स्टेटस को नीचा करके और नीचे के आदमियों के स्टेटस को बढ़ाकर सबको बराबर करना चाहते हैं। मुझे अफसोस है उन सदस्यों पर, माननीय राजस्व मन्त्री जी पर तो नहीं क्योंकि जो कुछ वे करते हैं जान-बूझ कर करते हैं, लेकिन कुछ सदस्य भुलावे में

Page No.31

(श्री भैरोंसिंह)

आकर यह कहते हैं कि जमींदारों को खत्म करने से राजस्थान के बड़े बड़े लोग खत्म हो जायेंगे। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि राजस्थान में कोई बड़े जमींदार नहीं हैं। राजस्थान में जो जमींदार हैं उनका नाम जमींदार है, लेकिन उनमें अधिकांश लोग, उनमें से अधिकांश पर्सेन्टेज ऐसी हैं जो स्वयं अपनी जमीन पर काश्त करते हैं और सब-लैट नहीं करते हैं। सब टिनेन्ट नहीं है उनके लिए खातेदारी एक्विजिशन का झगड़ा नहीं है। ऐसी छोटी सी उन लोगों का पर्सेन्टेज जरूर है जिन्होंने सब-टिनेन्ट के रूप अपने खुदकाश्त की जमींदारी की लैंड के बारे में यह व्यवस्था कर रखी है। उस प्रकार का लगान देता है। उस व्यवस्था को खत्म करना है। यह प्रश्न नहीं खड़ा होता है कि बड़े बड़े जमींदारों को खत्म कर देंगे। यह एक प्रोविजन कर देने से खत्म हो जायेंगे, एक प्रोविजन कर देने से वह वर्ग समाप्त हो जायगा, उनका शोषण समाप्त हो जायगा, एक शोषण करने का तरीका समाप्त हो जायगा। जो मुकर्रर लगान है उसका दुगुना लेकर जो नियम बना हुआ है, जो लगान बना हुआ है उससे कम लगान जमा कराते हैं। हमें उनकी प्राइवेट लाइफ में इस प्रकार से इन्टरफियर करने का अधिकार नहीं है मैं फिर कहूँगा, अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता यदि प्रोपर्टी के सम्बन्ध में मैं पूरे कानून की बात तो इस समय नहीं कह सकता, माननीय राजस्व मन्त्री स्वयं कानूनदां हैं, हम लॉ डिपार्टमेन्ट को कन्सल्ट करते। यह प्रोपर्टी का प्रश्न है और प्रोपर्टी में एक दफा किसी को प्राइवेट प्रोपर्टी डिक्लेअर करते हैं, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी में दूसरे को इन्टरफियर करने का कोई अधिकार नहीं है। उसमें दूसरे नाम से एक स्पेशल लॉ के द्वारा प्रोपर्टी के जो राइट हैं, अधिकार हैं, उसका दूसरा कानून बना हुआ है, यह करते हैं तो उनको ओवरलेपिंग होगा या नहीं? मैंने इस सम्बन्ध में २, ३, एडवोकेटों से पूछा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। शायद माननीय राजस्व मन्त्री भी उनकी सलाह लेंगे लेकिन मैंने अभी पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि इस प्रकार की व्यवस्था प्राइवेट प्रोपर्टी के सम्बन्ध में रखना उनकी दृष्टि में यह किसी प्रकार से कानूनसंगत नहीं होगा। लेकिन यह निश्चित रूप से संघर्ष पैदा करने वाली स्थिति होगी।

कल इस क्लॉज के सम्बन्ध में शायद इस अमेंडमेंट के सम्बन्ध में हम ५-७ विधान सभा के सदस्य बैठकर विचार कर रहे थे कि एक माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया और यह भी शिकायत की कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी कोई संशोधन स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन इस प्रकार का संशोधन, जिस संशोधन से संघर्ष हो जाय माननीय राजस्व मन्त्री जी स्वीकार करेंगे। ऐसी स्थिति में इस भावना से संशोधन रखा गया था, तो माननीय राजस्व मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया। इस बात को साफ करने के लिए, उसकी ओर इशारा करने के लिए यह संशोधन आया है और माननीय राजस्व मन्त्री जी इसको निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। अब ऐसे इस कानून के अन्तर्गत माननीय राजस्व मन्त्रीजी का यही दृष्टिकोण है तो, अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस चीज का कोई इलाज नहीं है। लेकिन स्थिति यह है कि इस प्रकार के अधिकार देने की व्यवस्था इसमें करें या नहीं?

इस एक्ट के अन्दर राइटस के सम्बन्ध में डिस्प्यूट्स, प्राइवेट प्रॉपर्टी के सम्बन्ध में डिस्प्यूट्स होते हैं, उन डिस्प्यूट्स को तय करने का अधिकार कलेक्टर को दिया है।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ जब जागीर रिजंप्शन किया तो एक अलग सा डिपार्टमेन्ट खुला। उसके अन्दर जागीर कमिश्नर को अधिकार दिये गया कि राजस्थान में अधिकांश में जहां जहां जागीरें हैं वहां वे खत्म हुईं। उनके क्लेम वगैरह को देखने के लिए डिप्टी कलेक्टर जागीर की पोस्ट डिक्लेअर की और उसके लिए एक अलग डिपार्टमेन्ट खोला। उसको अलग से अधिकार दिये। जो जागीरदारों के लिए व्यवस्था की कि वे अपने क्लेम को लाकर, अपनी पर्सनल प्रोपर्टी के मामलों को लेकर, जिनके सम्बन्ध में दावे और वाद-विवाद हों उन सबका निर्णय कराने के लिए जागीर कमिश्नर के पास जाएं। अगर जागीर कमिश्नर निर्णय नहीं करता है, तो राजस्थान सरकार के पास पहुंचें। उनकी पर्सनल प्रोपर्टी के मामलों के जागीर कमिश्नर को अधिकार दिये हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि जैसी सारी अलॉटमेंन्ट वगैरह की जागीरदारों के लिए एक अलग व्यवस्था की, उसी व्यवस्था के अन्दर जमींदारों को क्यों नहीं शामिल कर लेते हैं। जमींदारों की प्राइवेट प्रोपर्टी के मामले भी जागीर कमिश्नर के अन्तर्गत लगा देते तो क्या होता? सरकार मानती है कि जमींदारी एबॉलिशन में पूरी तरह से इस झगड़े का प्रश्न है, और जमींदारी मजबूरी के कारण खत्म कर रहे हैं तो क्यों न उनको कुंए और मन्दिरों के नाम पर परेशान किया जाए। सरकार चाहती तो प्राइवेट प्रोपर्टी के मामलों में जागीर कमिश्नर के यहां, जागीरदारों के मामले उसके यहां बैठाने की व्यवस्था कर दें। आज आप चाहते हैं कि कलेक्टर करे। कलेक्टर को इस प्रकार का आदेश दे दिया कि वहां उन दावों की सुनवाई हो जाय। मैं राजस्थान के हर जिले के लिए कह सकता हूँ कि कलेक्टर के ऑफिस में जाकर देख लें कि कलेक्टर कितने दिन खुद आता है वह ५, ७ व १० या १२ दिन आता है, तो कितनी फाइल्स को डिस्पोज ऑफ करता है। लोगों की तारीखों पर तारखें पड़ती रहती हैं। कई तारीखों तक फैसले नहीं होते हैं। लोग परेशान होते हैं। अगर आप कलेक्टर के यहां जमींदार के राइट्स के बारे में डिसीजन करने की व्यवस्था कर देते हैं तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि उनके राइट्स के मामले, मैं मानता हूँ कि कहीं नहीं होंगे और अगर होंगे भी तो उनका जल्दी से जल्दी किसी समय तक भी निर्णय नहीं हो सकता है। आज जिस प्रकार से एक झगड़ा पेश होता है, उसी प्रकार झगड़े बढ़ते रहेंगे।

इतना कहकर जो संशोधन माननीय राजस्व मंत्रीजी ने रखा है उन कुल परिस्थितियों को देखते हुए उसका विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं और माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा फिर माननीय राजस्व मन्त्री जी से अपील करता हूं कि उसका विशेष प्रभुत्व पड़ने वाला नहीं है। उससे मन्दिरों और कुंए के सम्बन्ध में जगह जगह झगड़े होने वाले हैं। आपको उसकी कई दफा जांच करनी पड़ेगी। इस सारे सिरदर्द से बचने के लिए, मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था जागीर रिजम्प्शन की व्यवस्था में कर रखी है, उसी प्रकार की व्यवस्था इस जमींदारी एक्वीजिशन एक्ट में कर लें।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राजस्व मन्त्री महोदय ने उपस्थित किया है इसके लिए मेरी ओर से यह निवेदन है कि जिस प्राइवेट प्रोपर्टी का प्रश्न आया है, मंदिर, कुंए आदि के लिए इस प्रकार का प्रश्न उठता है. यहां वह

Page No.33

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

अनुचित है । इसके लिए ऐसे झगड़े उपस्थित हो जायेंगे कि जिनको निपटाने के लिए बहुत कठिनाई उपस्थित होगी । यह हमेशा से एक सेन्टीमेंट का प्रश्न है । इसके लिए यह प्रश्न जैसा कि अभी उठा है अभी खत्म हो जाना चाहिए । क्योंकि इस समय और भी यहां राजस्थान के वातावरण में काफी जटिल प्रश्नों को लेकर यहां सवाल उपस्थित हो रहा है । यह जैसे जमीदारी और बिस्वेदारी का प्रश्न है; यह भी इस प्रकार का प्रश्न है कि जैसे और जागीरें खत्म हो चुकी हैं, एक एक बीघा जमीन भी खत्म हो चुकी है । इस प्रकार यह खत्म जैसे होने का प्रश्न यहां आया हुआ है । उसके साथ में लोगों की पर्सनल प्रोपर्टी के लिए इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित होना वास्तव में गलत सिद्ध होगा और वहां पर बड़े झगड़े हो जाने की सूरतें उपस्थित हो जायेंगी । पर्सनल प्रोपर्टी को रखने के लिए विचार प्रत्येक आदमी और प्रत्येक जमींदार और काश्तकार तक को होता है तो वह चाहता है कि प्रोपर्टी के अन्दर किसी को आने देना चाहें तो आने दें और नहीं आने देना चाहें तो किसी को नहीं आने दें ।

जैसा हरिजन भाइयों के वास्ते सवाल है, वे चाहते हैं बार बार कि जहां तक हो हम मंदिरों में प्रवेश करें और हम को रोका नहीं जाय और उसके वास्ते मेरी भी एक सदस्य के नाते यह धारणा है कि यह जरूर होना चाहिये और मंत्री मंडल भी इसके लिये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन विचारने की बात यह है कि जब ऐसा समय उपस्थित होता है जैसे हरिजन भाइयों के कई इस प्रकार के भाग हैं जैसे कोई रेगर हैं या यादव हैं और उनका भी यदि कोई मंदिर है और उसमें यदि कोई भंगी आदि अन्य जाना चाहें तो उसको वे उस मंदिर में कभी भी नहीं जाने देंगे । लेकिन वे खुद ब्राह्मण या राजपूत के मंदिरों में जाने के लिये तत्पर रहेंगे, लेकिन अपने मंदिर में अपने से न्यून समझे जाने वाले भाई को कभी भी जाने नहीं देंगे । लेकिन इस प्रकार से वातावरण को क्षुब्ध करने का प्रश्न आता है, राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत के अन्य क्षेत्र, बड़ी बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हैं, ऐसी स्थिति में इस प्रकार की चीज़ को लाना मैं अत्यन्त अनुचित समझता हूं । मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह समय है जब कि इन चीजों पर ब्रेक लगाना चाहिये । जो बातें आगे बढ़ चुकी हैं उनको समेट लिया जायगा तो यह अत्यन्त धन्यवाद की चीज होगी । लेकिन आगे बढ़ने के जो परिणाम हैं उनको दृष्टिगत रखकर विचार करना चाहिये ।

श्री गोवरधनसिंह केन (बयाना सु०): अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय राजस्व मंत्रीजी ने क्लॉज़ ५ पर रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं । हमारे माननीय सदस्यों ने जो कि विरोधी दल के हैं उन्होंने जो आपत्ति प्रकट की है उनको ऐसी आपत्ति करने का विचार ही नहीं करना चाहिये था, क्योंकि इसमें जो प्राइवेट संपत्ति है; जैसे तालाब, कुंए, मंदिर आदि है विशेषकर आज कल की जो स्थिति है उसको देखते हुए कुछ हरिजनों को अड़चनें आती रहती हैं; समय समय पर जब कभी हरिजनों को अपने मकान बनाने के लिये, उनके अधिकांश मकान कच्चे होते हैं, उनके लिये उनको मिट्टी आदि की आवश्यकता पड़ती है । जब वे हरिजन किसी पोखर या तालाब से मिट्टी लेने जाते हैं तो उन पर प्रतिबन्ध

Page No.34

(श्री गोवरधनसिंह)

लगाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम मिट्टी नहीं ले जा सकते। जो अब तक स्थिति चली आ रही है उसके आधार पर विरोधी दल के माननीय सदस्य उस स्थिति को कायम रखना चाहते हैं ऐसा मालुम होता है, क्योंकि यदि उनके दिल में हरिजनों और गरीबों के उत्थान की भावना होती तो वे इस पर कभी आपत्ति प्रकट नहीं करते, लेकिन समझ में नहीं आता कि वे आपत्ति क्यों करते हैं।

दूसरी बात, जो पूर्व वक्ता महोदय ने कही कि हरिजनों की भी यदि कोई प्राइवेट संपत्ति हो तो वे भी अपने से नीचे वालों को वहां नहीं जाने देते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हरिजन कभी इन्कार नहीं करते और दूसरी बात यह है कि उनके कोई संपत्ति है ही नहीं......

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ऑन दि पोइन्ट ऑफ सजेशन, मेरा निवेदन यह है कि यदि आप भी किसी यादव के मंदिर में एक स्वीपर को या दूसरे हरिजन को ले जावें, आज भी तो मैं चेलेन्ज करता हूं।........

श्री गोवरधनसिंह केन : (जारी) अध्यक्ष महोदय, मैं चेलेन्ज स्वीकार करता हूं इस बात के लिये कि कहीं भी हरिजनों का कोई मंदिर या और भी कोई चीज़ हो और उसमें मेहतर को या और किसी को जाने से रोका जाता हो तो।........

श्री अर्जुनदास : आप शायद हरिजन की डेफीनिशन नहीं जानते हैं?

श्री सूबेदारसिंह : मेरे यहां कनेक्सर गांव में यादवों का एक मंदिर है जिसमें मेहतरों को नहीं जाने दिया जाता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कुछ और है आप कहीं और ले जा रहे हैं।

श्री अर्जुनदास : The Hon'ble Member does not know the definition of 'Harijan'.

श्री अध्यक्ष : ऑडर प्लीज।

श्री गोवरधनसिंह केन : (जारी) इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो संशोधन है उसे हृदय से स्वीकार करना चाहिये न कि उस पर आपत्ति उठानी चाहिये। जहां हरिजनों पर आपत्ति आती है वहां पर यदि वे हरिजनों के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो क्लॉज ५ पर आपत्ति नहीं करते, लेकिन जो संशोधन है जिससे स्पष्ट है कि हरिजन और जो दूसरे गरीब आदमी हैं उनको इससे राहत मिलेगी। जिनके पास इस प्रकार की संपत्ति है उनके पास जाते हैं। भरतपुर में एक प्राइवेट मंदिर है जो रोड पर है, लेकिन उसमें किसी को नहीं जाने दिया जाता है और भी कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें नहीं जाने दिया जाता। जब मंदिर में भगवान विराजते हैं तो वहां तक जाने के लिये आप किसी पर प्रतिबन्ध क्यों लगाते हैं? इस संशोधन को तो एक मत से पास करना चाहिये ताकि पोखर, तालाब आदि से मिट्टी लेजाने का एक आम अधिकार हरिजनों का हो जावे और यदि यह क्लॉज पास नहीं होती है तो हरिजनों को इस प्रकार का अधिकार नहीं मिलता, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि एक मत होकर इसको पास करना चाहिये।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में क्लॉज़ ५ पर बहस चल रही है और इस

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

पर कई माननीय सदस्यों ने तथा राजस्व मंत्री जी ने संशोधन उपस्थित किये हैं। मैं कल से माननीय सदस्यों की बहस सुन रहा था और मुझे यह जानकर कुछ आश्चर्य सा होता है कि प्राइवेट या जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसके संबन्ध में या मंदिरों के संबंध में सदन के सामने एक संशोधन भी है और एक क्लॉज़ भी है, लेकिन जिस तरह से बहस चल रही है उसे सुनकर कुछ आश्चर्य होता है। व्यक्तिगत संपत्ति जहां तक इस क्लॉज़ में है वहां यह कहा गया है कि यदि किसी बिस्वेदार या जमींदार की व्यक्तिगत संपत्ति है तो वह उसकी रहेगी और साथ में यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्तिगत मंदिर या मस्जिद जमींदार या बिस्वेदार की है, तो वह उसके साथ रहेगी लेकिन साथ ही साथ एक प्रोविज़ो इसमें और एड करने का एक संशोधन द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति में या मंदिर मस्जिद में किसी व्यक्ति विशेष का हक है, तो जिस दिन तक है वे उनके रहेंगे। मैं समझता हूं कि यह संशोधन नितान्त आवश्यक है। श्री मानजी, आप देखेंगे कि व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति होती हैं. लेकिन अगर गांव के लोग या काश्तकार भी उसका प्रयोग करते हैं या करते आ रहे हैं, तो उस पर उनको भी राइट हो चुका है, आप ईज़मेन्ट के जरिये भी यह राइट ले लीजिये। तालाब या मंदिर के लिये यह कहा जाय या जमींदार या बिस्वेदार कहता है कि यह मेरा व्यक्तिगत है और गांव के लोग भी यह कहते हैं कि इसमें हमारा आना-जाना भी है, तो आप उनको क्यों रोकते हैं वहां जाने से और क्यों वंचित करते हैं उनका उपयोग करने से ? लेकिन क्योंकि आपने एक्ट में प्रोविज़न कर दिया कि धार्मिक संपत्ति भी जमींदार व बिस्वेदार की रहेगी, लेकिन आप दूसरों के हक पर भी कुठाराघात नहीं करेंगे। श्रीमान् यह कहा जा सकता है कि यह दुर्भाग्य है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात नहीं है। आज घरों में इतने बड़े साधन उपलब्ध नहीं किये जा सकते कि हर चीज का रेकॉर्ड रखा जाय। लोग कहें कि यह हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है। मान लीजिये एक नोहरा है या अन्य सार्वजनिक स्थान है जिसे गांव के लोग भी काम में ले रहे हैं, लेकिन जमींदार या बिस्वेदार कहता है कि यह हमारी चीज़ है, हमीं इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि जो एक्ट बनाया है उसमें इसे हमारी संपत्ति घोषित कर दिया है, लेकिन गांव के लोगों को कहना पड़ेगा कि इसका उपयोग हम करते आये हैं इसलिये हमको इसका उपयोग करने का हक है। इसलिये इस प्रोविज़ो के द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि यदि किसी चीज़ पर किसी व्यक्ति विशेष का हक है तो उस पर उसका हक रहेगा, लेकिन यदि उसको दूसरे लोग भी उपयोग में लाते रहे हैं तो वे भी इसका उपयोग कर सकेंगे।

इसी प्रकार धार्मिक संस्थाओं को ले लें। श्रीमानजी, धार्मिक संस्थाएं मंदिर, मस्जिद आदि हैं उनके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि इस प्रकार का प्राविज़ो रखा जाय। कारण यह है, श्रीमानजी, कि हमने धार्मिक संस्थाओं के लिये एग्जेम्पशन दिया है। आप जमींदार, जागीरदार और किसी की संपत्ति को लीजिये लेकिन धार्मिक संस्थाओं के लिये विशेष चीज रखी है, यद्यपि इसमें नहीं रखी है, लेकिन जागीरदारी एबॉलिशन बिल में रखी है। यदि आप उनके लिये कोई चीज नहीं लेने जा रहे है और इन धार्मिक संस्थाओं के लिये आज ऐसा है कि ज़मींदार या बिस्वेदार कह सकते हैं कि यह संपत्ति मंदिर और मस्जिद

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

यह मस्जिद के पीछे है और मस्जिद के पीछे होने के कारण उसका रिज़म्शन नहीं हो सकता। ऐसा अमेंडमेंट आज न हो, लेकिन कल आ सकता है और आपको लाना पड़ेगा, जिस समय सरकार के सामनें वैसी परिस्थिति पैदा होगी। आपने जागीरदारी एक्ट के अन्दर धार्मिक संस्थाओं के लिए एग्जेम्प्शन रखा है, तो जरूरी इस वक्त था कि गजस्व मन्त्रीजी एग्जेम्प्शन करते। उनके हित के लिए एक्जेम्प्शन नहीं रखतें हैं, तो यह परिणाम होने वाला है कि वें कहें कि यह प्रोपर्टी, जो दूसरे काश्तकार की होल्डिंग में है, वह धार्मिक संस्थान के पीछे थी और इसलिए इस पर हमारा अधिकार हो चुका है या बिस्वेदार या जमींदार का अधिकार हो चुका है। इसलिए यह नितान्त आवश्यक है कि उन लोगों के हितों को, जो गांव के रहने वाले हैं, काश्तकार हैं, उनके हकों को सुरक्षित रखा जाय। यह कहना जरूरी है कि जहां कहीं भी हक गांव के लोगों के हैं, उनको समाप्त नहीं किया जायगा। इसलिए, श्रीमान्, मेरा कहना है कि जो प्रोविज़ो रखा गया है, यह इस बात को स्वीकार करता है कि बिस्वेदारी समाप्त करना चाहते, जमींदारी को समाप्त करना चाहते हैं, और जब सरकार एक डिस्ट्रिक्ट लाइन करने जा रही है, तो यह जरूरी हो जाता है कि यह बतावें कि यहां तक लाइन खींची जा रही है, ये ये व्यक्तिगत सम्पत्ति होंगी, अगर व्यक्तिगत सम्पत्ति में धार्मिक संस्था आ जायं तो उस पर व्यक्ति-विशेष का हक होगा। यदि गांव के आदमी उस व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति को काम में ला रहे हैं, गांवों के लोगों द्वारा कहा जाय कि यह मकान उसने बनवाया था, लेकिन यह सार्वजनिक प्रयोग में लाया जाता था। यह प्रश्न अदालत के सामने जाय तो उसमें शहादत दे सकते हैं, २० आदमी कहते हैं कि सार्वजनिक प्रयोग में आती है, लेकिन बिस्वेदार कहे कि इसमें नहीं आती है। तो इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सकती है। इस प्रोविजो द्वारा ज्यादा झगड़े पैदा होंगे और जिन लोगों को राहत देने की बात आप करते हैं, उनको राहत नहीं दे सकते हैं। इस लिए इस प्रोविज़ो हटा देने की नितान्त आवश्यकता है।

दूसरी बात कहना चाहता हूँ श्रीमान सब-क्लॉज़ २ में है : "...all tanks, ponds and embankments belonging to and held by the zamindar or biswedar or any other person..." इस क्लॉज़ के लिये मेरी प्रार्थना है कि इसे नहीं रखना चाहिये, इसे हटा देना चाहिए क्योंकि, श्रीमान, इसे रखेंगे तो झगड़े पैदा होंगे। इसमें आपने लिखा है कि यदि काश्तकार के हक पैदा हो गये हैं, यदि किसी दूसरे व्यक्ति के हक हैं, तो वे हक सुरक्षित रखें जायेंगे। वे पोन्डस, टैक्स वगैरह व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रहेंगे। जहां तक व्यक्तिगत सम्पत्ति और धार्मिक संस्थान हैं उनको व्यक्तिगत प्रोपर्टी डिक्लेअर करा सकते हैं। लेकिन जहां तक तालाब का सवाल है, आपको गांवों के अन्दर कई बड़े बड़े तालाब मिलेंगे, जिनके लिए वे कहेंगे कि उन पर गांव के लोगों का हक नहीं है, इर्रिगेशन का राइट नहीं है। यह ठीक है कि जहां पर्मानेन्ट सैटिलमेंट हो गया हैं; वहां रिकॉर्ड में मिल जायगी; लेकिन बहुत से स्थान हैं जहां रिकॉर्ड नहीं हो सकता; पर्मानेन्ट सैटिलमेंट हुआ है, उस समय रिकॉर्ड में लिखा नहीं गया, कई जगह नहीं लिखा गया है बावजूद इसके कि डाइरेक्शन थे, इनका रिकॉर्ड रखने के लिये। जब कि आपने टैक्स वगैरह का क्लासिफिकेशन कर दिया है कि तालाब के

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

ऊपर सरकार का आधिपत्य रहेगा, जहां जल इकट्ठा होगा, वहां इर्रिगेशन का राइट रखना चाहिए। मेरी प्रार्थना है और मैं राजस्व मंत्री से प्रार्थना करूंगा, कि जहां तक तालाब वगैरह का सवाल है, उसको सरकार के अन्दर घोषित कर देना चाहिए। इन पर उन लोगों का हक हो, यह बात किसी प्रकार ठीक नहो है। ज्यादा से ज्यादा आप बिस्वेदार और जमींदार को उनका मुआवजा दे दीजिये, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन उस पर हर एक के राइट रखना जरूरी है। मैं जानता हूँ कि अजमेर एरिया में इस समय दो-तीन स्थान ऐसे हैं, जहां झगड़े चल रहे हैं, वहां इस्तमुरारदार, जागीरदार या दूसरे आदमी हैं, वे कहते हैं कि हमारा हक है पानी पर, क्योंकि इस जमीन पर हम खुद काश्त करते चले आ रहे हैं और वह उस तालाब को खाली कर देता है। गाव के लोगों का इर्रिगेशन का राइट है, गांवों के लोग जमीन की आबपाशी उससे करते चले आ रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड मिलता नहीं है। क्योंकि जमींदार या बिस्वेदार को खेती करनी है, वह उसका पानी खाली करना चाहता है और पानी खाली करके उसे बरबाद कर देता है। यह नहीं कि वह काश्तकार को पानी दे, वह उसे खाली कर देता है और उस जमीन को खुदकाश्त डिक्लेअर करवा सकता है और उस को बोने के लिए, उसमें पैदावार बढ़ाने के लिए अपना फायदा करने के लिए सारे पानी को बरबाद कर देता है और जिन काश्तकारों को उस तालाब से पानी आबपाशी के लिए लेने का हक है, उनको नहीं देता। वहां सरकारी अधिकारी जाकर यह प्रयत्न करते हैं कि पानी को बरबाद नहीं करने दिया जाय, परन्तु उसने पानी बरबाद कर दिया। इस प्रकार झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सब-क्लॉज २ जो रखा है, उसको समाप्त कर दें और जो तालाब वगैरह हैं, वे किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं समझे जायंगे। प्रोविजो के अन्दर जो है, उससे काश्तकार पूरा फायदा नहीं उठा पायेंगे। इसलिए यह प्रार्थना है कि क्लॉज़ ५ के सब-क्लॉज़ के पार्ट २ के साथ जो प्रोविजो रखा है, उसको हटा दें, ताकि झगड़े कम हों। सरकार को उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा, जहां आपने लाखों और करोड़ों की सम्पत्ति मुआवजे के रूप में दी है, वहां कुछ और दे दें और पोन्ड्स एम्बेंकमेंट्स के लिए भले ही रखें, लेकिन जहां तक टैक्स का प्रश्न है, वे व्यक्तिगत सम्पत्ति के अन्दर नहीं होने चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री) : माननीय अध्यक्ष इस क्लॉज़ पर कई माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट्स पेश किये हैं, खास तौर पर दो पॉइन्ट के ऊपर, एक तो मेरा खुद का अमेंडमेंट है, जिसके द्वारा बिल के क्लॉज़ ५ में पार्ट बी में एडीशन किया है और एक प्रोविजो एड करना है। पार्ट २ के अन्दर जो एड किया है, उस पर काफी कन्ट्रोवर्सी इस सदन में हुई; माननीय सदस्यों ने विरोध और समर्थन किया। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि मेरे इस संशोधन की मन्शा कुछ माननीय सदस्यों ने सही तरीके से नहीं समझी। इस संशोधन के जरिये न तो कोई हरिजन को राइट मिल रहा है; न राइट छीना जा रहा है। ख्वामख्वाह एक कन्ट्रोवर्सी सदन में खड़ी हो गई है कि जैसे किसी को मन्दिर में आने का राइट दिया जाता है; किसी से राइट लिया जाता है। यह इस अमेंडमेंट की भावना नहीं है। जो इसकी मन्शा है, जैसा कि मेरे से पूर्व; ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जितनी भी प्लेसेज ऑफ वर्शिप हैं, कुएं हैं,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जो जागीरदार के हैं, उनको पर्सनल प्रोपर्टी डिक्लेअर कराने का राइट दिया है। यह राइट जागीरदारी रिजम्प्शन एक्ट में है, इस प्रकार के प्रोविजन्स उसमें हैं, ये प्रोविजन्स अजमेर के कानून में भी है, दूसरी जगह भी जितने रिजम्प्शन एक्ट्स हैं, उनमें इस तरह के प्रोविजन्स हैं और जो प्राइवेट प्रोपर्टीज हैं उनको डिक्लेअर कराने का अधिकार इस स्पेशल कानून के जरिये दिया जाता है। इसी प्रकार जितने भी जागीरदार, जमींदार, यहां हम जमींदारों से डील करा रहे हैं, उसके प्रोविजन्स के जरिये, अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप कूए उसकी प्राइवेट प्रोपर्टी में हैं, उनको डिक्लेअर करा सकता है। यह मैंने अमेंडमेंट रखा है, उसका मतलब यह नहीं है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप के अन्दर किसी को राइट देने की मन्शा है, या कोई नया राइट दे दिया जायगा, अगर कोई मकान में मन्दिर है, उसमें दूसरों को राइट दिया जा रहा है। मेरी मन्शा यह है कि प्राइवेट प्रोपर्टी डिक्लेअर करने के बाद यह नहीं होना चाहिए कि किसी प्रकार के राइट एग्ज़िस्ट कर रहे थे, तो जिस तारीख को एक्ट एन्फोर्स होता है, उस तारीख को जो हक थे, वे हक जायज नहीं होने चाहिए। सिर्फ इसलिए इस स्पेशल लॉ, में, उस सेम्पल को इस कूए को, जिसे प्राइवेट प्रोपर्टी डिक्लेअर कर लिया है मैं नही कहता कि हक नहीं है। तो हक मिल जायेंगे, उसके हक हैं। इसलिए हम जागीर रिजम्पशन कर रहे हैं, जमींदारी रिजम्प्शन कर रहे हैं, तो जमीदारी रिजम्प्शन करने के बाद जमींदार को स्पेशल राइट दिया है, इसमें लगाई गई कन्डीशन्स के अनुसार जो प्रोपर्टी पर्सनल प्रोपर्टी है, उसको वह डिक्लेअर कर सकता है। डिक्लेरेशन का नाजायज फायदा नही होना चाहिए, कि उस प्रोपर्टी से उन लोगों का राइट छीना जाय, जो पब्लिक का, उन लोगों का राइट है, जो एन्जॉय कर रहे हैं, उस तारीख को, जिस को यह बिल एन्फोर्स होता है, यह इस बिल की मन्शा नहीं है कि जिनके राइट पहले नहीं थे, वे राइट क्लेम करने लग जायं। यह सवाल नहीं है कि जिसके कारण इस प्रोविजन को करने की आवश्यकता महसूस हुई। माननीय सदस्य, जो श्री माधोपुर आने वाले हैं, उन्होंने टीका टिप्पणी की।

मैं माननीय अध्यक्ष डेलिब्रेशन्स करना जरूरी है पर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो स्पीचेज हों रेगुलेटेड हों, स्पीचेज का स्टेन्डर्ड होना जरूरी है, अगर लॉ बनाने के लिये डिबेट कर रहे हैं, तो कानून पर जो अमेंडमेन्ट्स हैं, उन पर बहस करनी चाहिये, न कि पर्सनल रिमार्क करें कि अमुक रेवेन्यु मिनिस्टर अमुक चीज अमुक धारणा से रखता है, इस सदन की प्रतिष्ठा के लिये मैं आपका प्रोटेक्शन सीक करता हूँ कि इस सदन की प्रतिष्ठा के लिये इस प्रकार के इर्रिलेवेन्ट डिस्कशन करने के लिये इजाजत न दिया करें।

क्यों मुझे ऐसा अमेन्डमेन्ट की लाने जरूरत पड़ी...........

श्री भैरोंसिह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ एक्स्प्लेनेशन सर, अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने जिस प्रकार का एक्सपर्शन लिया है इसके लिये में ऑब्जेक्शन रेज करता हूं। उन्होंने कहा कि सदन में डिबेट का स्टेन्डड होना चाहिये वह नहीं रहा ....

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैंने नहीं कहा है, कभी नहीं कहा है।...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने यह कहा है

(श्री अध्यक्ष)

कि कानूनी बहस होनी चाहिए ज्यादा तर।

श्री भैरोंसिंह : On a point of explanation Sir, कानूनी बहस ही हो रही है, उनकी बात नहीं कही जाय इसके लिये we are not observing the standard of the debate.........

श्री दामोदरलाल व्यास : I only requested the Chair to regulate the debate.

श्री भैरोंसिंह : I object to his aspersion towards the House. उन्होंने यह कहा कि हाउस की डिबेट का स्टेन्डर्ड जैसा होना चाहिये वैसा नहीं रहा है, इससे इम्प्लाइट है कि हाउस की डिबेट का स्टेन्डर्ड अच्छा नहीं रहा, तो यह हाउस के लिये एक्सपर्शन है..............

श्री अध्यक्ष : एक्सपर्शन का तो सवाल नहीं।

श्री भैरोंसिंह : पूरे हाउस का एक्सपर्शन है कि डिबेट का स्टेन्डर्ड अच्छा नहीं रहा।...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा कि व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : Minister represents the Government, दामोदरजी का नाम लिया जाता है तो यह नहीं कि उनसे प्रेम है, व्यक्तिगत हैसियत से उनका नाम नहीं लिया जाता।

श्री अध्यक्ष : जहाँ तक गवर्नमेन्ट की पॉलिसी का सवाल है, इस प्रकार के कानून का सवाल है, माननीय राजस्व मन्त्रीजी की यह मन्शा नहीं थी कि इस तरह का एक्सपर्शन डिबेट के बारे में कहा जाय। वह तो यह चाहते हैं कि कानून जल्दी पास हो जाय, और आप सहयोग दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कहा कि कानून की कानून के तौर पर बहस करें, माननीय सदस्य और कुछ समझ गये हैं तो गलतफहमी में हैं।

माननीय अध्यक्ष, अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि क्यों मुझे ऐसा अमेन्डमेन्ट लाने की जरूरत पड़ी। शायद माननीय सदस्य को पता नहीं, मिसाल के तौर पर राजस्थान के एक जिले में ऐसी मिसाल आई है कि एक जागीरदार साहब ने जागीर कमिश्नर के यहां से, एक कूंए को पर्सनल प्रोपर्टी में डिक्लेरेशन करवाया, पंचायत के पास वह नोटिस गया, उस पंचायत के सरपंच उनके पुत्र ही थे उन्होंने उस नोटिस को अपने पास रख लिया, मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि उस गांव में वही सिर्फ कूआं है, जहां से सारे गांव के लोग पानी पीते हैं। उसको पर्सनल प्रोपर्टी में डिक्लेअर कर दिया, लिमिटेशन की मियाद खत्म हो गई, तो उन्होंने गांव वालों को पानी पीने से रोक दिया, मैं जानना चाहता हूं कि.............

श्री भैरोंसिंह : इस अमेन्डमेन्ट के जरिये उस जागीर क्षेत्र में पानी नहीं पी सकेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : Mr. Speaker, Sir, I do not want interruptions like this. वहां नहीं पी सकेंगे तो वैसे केसेज यहां जमींदारी एरिया में भी एराइज हो सकते हैं। वहां क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे यह यहां कहने की बात नहीं है। पर इसमें जो पर्सनल प्रोपर्टी में डिक्लेअर करा लेते हैं, तो उनको

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बन्द कर सकते हैं। इसलिये मैंने इस अमेन्डमेन्ट के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। कोई ज़मींदार अपने कूओं को और अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप को पर्सनल प्रोपर्टी डिक्लेअर करवाये तो वह करवा सकता है पर इसके माने यह नहीं कि पब्लिक को उसके खिलाफ सिविल सूट दाखिल करने का अधिकार है, वह नहीं रहा। उनके हैं तो वे उन्हें पर्सनल प्रोपर्टी में डिक्लेअर करायें। दिस इज माइ पर्पज़। मैंने यह नहीं कहा कि जिनको राइट नहीं है वे भी राइट क्लेम कर सकेंगे। जैसे किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने ऐतराज किया था कि सिविल सूट ले करने के राइट्स हर एक को मिले हुए हैं। उसकी जो चीज है उसको प्राइवेट प्रोपर्टी डिक्लेअर कराने का राइट इसमें रखा है....Only for the purpose of clearing any doubts that may arise. कि इस प्रोविजन से जो डाउट्स अराइज की जायं पर्सनल प्रोपर्टी डिक्लेरेशन करने के बाद सिविल सूट दायर करने का राइट नहीं रहता वह नहीं है, यह राइट तो हर एक को हासिल है। इसकी मन्शा यह नहीं है कि कोई प्लेस ऑफ वर्शिप उसकी परर्सनल प्रोपर्टी में है, कूआं उसकी पर्सनल प्रोपर्टी में है, तो उसको वह पर्सनल प्रोपर्टी डिक्लेअर करा सकता है, यह नहीं कि हर किसी मामले में कलेक्टर बैठेगा और इन्क्वायरी करेगा। अगर उसमें किसी प्रकार का पब्लिक का राइट है, कूए में या मन्दिर में तो सिविल कोर्ट में चाराजोई करते हैं, तो पर्सनल प्रोपर्टी का डिक्लेरेशन इसमें दखल नहीं देगा। उसकी चीज को वह पर्सनल प्रोपर्टी डिक्लेअर करवाता है तो इसके माने यह नहीं हुए कि सारी दुनियां के राइट्स उसके पर्सनल प्रोपर्टी डिक्लेअर कराने से खत्म हो गये।

अपने राजस्थान में ऐसा केस आया है और बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं कि कहां का केस है। इस प्रकार नहीं सोचना चाहिये कि इस प्रकार के केसेज़ दूसरी जगह भी नहीं हो सकते। इस स्पिरिट से इसको पेश किया है ऐसी बात नहीं है कि कलेक्टर को कोई नये पॉवर दिये जा रहे हैं या हरिजनों को नये पॉवर दिये जा रहे हैं। यह तो ख्वाम खाह की कन्ट्रोवर्सी यहां पैदा हो गई। पर्सनल प्रोपर्टी के डिक्लेरेशन से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि सिविल सूट्स के राइट्स हैं वे खत्म हो जाते हैं। इसकी यह मन्शा नहीं है।

एक ज्यादा कन्ट्रोवर्सी का इश्यू बना है कि जमींदारों के टैंक्स हैं उनको वे अपनी पर्सनल प्रोपर्टी में डिक्लेरेशन करवा सकते है। माननीय सदस्यों ने यह मन्शा जाहिर की है कि यह डिलीट होना चाहिये, इसका कारण यह दिया कि जमींदार उक्त तालाबों में काश्त करने के लिये पानी को खोल कर निकाल देते हैं और जो पानी इर्रिगेशन के काम में आ सकता है, वह वेस्ट जाता है और इससे नेशन को लॉस होता है, इसलिये ऐसा प्रोविजन नहीं रहना चाहिये।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यदि आप इस प्रोविजन को देखते हैं, एक बीघा जमीन भी आप अगर साबित कर दें कि उस तालाब से कोई व्यक्ति आबपाशी करता है, तो वह पर्सनल प्रोपर्टी में नहीं होगी। तो जो टैंक इर्रिगेशन के काम में आता है वह उसकी पर्सनल प्रोपर्टी नहीं हो सकती, जो विलेज साइड पर है, गांव के लोगों के नहाने धोने के काम में, वह टैंक आता है, तो वह उसकी पर्सनल प्रोपर्टी नहीं हो सकती। किसी ने खुदकाश्त के लिये अपनी जमीन में नाला बनाया है, खुद की जमीन का इम्प्रूवमेंन्ट करने लिये,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

छोटा-मोटा तालाब बनाया है, ऐसे तालाब को उसकी पर्सनल प्रोपर्टी शुमार नहीं करना, कोई न्याय की बात नहीं होगी ।

कोई इर्रिगेशन टैंक है, उसको पर्सनल प्रोपर्टी में जमींदार शुमार करा लेवे, तो यह बात तो ऐसी है कि एक प्रोपर्टी को दूसरा आदमी अपने नाम पर दर्ज कराले को कई दूसरे तरीके इसके लिये हैं ।

१ बजे म० प०

कानून के अन्दर इसमें भी क्लेक्टर को पॉवर्स दिये गये हैं कि अगर दर्ज करा लें तो उसको सही करा सकते हैं । आज यह कुछ मुश्किल नहीं है । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बहुत मुश्किल होगा । मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान बनने के बाद में हर जगह का रेकॉर्ड बना है । खसरे में एक कोलम होता है जिसमें जरिया आबपाशी क्या है उसका उल्लेख किया हुआ होता है । इससे पता चल सकता है कि कहां पर कुआं है, कहां पर बांध है और कहां पर तालाब है ; इसलिये मैं यह कहूँगा कि इसका पता लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि आया वह इर्रिगेशन टैंक्स (Tanks) हैं या नहीं । अगर गलत फैसला हो गया और उसमें सबूत पहुँचाना होगा तो रिकार्ड सैटिलमेंट या लैन्ड रेकार्ड से प्राप्त किया जा सकता है और उन एन्ट्रीज़ का मिलना मुश्किल नहीं है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है । इसके अलावा कुछ दूसरे अमेंडमेंट्स हैं । एक अमेंडमेंट जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किया है वह तो जैसा मैंने, अपना अमेन्डमेंट पेश करते हुए कहा कि उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, "Substitute the words 'possessed by' for the words 'purchased by' occuring in part (a) of sub-clause (1). जैसा मैंने कल अर्ज किया जब जमींदारी रिज्यूम कर रहे हैं, तो आबादी की जमीन है वह रिवर्ट स्टेट को होनी चाहिये । माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि स्टेट को रिवर्ट होती है या नहीं बल्कि टेक्निकली यह है कि 'purchased by' अगर हम 'possessed by' लिख देते हैं तो 'possessed by' का शब्द रखा है जितने भवन हैं वे उनके हैं और जो उन्होंने खरीदे हैं उनको हमें नहीं लेना चाहिये । उसको हमने एग्जेम्प्ट किया है, यह उनके हित में है । इसको कर देने से जमींदारी रिज्यूम का मतलब खत्म हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ 'ए' का असर क्लॉज़ 'बी' पर पड़ता है ।

श्री बृजमोहनलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि जरिये आबपाशी में ऐसा है । लेकिन मारवाड़ में जहां पर तालाब नहीं हैं और वहां पर कुए और तालाब पानी भरने के काम में आते हैं वहां अगर ऐसा होता है तो वहां पर रेकॉर्ड नहीं मिलेगा और न उनको राइट्स मिलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अगर नहीं मिलें, तो अपने राइट्स प्रूव करें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : In Alwar there is no Biswedars you see And in such areas where there is desert and where we have tank and pond system of irrigation, there we do not have biswedari.

श्री बृजमोहनलाल : मेरे कहने का

(श्री बृजमोहनलाल)

मतलब यह था कि कोई स्थान अगर ऐसा होगा वहां पर क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : We cannot suppose a thing which does not exist. We must know that Biswedari system does not exist in a desert area. If you can point out to me any such area, I will see.

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ 'ए' का असर क्लॉज़ बी पर पड़ता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : My amendment Sir ?

In part (a) of sub-clause (1)···

क्लॉज़ 'ए' का अमेंडमेंट है उसको मुलाहिजा फर्मा लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : मतलब यह कि जो साइट होंगे और पर्चेज़ किये हुए होंगे, उन पर मकान बनेंगे तो उनके होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : सेकिन्ड मेरा जो एमेंडमेंट है उस पर विचार करें : In part (b) after the words "all private buildings", the words "and all" be added.

इसका मतलब यह होगा।

श्री अध्यक्ष : इससे मतलब हल हो जाता है।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेंडमेंट था, अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ने आपत्ति उठाई उससे अवलंबित है और उसका हल हमारे राजस्व मंत्री ने इस प्रकार निकाला है कि वे 'all private bldgs इससे अलग कर देते हैं all private buildings and all places of worship or wells situated in such house sites as are mentioned in clause (a) and··· तो इसका अर्थ यह होगा कि प्राइवेट बिल्डिंग्ज़ तो बाहर हो जाते हैं, लेकिन places of worship or wells ऐसी जमीन पर होंगे जो उनकी खरीदी हुई होगी। लेकिन प्राइवेट कहीं भी होगी, मानी जावेगी। ऐसा आपका नया संशोधन है। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि शायद मुझे कल की बहस में ऐसा अनुभव हो रहा था कि जमींदारी और बिस्वेदारी का जो अर्थ सदन के सामने लगाया गया, वह कुछ और तरीके से लगाया गया। वे लोग यह समझ बैठे हैं कि बिस्वेदारों और जमींदारों के बड़े बड़े महल होंगे, उनकी कई कोठियां होंगी, उनके कई तालाब होंगे, कई बांध होंगे और न मालूम क्या क्या चीजें उनकी होंगी। इस दृष्टिकोण को लेकर जब मैं लॉ डिपार्टमेंट से बात कर रहा था मुझे ताज्जुब हुआ कि लॉ डिपार्टमेंट के लोगों ने भी यू० पी० जमींदारी और अजमेर जमींदारी एबोलिशन एक्ट को ले कर मेरे सामने रख दिया। मैं समझता हूं कि अजमेर के बिस्वेदारों और यू० पी० के जमींदारों और बिस्वेदारों में रात-दिन का फर्क है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप उधर के बिस्वेदारों और जमींदारों को देखें तो आपको मालूम होगा कि उसके मुकाबले में इनके पास १ प्रतिशत भी खेत और बिल्डिंग्ज़ नहीं होंगी। मतलब यह है कि यहां बिस्वेदार हैं ६० पर्सेन्ट और ४० पर्सेन्ट दूसरे लोगों की जमीन है। यू० पी० आदि के जमींदारों का प्रश्न उठाया जावे तो आपको मालूम होगा कि वहां पर एक एक के पास ५०० गांव मौजूद हैं। यहां पर एक गांव में १००, २०० और ४०० बिस्वेदार

(श्री रघुवीरसिंह)

होते हैं। उन लोगों के कुछ झोंपड़े होते हैं, जहां पर उसके पास उनके मवेशी को बांधने के लिये बाड़े होते हैं और घास रखने के लिये स्थान होता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जब यह धारा लागू होगी, तो चूंकि उन्होंने उस जमीन को खरीदा नहीं है उनकी नहीं रह सकेगी। यह आपकी मंशा होगी और क्या होगा। इसका अर्थ तो स्पष्ट यह होगा कि जो खरीदी हुई जमीन है वही उनके पास रहेगी या जो उनके प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं वे उनको मिल जावेंगे। लेकिन जो उनकी गुवाड़ी है या जहां पर वे अपने ढोर बांधते थे और चराते थे वहां की जमीन है, घास रखने की जमीन आदि जो भी होगी वह तो उनके पास नहीं रह सकेगी। वह तो उनसे ले ली जावेगी, यह कैसा अँधेर होगा कि उनको गांव में अपने जानवरों को रखने के लिये जगह नहीं मिलेगी, यह कौन सा प्रोविज़न है? मेरी समझ में नहीं आया जो उनके हित में होगा।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह मेरा अमेन्डमेन्ट है वह सही है। आप यदि ऐसा ही करना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि एक्चुअल पजेशन या फिजिकल पजेशन में जो उनकी जमीन हो वह उनको दे दी जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जरा इसके, पार्ट ३ को पढ़ें तो आपको मालूम हो जावेगा।

श्री रघुवीरसिंह : देख लिया है। 'ए' के पास १० खेत पड़े हैं...

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है।

श्री रघुवीरसिंह : वे उसमें नहीं रह सकते हैं। उसको कल्टीवेशन शेड से बेदखल होना पड़ेगा क्योंकि उसने उनको खरीदा नहीं है। वह उसको खरीद नहीं सकता था, क्योंकि वह स्वयं उसका मालिक था, वह खरीदता तो किससे खरीदता, इसलिये खरीदने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आप बिस्वेदारों के हकूकों को देखें तो आपको मालूम होगा कि सारी जमीन पर उनका हक था, इसलिये वे उस जमीन को किससे खरीदते। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि 'purchased by' के स्थान पर 'possessed by' कर दिया जावे। मैं यह कहूँगा कि जिस जमीन का वे निजी रूप से भोग कर रहे थे, उस जमीन से उनको नहीं निकाला जाना चाहिये। बस इसी से मुझे संतोष होगा, नहीं तो मैं यह समझूंगा कि आप उन लोगों की बहुत खराब स्थिति कर रहे हैं। और उनकी ऐसी स्थिति हो जावेगी कि वे गांव में रह नहीं सकेंगे। जो एक दिन गांव के धनी थे आज आप उनके लिये यह कहते हैं कि खरीदी नहीं, इसलिये वे उस पर काबिज़ नहीं रह सकते, यह उचित नहीं है। आप उनको दर दर के भिखारी करना चाहते हैं। आप यह बतावें कि यह कौन सा इन्साफ है। यह आप का कौन सा न्याय होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के चौधरी।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, I had not yet finished. It was an Interruption and I just explained. मैं अभी समाप्त नही कर चुका हूं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : जहां तक प्राइवेट बिल्डिंग्स का प्रश्न है वह दिक्कत आयगी नहीं लेकिन जहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप है....

Page No.44

श्री रघुवीरसिंह : मैं तो अर्ज करता हूं कि केटल शेड्स होंगे, बाड़े होंगे, जहां मकान बने हुए नहीं हैं, वहां बड़ी भारी दिक्कत आयगी ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यदि आपका अमेन्डमेन्ट मंजूर किया जाय तो जमींदारी एक्ट के लागू होने के एक दिन पहले ही कब्जा कर लेंगे तो वह माना जायगा ।

श्री रघुवीरसिंह : उसमें यह नहीं लगाया हुआ है कि किसी से खरीदा हुआ है । किसी से खरीदने का तो प्रश्न नहीं उठता, उसी की वह प्रोपर्टी थी, वह सारा गांव ही उसी का था वह कानून के अन्तर्गत उसको खरीद नहीं सकता था और खरीदना उसके लिए असम्भव भी था । जो उसका कब्जा है, फिजिकल पजेशन है उसको आप मान लीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह ज्यादातर गलतफहमी है । मेरी मंशा से तो इसका सही इन्टरप्रिटेशन निकलता है और यदि नहीं निकलता तो आप बताते तो लॉ डिपार्टमेन्ट से पूछ कर उसको और भी साफ कर लेते । इसलिए आपके जो एप्रीहेन्शन्स हैं वे वैल बेस्ड नहीं है ।

श्री रघुवीरसिंह : आप इसको प्रेक्टिकल वे में सोचिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी) मैं कहता हूं वह आप पहले समझ लीजिये, वह आप सुन लीजिये पहले और यदि मेरी बात फिर भी आपके समझ में नहीं आवे तो आप यदि कॉन्क्रीट सजेशन देंगे तो मैं उसको मान लूंगा । बिल्डिंग्स में यह डेफिनिशन नहीं है कि पक्का है, महल बने हुए हैं तब ही बिल्डिंग मानी जावेगी । डिक्सनरी से इसका मतलब लिया जावेगा कि वाट इज दी बिल्डिंग । चहार दीवारी में मकान बना लिया है तो शुमार होगा । उसकी वह प्राइवेट प्रोपर्टी होगी । मंदिर बना रखा है, कुआं बना रखा है उसमें कोई मनाई नही है । केटल शेड्स बना रखा है उसकी मनाई नहीं है, जिस जमीन पर मकान बने हुए है, केटल शेड्स बने हुए हैं, उनसे उनको निकाल दिया जावेगा, इस प्रकार का एप्रीहेन्शन नहीं रखना चाहिये । हाऊस साइट्स की वहां इजाजत दी जा सकती है जो उसने खरीदी है । जागीरदारों को हाऊस साइट्स और आबादी में पूरा अधिकार था, लेकिन जागीर एबॉलिशन के समय उनको पार्ट विद्ध करना पड़ा जो कि उनके लिए रखना रिजनेबल नहीं था । और वह लैन्ड गवर्नमेन्ट में वेस्ट हुई । यह प्रोविजन इसलिए रखा है, जैसा कि आपने कहा कि कहीं जमींदार हैं, १०, २० मिल कर उनकी जमीन आदि मिले हुए होते हैं, किसी ने खरीद रखी हो, वेल्युएबल कन्सीड्रेशन में है और हम उसको रिकग्नीशन देते हैं, लेकिन यह कोई जागीरदार और जमींदार नहीं कर सकता कि जो जमीन उसकी नहीं है, वेस्ट पड़ी हुई है और चूंकि उसका उस पर कब्जा था, इसलिए उसी की हो जाय, यह नहीं हो सकता है । खरीदी नहीं है तो उसकी नहीं हो सकती । मवेशियों के बाड़े बने हुए हैं उनको लेने का सवाल नहीं है । बिल्डिंग्स में सब आ जावेंगे । यदि किसी ने जमीन खरीद कर पब्लिक के लिए टेम्पल बना दिया, उसमें कुआं बना लिया या और कुछ बना लिया और उस पर अपना कब्जा करना चाहे कि मैंने पैसा लगाया है इसलिए मेरा होना चाहिये वह नहीं हो सकता किन्तु यदि उसने जमीन खरीद ली है

Page No.45

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और कुंआ बनाया है, तो प्राइवेट प्रोपर्टी डिक्लेयर कर सकता है Therefore, this will not affect the rights of the public at large as to their right of worship and over wells. वरना और कोई पोजिशन नहीं है। इसलिए आपको इस प्रकार का एप्रीहेन्शन नहीं होना चाहिये। And I assure you, I, as Minister, am making this statement that ऐसा कैसे हो कि किसी जमींदार को मकान से निकाल दिया जाय I will be prepared to amend the law. मैंने लॉ डिपार्टमेन्ट से इसके लिए पूछ लिया है और उनका भी यह इन्टरप्रिटेशन नहीं है जो आप लेते हैं। जिन अमेन्डमेन्ट्स से यह क्लॉज़ बनेगा, उसमें इस प्रकार की कोई मंशा नहीं है कि किसी जमींदार को रहने के मकान से बेदखल किया जाय। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। न तो यह मंशा है और नहीं ऐसा किया जावेगा।

श्री रघुवीरसिंह : प्राइवेट बिल्डिंग में इसको डिफाइन कर दीजिये कि एक झोंपड़ा भी है तो वह प्राइवेट बिल्डिंग की डेफीनिशन में आवेगा। आप इसको अलग से डेफाइन कर दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने बताया कि आबादी की जमीन है उसको दे दी जाय। आबादी की खाली पड़ी हुई जमीन है और उस पर कब्जा है, तो कैसे हो सकता है।

श्री रघुवीरसिंह : मैं भी उसको नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह : अमेन्डमेन्ट कल भी आने वाला था।

श्री रघुवीरसिंह : मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि अगर उसका गवाड़ा, बाड़ा व झोंपड़ा उसमें है या नहीं, मवेशी बाँधने की ही जगह है उसको बिल्डिंग में आप कैसे इन्क्ल्यूड करेंगे, जब तक कि डेफीनिशन नहीं बनावेंगे इसकी। इसमें रोज मुकदमेबाजी होगी, झगड़े होंगे, उस जमींदार, जागीरदार को वहां से हटाना पड़ेगा। इस कानून के अनुसार तो। एन्क्लोजर प्राइवेट बिल्डिंग की डेफीनिशन में नहीं आता है। कच्चा झोंपड़ा मान लिया जाय, कुछ तो डेफीनिशन रहेगी तब ही तो पूरा होगा।

श्री अध्यक्ष : 'सी' के अन्तर्गत आ जायगा।

श्री रघुवीरसिंह : इसमें है : 'all land covered by such building'. बिल्डिंग दूसरी जगह है। गवाड़ा है, बाड़ा है, वह गांव के बाहर है। वह उसमें नहीं आता है। यदि गांव की जो एक्चुअल स्थिति है उसको देखें तो मालूम होगा कि मकान गांव में बनाते हैं और बाहर चारे, घास के लिए गवाड़ा, बाड़ा बनाते हैं, जहां मवेशी बांधते हैं और घास फूस रख देते हैं इस डर से कि कहीं गांव में आग न लग जाय, गांव के मकान के मवेशी बाहर बांधते हैं, गवाड़े में थोड़ा बहुत छप्पर डाल देते हैं और नहीं भी डालते हैं, खाली एन्क्लोजर होता है, चारा रखते हैं, यदि घर में ऐसी आवश्यकता हो गई कि आदमी बढ़ गये, तो एक-आध मकान भी वहां बना लेते हैं। इसलिए यह सब किसी क्लॉज के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसलिए फिर उस पर झगड़े होंगे, मुकदमेबाजी होगी, पंचायतें कहेंगी यह प्राइवेट प्रोपर्टी में नहीं रह सकती। लोग-बाग बोली लगावेंगे, लोग खरीदेंगे उसको और

(श्री रघुवीरसिंह)

फिर यह स्थिति आवेगी कि उस जमींदार को वहां से हटना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचंद डागा।

श्री मूलचंद डागा : अध्यक्ष महोदय, मेरे अमेन्डमेन्ट के बारे में इतना ही मुझे कहना है कि मेरी मंशा कुछ अंशों तक ठीक हो गई है, मैं इसको विड्रॉ करने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप (श्री रघुवीरसिंह) भी विड्रॉ कर लीजिये।

श्री रघुवीरसिंह : मैं उस को विड्रॉ नहीं करूंगा। आप इसकी डेफीनिशन बना दीजिये। बिल्डिंग की डेफीनिशन में यह जोड़ दीजिये। क्लीयर हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मूलचंद डागा ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत उन्हें दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचंद डागा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसको उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृति)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री रघुवीरसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : On a point of Order, Sir, ...

श्री अध्यक्ष : पहले आपका (राजस्व मंत्री का) अमेन्डमेन्ट लिया जा रहा है।

श्री रघुवीरसिंह : आप राजस्व मंत्री से) इसको स्वीकार कर लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : I assured you that if there is any difficulty I will be prepared to amend it. It is a statement in the House. Why do you doubt it ?

कल आपने इसको डेफर कराया था।

श्री रघुवीरसिंह : आप उस जमींदार की कैसी बचत करेंगे ?

श्री अनूपसिंह : अच्छा हो, अध्यक्ष महोदय, इसको डेफर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : दो दिन में ही यह बातें साफ नहीं हुई तो फिर ....

श्री रघुवीरसिंह : बातचीत ही इस पर नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने उसका इन्टरप्रिटेशन कर दिया है।

श्री रघुवीरसिंह : इसका कोई प्रोविजन तो रखा नहीं। विश्वास दिलाया है। लेकिन जब कानून बन जायगा तो जो इसका इन्टरप्रिटेशन होता है वही लिया जाए; इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर और विचार कर लीजिये। दो मिनट, दस मिनट की बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे ऐतराज नहीं है, इस पर विचार करना माननीय सदस्य चाहते हैं। यदि उनका विचार करने का इरादा है, तो कर सकते हैं। आज भी मौका मिला था, वे कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। मुझे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि ....

श्री अध्यक्ष : आपका पुनर्विचार करने का इरादा नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, मुझे पुर्नविचार करने पर ऐतराज नहीं है। अगर यह तीन दिन बाद भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर वे तय करें आज ही।

श्री रघुवीरसिंह : मैं आज ही शाम को करूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : Than we can defer this.

श्री अध्यक्ष : आपका संशोधन तो वोट कर दें।

श्री भैरोंसिंह : तो इसको भी डेफर कर दें। आपका संशोधन तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।

श्री अध्यक्ष : मूव तो कब का हो चुका वह तो। इस स्टेज पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : अनकॉन्स्टिटयूशनल सम्बन्धी ऐतराज तो किसी भी स्टेज पर हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : तो क्या आप नये सिरे से डिबेट करना चाहते हैं ?.....

श्री भैरोंसिंह : कॉन्स्टिटयूशन की स्पिरिट का जहां तक सम्बन्ध है। ....

श्री अध्यक्ष : आपको पहले ओपोरचुनिटी थी। आप यह ऐतराज अपने भाषण में उस वक्त कर सकते थे।

श्री भैरोंसिंह : पर अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट से मैंने इसे अब देखा है।

श्री अध्यक्ष : पर अब आपको समय नहीं दिया जावेगा।

श्री श्रीभानसिंह : यह ऑब्जेक्शन तो मैंने किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह सिविल लॉ का अमेन्डमेन्ट है एक तरह से। जिस वक्त मैं बोल रहा था, मैंने उस वक्त यह पॉइन्ट रेज किया था। माननीय मन्त्री महोदय ने देख लिया होगा कि वह है या नहीं। इससे सिविल लॉ में तो कोई अमेन्डमेन्ट नहीं हो रहा है।

Page No.48

श्री अध्यक्ष : डेफर कर रहे हैं। आप डिस्कस कर लें उनसे फिर।

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, Sir. there should be no futrher debate.

श्री अध्यक्ष : There will be no further debate.

श्री दामोदरलाल व्यास : Then it may be deferred.

श्री अध्यक्ष : तो दो अमेन्डमेन्ट डेफर हो रहे हैं। रघुवीरसिंह जी का और माननीय मन्त्रीजी का।

श्री दामोदरलाल व्यास : But it should be made very clear to the Hon'ble Member Sir, that there will be no further debate. And I would say that my amendment may be taken, that has got nothing to do with that amendment which is to be deferred:

(हंसी)

क्लॉज़ ६

श्री अध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह। क्लॉज़ ६।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा जो संशोधन है, वह इस प्रकार है कि १६५३ को ५५ और पांच साल को तीन साल कर दिया जावे।

माननीय अध्यक्ष, जमींदारी समाप्ति के कारण जो मित्र बहुत नाराज हैं यह संशोधन उनके हित के लिये है। लेकिन साथ में मेरे दूसरे क्लॉज़ में जो संशोधन हैं उनसे वे अधिक नाराज होंगे, वे उनके हित में नहीं होंगे।

हम जमीदारी देर में समाप्त कर रहे हैं यह हमारी गलती है और इस गलती के परिणामस्वरूप जो हमें मुआवजा देना है उसके रूप में यह संशोधन है। हालांकि यह प्रतिक्रियावादी कहा जा सकता है। क्योंकि उनको मालूम था कि यह प्रथा समाप्त होने वाली है, पर चूंकि हमने देरी की, उन्होंने तीन-तीन चार-चार साल पहले ठेके इस प्रकार के कर दिये। पर जो एडवान्टेज़ उन्होंने उठाये हमारी देरी करने की गलती का उससे वे वंचित कर दिये जायें, अब यह ठीक नहीं। जागीरदारी के साथ ही इसको भी समाप्त कर देते तो उत्तम होता। पर देरी करने से ये जमींदार लोग सावधान हो गये और काफी एडवान्टेज़ उठा लिये। तो मेरे संशोधन का अर्थ सिर्फ यही है कि जो देरी करके गलती हमने की उसका मुआवजा हमें भुगतना चाहिये। अगर कोई कानून बनाता है तो जिस वक्त से बने उस वक्त से लागू हो।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को माननीय मन्त्रीजी स्वीकार करेंगे क्योंकि यह हमारी ही गलती का परिणाम है उसका फायदा जो वे उठा ले गये हैं तो उनको इसे उठाने का हक होना चाहिये यह मैं मानता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजमोहनलाल शर्मा।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में मैंने एक संशोधन रखा है सब-क्लॉज़ २ में कि पांच वर्ष के स्थान पर दो वर्ष कर दिया जावे।

श्रीमान्, एक तरफ तो आप क्लॉज़ ६ को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर रहे हैं और साथ-साथ आप एक पट्टा जो जंगल वगैरह के सम्बन्ध में अगर किसी जमींदार ने मन्जूर कर दिया है या कोई कॉन्ट्राक्ट काश्तकार

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

के साथ अथवा और किसी व्यक्ति-विशेष के साथ कर लिया है, तो आप यह भी चाहते हैं कि उसकी मियाद पांच वर्ष तक कायम रह सकेगी ।

अब इसमें मान लीजिये कोई आज से यह बिल बन रहा है और आज से पांच साल के लिये ठेका देगा, तो आपके हिसाब से आगे के पांच साल तक वह चालू रह सकेगा । तो ये दोनों चीजें परस्पर विरोधी हैं । एक तरफ तो आप जनवरी, ५३ के बाद के कॉन्ट्रेक्ट को रद्द करवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ दूसरे प्रकार के ठेकों को पांच वर्ष की मियाद और देते हैं । तो ये दोनों बातें आपस में मेल नहीं खातीं ।

तो इसलिये मेरा प्रस्ताव था या तो आप इस क्लॉज़ को हटा दें या फिर पांच वर्ष के स्थान पर दो वर्ष रख दें ।

पर साथ-साथ सब-क्लॉज़ २ में मैंने कोई संशोधन नहीं रक्खा । ये ऑन ऑर एण्ड रिडन्डेन्ट शब्द हैं और इनसे कोई अभिप्राय नहीं निकलेगा । आपने यह रक्खा है :
"Any agreement to contract made by a Zamindar or Biswedar with any person on or after the 1st day of January, 1953."

(a) relating to or granting a lease of any forest in his estate for a period exceeding five years.........
तो अब अगर कोई कॉन्ट्रेक्ट जनवरी ५३ के रोज़ भी है, तो वह पांच वर्ष तक कायम रहेगा । बाद में नहीं रहेगा । यह कॉन्टीन्जेन्सी विचार की दृष्टि से ठीक है पर वैसे हास्यास्पद हो जाता है, क्योंकि अगर जनवरी, ५३ को भी किया गया तो आज नवम्बर ५८ तक पांच साल से भी ज्यादा समय हो गया है, वैसे भी यह निरर्थक है । पांच साल वैसे भी निकल गये । आपका यह क्लॉज़ यों का यों भी खड़ा रहता है, तो भी आज तो पांच वर्ष खत्म हो चुके । जनवरी, ५८ को कॉन्ट्रेक्ट की लीज़ खत्म हो चुकी, क्योंकि मान लीजिये कि "If there is any contrac in existence on 19th Janoary, or in the first week of January, 1953, then the period of five years has already expired in the month of January, 1958. "So these words 'on or' become absolutely redundant and they should be removed, तो these words 'on or' should be removed.

दूसरा और निवेदन है कि सब-क्लॉज़ २ में प्रोविज़ो रखा है कुछ केसेज में आपका क्लॉज़ १ है उसकी सारी मन्शा को खत्म कर देगा । पर इसके लिये मेरा कोई संशोधन नहीं है । पर जनरल विवेचन के सम्बन्ध में क्लॉज़ १ में रखा है । इसका प्रोविज़ो जो है वह उसकी मन्शा को खत्म कर देता है । किस रूप में ? यह बताता हूं । जितने ट्रान्सफर वगैरह हैं, वे इल्लीगल हो जावेंगे । अपने लिखा, पर मैंने डिक्री में शामिल कर लिया तो जायज होगा । श्रीमान्, मैं इसके बारे में एक उदाहरण देता हूँ मान लीजिये एक व्यक्ति है और वह एक बही खाता के अन्दर पत्र हजार का खत लिख देता है और उसके आधार पर कोर्ट से डिक्री करा लेता है । एक रिटन स्टेटमेन्ट देकर शहादत नहीं देता और डिक्री ले लेता है..............

श्री अध्यक्ष : आप कौन से अमेन्डमेन्ट के लिये कह रहे हैं ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमान् मैं

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

ऑरल रेक्वेस्ट कर सकता हूँ क्लॉज़ १ जो है जिस पर इस समय बहस हो रही है....

श्री दामोदरलाल व्यास : You are suggesting a new amendment.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : (जारी) क्लॉज़ वन में रखा है ऐसे केसेज के अन्दर क्लॉज़ १ की जो मन्शा है वह खत्म हो जाती है। मेरी प्रार्थना सुन लीजिये, एक व्यक्ति है जिसने अपने राइट्स एक कर दिये और बही के अन्दर पांच हजार रुपये का लेखा लिख देता है और उसके आधार पर वह कोर्ट से डिक्री लेकर के उसको नीलाम करवा देता है। वैसी हालत में जब नीलाम हो गया, तो वह सेल माना जायगा। आपकी मन्शा यह थी कि जनवरी ५३ के बाद में जो भी सेल हुआ है वह नाजायज हो जायगा। तो क्या, इस प्रकार से डिक्री जिसने ले ली और वह नीलाम हो गया क्या इस प्रकार का सेल आपकी मन्शा के अनुसार नाजायज हो जायगा ? अगर किसी आदमी ने अपने बच्चों के लिये फर्जी तौर पर ही लिख दिया, तो क्या आप उसको गलत समझेंगे, क्या आप उ इन गुड फेथ नहीं मानेंगे ? वह तो मानना पड़ेगा। क्योंकि उसका खत लिखा हुआ है, अदालत से डिक्री हो गई है और उसी के आधार पर सेल हुआ है। इसलिये यह जो प्रोविज़ो है उसके बारे में या तो मेरा ओरल अमेन्डमेन्ट मान लिया जाय, यह क्लॉज़ १ की जो मन्शा है उसको समाप्त कर देता है। इस प्रकार के फर्जी खत लिखे जाकर डिक्रियां हो जायेंगी और उसके अनुसार सेल हो जायगा। क्लॉज़ १ के अन्दर जरूरी है कि इस प्रकार के नाजायज सेल हो जाते हैं उनको आपने सेव करने की कोशिश की, वह प्रोविज़ो की मन्शा को खत्म कर देता है। इसलिये मेरा ओरल अमेंडमेंट स्वीकार कर लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका क्या अमेन्डमेन्ट है..........

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Proviso to sub-clause one of clause 6 should be deleted.

इसकी कोई जरूरत नहीं। दूसरा मूव कर रहा हूँ।

Provided that nothing in this sub-section shall apply to any sale made under order of a court in execution of a decree or order for payment of money this should be deleted. And Any Agreement or contract made by a Zamindar or Biswedar with any person on or after the 1st day of January, a "ऑन एन्ड ऑर" ये दोनों शब्द हटा देने चाहिये। १९५३ रहना चाहिये इसके अलावा इसके पार्ट 'ए' सब-क्लॉज़ 'ए' से जो अगर लीज़ जंगल के बारे में ग्रान्ट किये गये हैं वह रिडन्डेन्ट हो जाते हैं उनकी मियाद १९५८ में खत्म हो जाती है। इसमें भी अगर यह रिडन्डेन्ट शब्द है इससे लिटीकेसी हो जाती है, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ऑन ऑर...on or after the 1st day of January, 1 53 इसके बाद, श्रीमान्, यह होगा These words on and or between the person and after should be deleled.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय महोदय, मेर अमेन्डमेन्ट है : "Delete part (b) of sub-caluse (2)." इसके पहले कि मैं अपना अमेन्डमेंट पेश करूं क्लॉज ६ पर इन-जनरल कुछ कहना चाहता हूँ। यह क्लॉज़ में नहीं समझता, यहां रखने से राज-

Page No.51

(श्री श्रीमानसिंह)

स्थान सरकार का क्या मकसद है ? हो सकता है कि किसी ने सेल, गिफ्ट यां लीज़ द्वारा राइट्स को ट्रान्सफर कर दिये हों, मगर ट्रान्सफर करने वाले ने इन गुड फेथ किया हो, मगर जो क्लॉज यहां रखा गया है, उसके मुताबिक जमींदारी पर्पज के लिये, उसको डिप्राइव करने के लिये जो भी ट्रान्सफर्स लीज या सेल या गिफ्ट किया गया होगा, वह नल एन्ड वोइड करार कर दिया जायगा अब सवाल यह आता है कि गुड फेथ को प्रूफ कैसे किया जाय, कोई भी व्यक्ति सेल, गिफ्ट या लीज़ करता है उसके लिये यह देखा जायगा कि इसके कहीं जमींदारी एब्रॉलिशन के जो मेजर्स हैं उनको डिप्राइव करने के लिये तो किसी ने नहीं किया है । या नोमल कोर्स में किया है इस तरह से किसी व्यक्ति इस तरह ने इन गुड फेथ किया हो किन्तु सरकार तो उसको कह सकती है कि तुमने गुड फेथ में नहीं किया, इसलिये हम उन ट्रान्सफर्स को कैंन्सिल करके उस पर अधिकार कर लेते हैं । इस तरह से यह ऐसा लिटीगेशन का मेटर बन जायेगा जिससे हर वक्त जमींदार पर यह डर बना रहेगा, ताकि उसको हर समय डराया जा सके । गुड फेथ में मान लिया गया, तो कोई बात नहीं अगर कोई नहीं मानता है तो वैसी हालत में वह उसको प्रूफ करे कि गुड फेथ में किस प्रकार से ट्रान्सफर किया है । यह जमींदारों के लिये एक सिरदर्द का मकसद बना रहेगा ।

मानलीजिये किसी ने ट्रान्सफर किया और वह एग्रीकल्चरिस्ट को नहीं किया, उन आदमियों को नहीं किया जिससे जमींदारी या बिस्वेदारी बढ़ी हो बल्कि एक जमींदर ने और बिस्वेदार ने पार्टीशन किया है और उस पार्टीशन की जमीन को ऐसे व्यक्ति को दी है, जिसके पास जमीन नहीं थी, जिसमें उस जमींदार का कोई इन्टरेस्ट नहीं था एक व्यक्ति जो बहुत अच्छी हालत मे नहीं था उसको अच्छी हालत में आने के लिये पार्ट ऑफ दी प्रोपर्टी का ट्रान्सफर कर दिया और जिसको कर दिया वह उसका किसी प्रकार का रिश्तेदार भी नहीं, तो वैसी हालत में यह समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का ट्रान्सफर भी नल एन्ड वाइड आप डिक्लेअर कर देंगे । यह ठीक है कि आप चाहते हैं कि इन्टरमीडियरीज़ समाप्त किये जायं, लेकिन इस प्रकार की चीजें जिसमें इन्टरमीडियरीज़ का सवाल नहीं इस प्रकार की जमीन का कम्पेन्सेशन भी आपको ज्यादा नहीं देना होगा, उतना ही कम्पेसेन्शन देना पड़ेगा जितनी कि जमीन उसके पास मौजूद है दूसरे आदमी को उतनी प्रोपर्टी का पार्टीशन हो जाता है जब प्रोपर्टी बढ़ती नहीं तो उसकी वेल्यू भी नहीं बढ़ती । तो वैसी हालत में जब प्रोपर्टी की वेल्यू नहीं बढ़ती तो ऐसा क्लॉज रखने से क्या फायदा ।

१-३५ म० प०

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पद सीन)

यह मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार ने इस बिल में पंजाब में इस प्रकार की धारा थी, उसको उठाकर यहां भी रख दिया । वहां की जमींदारियों में यहां की जमींदारियों में काफी अन्तर है । वहां इस क्लॉज़ को जब इम्प्लीमेन्ट किया जाता है कि जब कि इस प्रकार के कानून के मेजर्स होते हैं उनको डिप्राइव करने की कोशिश की जाती है, तो उस हालत में इसका प्रयोग किया जाता है । उनकी मन्शा थी इस प्रकार के कानून में जितनी सख्ती लायें उतनी अच्छी रहेगी, मगर उनको मालूम नहीं जो जमींदारी एबॉ-

Page No.52

(श्री श्रीमानसिंह)

लिशन हम यहां कर रहे हैं, जागीरदारी एबॉलिशन कर रहे हैं, दोनों के अन्दर काफी फर्क मालूम पड़ता है। और १६५३ कर दिया। फिर ५३ की सैंक्टिटी क्या है। यह भी पूछा जाये कि आपकी फर्स्ट जनवरी ५३ की सैंक्टिटी क्या हैं। आपने शायद जमींदारी एबॉलिशन सन् ५६ में अपोइन्ट की थी। कम से कम आपकी जो इम्पोज़ीशन हो सकती है, किसी आदमी ने आपके मेज़र्स को डिफीट करने के लिए या जमींदारी एबॉलिशन के मेज़र्स को डिफीट करने के लिए कोई स्टेप्स लिए हैं, तो वह सन् ५६ के बाद से ही ले सकता है न कि उसके पहले से। आपने सोच कैसे लिया कि एक आदमी ५३ से यह स्टेप ले रहा है। तो फिर जैसे भारत को स्वतंत्रता मिली और ४६ में कांग्रेस ने अपना कार्यभार संभाला, तो आपको यह ४६ से या तो रखना चाहिए और अगर इसको ४६ से रखते तो कोई सैंक्टिटी भी रहती। सन् ४६ से किसी आदमी ने ट्रांसफर्स किये या हुए या गिफ्ट दी होगी उनको नल एण्ड वाइड डिक्लेयर कर दिया जायेगा, ऐसा रखना चाहिए मगर आपने तो ५३ रखा। अगर इसको ५६ रखते तो आपका क्लेम भी रहता कि चूंकि जमींदारी एबॉलिशन कमेटी ५६ में अपॉइन्ट की थी और उसने टूर किया था और एट दी स्पॉट इन्क्वायरी की थी। ५६ से तो उसका कोई रीजन भी हो सकता है, लेकिन ५३ से तो कोई रीजन नहीं है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जो क्लॉज ६ है उसको डिलीट कर दिया जाये और उसके डिलीट करने में सेन्स भी है कि जिस रोज़ से आप बिल इम्प्लीमेन्ट करते हैं उस रोज़ से हो। आपने टाइम तो ५३ का रख दिया और बिल के नोटीफिकेशन की दूसरी डिफरेन्ट डेट होती है। या फिर जिस डेट से जिस एरिया के अन्दर जागीर रिज़्यूम करते हैं उसी रोज से अगर कोई आदमी स्टेप्स लेता है, तो आप ऐसा पीनल क्लॉज़ भी ले आयें, तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का कोई पर्पज़ नहीं है। लॉ का कोई पर्पज़ नहीं रहता तो मैं नहीं समझता कि ऐसे सुपरफ्लुस क्लॉज़ को कानून में रखने से क्या फायदा है।

अब मैं आता हूँ, माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा अमेन्डमेन्ट क्लॉज़ २ (बी) में है जिसको डिलीट करना है। क्लॉज (बी) ऐसे है Any agreement or contract made by a Zamindar or Biswedar with any person on or after the first day of January, 1953.

(b) relieving, whether in whole or in part a tenant from liability fof payment of rent for any land comprised in his holding.

हम अगर इसको देखें, तो जमींदारी मेजर्स को डिफीट करने के लिए ५३ से लागू करें या डेट ऑफ नोटीफिकेशन से लागू करें, तो कोई सेन्स भी होती है। अगर एक टिनेन्ट को कोई जमींदार रिलीफ देता है, रेंट पे करने में या वह कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आप रेंट पे नहीं करेंगे। तो इस तरह से उसने एक टिनेन्ट को रिलीफ ही दिया तो क्या उसकी मंशा यह थी कि टिनेन्ट से रेन्ट चार्ज किया जाये। गवर्नमेन्ट अगर उस टिनेन्ट से क्लेम कर सकती है तो सिर्फ लैंड रेवेन्यू ही। गवर्नमेन्ट उससे रेंट का जो पेमेन्ट है उसका क्लेम नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेन्ट का हक आता है वह लैन्ड रेवेन्यू चार्ज

(श्री श्रीभानसिंह)

करने का है। अगर उसको जमींदार ने किसी भी कारण से रेंट माफ कर दिया है किसी टिनेन्ट पर तो वह अब भी होना चाहिए। गवर्नमेन्ट क्लेम कर सकती है कि लैंड रेवेन्यू बदस्तूर पे करता रहे। आपका क्लेम सिर्फ लैंड रेवेन्यू पर है न कि रेन्ट पर और अगर टिनेन्ट को किसी प्रकार से रेंट माफ कर दिया है, तो भी उसको कन्टीन्यू रहना चाहिए। इसलिए मैंने यह रखा हैं। अगर जमींदार ने कोई रिलीफ अपने टिनेन्ट को दी और पहले से दी तो रिलीफ आपको भी देनी चाहिए। क्योंकि स्टेट गवर्नमेन्ट के रिसोर्सेज़ जमींदार से ज्यादा हैं तो जमींदार ने किसी तरह से किसी आदमी को उसके पूवर होने पर रेन्ट माफ किया है और उसको कुछ रिलीफ दिया है या वह आदमी उनकी कोई चेरीटेबिल इन्स्टिट्यूशन्स अटेन्ड करता था या कल्टीवेट करता था और उस कारण उसको रेंट माफ कर दिया था तो रेंट माफ करने के रीज़न्स कम से कम ऐसे तो नहीं हो सकते कि उसको यों ही माफ की हो या इस दृष्टि से माफ की हो कि गवर्नमेन्ट को लेजिस्लेटिव मैजर्स को इम्प्लीमेन्ट करने में अड़चन डाले। अगर उसको रेंट माफ किया होगा तो ६० पर्सेन्ट चैरीटेबिल पर्पजेज़ के लिए माफ की होगी। कोई जमींदार ऐसा नहीं है कि टिनेन्ट के ऊपर रेंट यों ही माफ कर दे और वह इसलिए कि गवर्नमेन्ट को नुकसान पहुंचे। जब उसको अदर कन्सीडरेशन्स, अदर कन्सीडरेशन्स से मतलब बैटर कन्सीडरेशन्स से रिलीफ किया किसी टिनेन्ट को और जागीर रिज़्यूम होती है और स्टेट गवर्नमेंन्ट से कॉन्टेक्ट होता है तो स्टेट गवर्नमेन्ट के ऊपर यह कर्तव्य आ जाता है कि वही रिलीफ जो उसको पहले मिलती थी अब भी मिलनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेन्ट चार्ज कर सकती है तो लैन्ड रेवेन्यू कर सकती है। अब मैं रेन्ट की डेफीनिशन बताऊं तो टाइम लगेगा। लेकिन रेन्ट के बारे में माननीय उपाध्यक्ष, निवेदन करूंगा कि ओनली लैंड रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंन्ट को चार्ज करना चाहिए और रेन्ट से रिलीफ कन्टीन्यू रहना चाहिए, क्योंकि जमींदार ने उसको रिलीफ दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा क्लॉज़ ६ में अमेंडमेन्ट इस प्रकार है : "If such transfer is established to have been made not in good faith and in the normal course of management but in anticipation of the abolition and acquisition of Zamindari and Biswedari estates.

इन वर्ड्स को मैंने डिलीट करने के लिए अपना संशोधन पेश किया है। जो क्लॉज़ ६ है उसका मकसद और ऑब्जेक्ट यह है कि जमींदार या बिस्वेदार ने जब कि उसने यह जान लिया भारत के अन्दर कांग्रेस मध्यस्थों को खत्म करना चाहती है और वह चाहती है कि जनता का सीधा सम्बन्ध जमींदार और जागीरदार से न रहे और जब इस ऑब्जेक्ट को किसी ने फ्रस्ट्रेट करने के लिए अपनी जमीन को या अपनी अचल सम्पति को ट्रांस्फर करता है, इस इरादे से कि जो आने वाला बिल है या जो कानून आने वाला है उस कानून के चक्कर में मैं फंस न जाऊं तो उस ऑब्जेक्ट को सामने रखकर आपने यह क्लॉज़ ६ इस बिल में रखा है। क्लॉज ६ का मंशा यही है कि अगर किसी जागीदार ने या बिस्वेदार ने अपनी अचल संपत्ति ट्रान्सफर की है तो सवाल यह है कि जहां इम्मूवेबल प्रोपर्टी

Page No.54

(श्री मूलचन्द डागा)

है वहां तो एवीडेन्स एक्ट की धारा ५१ और ५८ में यह है कि यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि इसके अन्दर सेल हुई है या ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा १७ के अन्तर्गत। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा १७ कहती है कि रजिस्टर होने के बाद में कोई सबूती की आवश्यता नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इट इज़ ए प्रूफ। ऐसा रूल लेटेस्ट निकल जाता है कि अगर कोई इम्मूवेबल प्रोपर्टी ट्रान्सफर हो जाती है और उसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन १७ में होना दिया हुआ है। क्योंकि राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन एक्ट उस समय की सब स्टेट्स में लागू था और उन स्टेट्स में जब यह रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू था तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा १७ के अन्तर्गत ज्यों ही जमीनों को सेल की गई या ट्रांसफर की गई या उनकी गिफ्ट हुई या किसी और रूप में एक जगह से दूसरी जगह गई उसका रजिस्ट्रेशन होते ही उसके लिए कोई सबूत करने की जरूरत नहीं है। दी कोर्ट विल डिटर्मिन कि यह जमीन ट्रान्सफर हो चुकी है। आपने उसमें एक क्लॉज़ रख दिया है कि आपके सारे ऑब्जेक्ट्स होते हुए आपने कहा कि जिन लोगों ने चक्कर से निकलने के लिए बेची है। लेकिन आप नीचे ही ऐसी गांठ रख लेते हैं कि वह गांठ आपसे खुल नहीं सकती है। अब यह साबित कौन करे? अब हम यह साबित करें कि if such transfer...esteablished to have been made not in good faith. जो आपने किया वह बिल्कुल सही है। लेकिन हम पर यह छोड़ा जाता है कि कलेक्टर के सामने इन्क्वायरी करानी होगी। सेक्शन के तहत जब जांच या इन्क्वायरी होगी, उस समय ओरल एवीडेन्सेज़ लेकर वहां पर पहुंचे वैसे एवीडेन्स कहते हैं रिटन एवीडेन्स, जैसे कि डॉक्यूमेन्ट्स वगैरह जहां हो that transfer has not been made in good faith the burden lies on us.

उस समय यह प्रूव कराने जांय कि यह जो प्रॉपर्टी ट्रान्सफर की गई है वह इन गुड फेथ में नहीं हुई है, यह बड़ा मुश्किल और कठिन है। यह हमेशा नहीं हो सकता है और इन वर्डस से यह मालूम करना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है यह जो होता है वह साबित करे जमींदार और बिस्वेदार कि मैंने अपनी जमीन को बोनाफाइड पर्पज़ के लिए, अपनी जरूरत के लिए, अपनी फेमिली की आवश्यकता के लिए, बिना उस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए किया था। लेकिन यह तो यहां नहीं है, तो और कौन हो? If such transfer established to have been made not in good faith.

तो कौन आफत मोल ले? किसको इतनी फुरसत है? किसकी जेब में इतना पैसा है कि कलेक्टर साहब के पास जाकर "The collector shall, after holding, in the prescribed manner, such inquiry as he considers necessary, make such order in the matter as he deems fit." वह कलेक्टर साहब के पास डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट के लिए सेक्शन ८ के अन्दर जायगा और क्लॉज़ ६ के लिए कहेगा कि यह जो ट्रान्सफर हुआ है वह गुड फेथ में नहीं किया गया है? The burden lies on us to prove. यह मुश्किल चीज है। मैं समझता हूँ कि आपने जो क्लॉज़ रखी है जिस मन्शा से, जिस पवित्र उद्देश्य से, जो आपका निर्मल ऑब्जेक्ट था, जैसी आपकी अपनी धारणा में था कि १९५३ से, ५ साल पहले से, मेरे से पहले बोलने वाले ने १९४९ शायद अपनी तारीख बतलाई थी, यह जो ऑब्जेक्ट है उसका...

(श्री मूलचन्द डागा)

कोई पर्पज़ सर्व नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इसके ऊपर वजन रखा है। जो ऑब्जेक्शन रखा गया है और यह जो कुछ हो रहा है वह गलत हो रहा है। मैं कहता हूँ कि यह बर्डन इस तरह होना चाहिये। इस क्लॉज़ की जरूरत नहीं है। इस क्लॉज़ की आवश्यकता क्या है? यह वर्ड्स डिलीट कर देते हैं, तो कोई आब्जेक्ट जो है :

'Not withstand anything contained in any law, no transfer of an estate or part thereof made by the Zamindar or Biswedar on or after the first day of January, 1953, by way of sale or gift or by making a grant or by way of lease for a non-agricultural purpose shall be recognised for any purpose of this Act...'

जब आप कहते हैं कि जो आदमी ऑब्जेक्शन फाइल करे वह आदमी सेक्शन ६ की क्लॉज़ में जाकर कलेक्टर के पास जाय और यह साबित करें। मैं समझता हूँ, श्रीमान्, यह मुश्किल है और मेरे ख्याल से कोई साबित कर नहीं सकता और नीयत और बदनीयत कोई फेक्ट नहीं है। इस बात से इनफरेन्सेज निकल सकते हैं और ऐसे फेक्ट साबित करना एवीडेन्स एक्ट के सेक्शन ८ के अन्दर जिनका इनफरेन्स निकालना चाहिए। वह इनफरेन्सेज एवीडेन्स एक्ट की धारा ८ से कनेक्टेड हैं, साबित करना बहुत मुश्किल है। यह जो ऑब्जेक्ट है, जो कि माननीय मंत्रीजी ने रखा है वह ऑब्जेक्ट फ्रस्ट्रे होता है। केवल यह ऑब्जेक्ट बतलाने का ऑब्जेक्ट है। हम यह बताना चाहते हैं कि हम जो गांवों और नगरों में घूमते फिरते थे और कहते थे कि भरतपुर और अलवर जिले में हमने देखा था कि किसी प्रकार से जमींदार और बिस्वेदार रहे, लोगों को घूमते हुए मालूम हो गया था, उनको उस मालूमात के लाभ से वंचित करना चाहते हैं, जो लाभ उन्होंने हासिल कर लिया है। वह अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो यह वर्ड्स डिलीट करने से यह होगा कि उन पर वजन होगा कि यह साबित करें कि हमने नेकनीयत से, किसी बोनाफाइड पर्पज के लिए यह जमीन ट्रान्सफर की थी। इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि मेहरबानी करके यह शब्द डिलीट किये जायँ।

श्री भीमसेन (लूणकरनसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन क्लॉज़ ६ की सब-क्लॉज़ (१) में है। गलती से इसमें सब क्लॉज़ (२) लिखा हुआ है, लेकिन मेरे संशोधन सब-क्लॉज़ (१) में है और वह इस प्रकार है :

In place of 'on and from the 1st day of January, 1953 substitute the words ' on and from the date of notification under Section 3.'

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार भूमि सुधार कानून बना रही है और यह जमींदारी एबोलिशन भी उसकी शृंखला की एक कड़ी है। भूमि सुधार कानून के तीन उद्देश्य मानते हैं। सबसे पहला उद्देश्य जो भूमि सुधार कानून का है वह यह है कि देहाती क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति जो किसान की कमाई पर जिन्दगी बसर करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो मध्यस्थ कहलाते हैं, उनको समाप्त किया जाए। दूसरा उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों का है कि किसान को जमीन पर हक मिले। जो जमीन जोतता है उसका जमीन पर हक होना चाहिए और तीसरा उद्देश्य भूमि सुधार कानून का हमारे सामने है कि अधिक से अधिक किसी प्रकार से खाद्य उत्पादन किया जाय। इन तीनों उद्दे-

(श्री भीमसेन)

श्यों को लेकर भूमि सुधार कानून बनाये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गंग केनाल एरिया के जो किसान हैं जिनको कि जमींदार समझ कर एबॉलिश कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६ में जैसा रखा गया है, इसमें रखा गया है कि जिस आदमी या जिस जमींदार या बिस्वेदार ने अपनी जमीन इन-एन्टीसिपेशन कि जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिश होने वाली है, उसको ट्रान्सफर कर दिया है, उस जमीन के ट्रान्सफर को हम रिकग्नाइज नहीं करें। उपाध्यक्ष महोदय, गंग नहर के क्षेत्र के जो किसान हैं, जिनको 'मालिक" कहते हैं वहां की भाषा में, उन किसानों ने कभी भी नहीं जाना था कि वे जमींदार हैं जिसको टिनेन्सी एक्ट की धारा ५, डेफिनिशन क्लॉज़ में जो परिभाषा दी है उसमें भी वही जमींदार माना गया है, जिसके नाम सेटलमेंट में कोई रेकॉर्ड दर्ज हुआ हो कि वह जमींदार है, वही जमींदार माना गया है। लेकिन इस बिस्वेदारी एबोलिशन बिल में गंग नहर क्षेत्र के जो मालिक हैं उनको भी जमींदार बनाया गया है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंग नहर क्षेत्र में जो मालिक हैं वे जमींदार की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन लोगों ने बीकानेर स्टेट से १९२७ और २८ में एक एक मुरब्बा जमीन ५ ५ हजार रुपये में खरीदी थी और वे for all practical purpose, they are tenants. उन जमीनों को खरीद करके वे उन जमीनों पर काश्त करते आ रहे हैं। वे खुद काश्त करते हैं। वे ऐसे आदमी नहीं हैं जो कि दूसरे किसानों की कमाई पर जिन्दा रहने वाले हैं और किसी तरह से भी जमींदार की संज्ञा में नहीं आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कानून बना रहे हैं और उनके लिए जिन्होंने अपनी जमीन खरीदी थी और १९२८ में उन्होंने २५, २५ बीघा की कीमत ५, ५ हजार रुपये दिये थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बाद में उन किसानों की ऐसी हालत हुई कि वे गवर्नमेंट का इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सके और उनकी जमीनें और जायदादें इन्स्टॉलमेंट पे नहीं करने के कारण कुर्क हुई हैं।

२ म० प०

यह ५, ७ वर्ष में हुआ। पाकिस्तान हिन्दुस्तान का पार्टीशन हुआ और गंग केनाल में पानी ज्यादा मिलने लगा और उसके साथ साथ भावों में वृद्धि हुई इस कारण से इस एरिया के लोगों को कुछ सुविधा मिली। लेकिन फिर भी ऐसे किसानों को जिनको जमींदार कह कर एबोलिश कर रहे हैं और उन्होंने जो ट्रान्सफर्स गुड फेथ में की हैं, इस क्लॉज में रखा है कि जो नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिये ट्रान्सफर्स हुई हैं उनको रिकोग्नाइज नहीं किया जा रहा है। उनके पास जमीन थी उसको उन्होंने ट्रान्सफर की है, जो जमीन उन्होंने पैसे देकर खरीदी थी उसको बेचने का उनको हक था। इस प्रकार की जमीन को ५३-५४ से रिकोग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके प्रति अन्याय होगा। इसलिये स्वाभाविक या नेचुरल जस्टिस के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फर्स्ट जनवरी, १९५३ से रख रहे हैं उसके बजाय: 'on and from the date of notification under section 3' इसे रखा जाय तो अच्छा होगा।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायणसिंह

श्री नारायण सिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो अमेन्डमेन्ट माननीय श्री मूलचन्दजी डागा ने रखा है : 'If such transfer is established to have been made not in good fath and in the normal course of management but in anticipation of the abolition of. Zamindari and Biswedari estates:' यह हटा दिया जाय। इन शब्दों को रखने से सरकार की स्पष्ट मंशा मालूम पड़ती है कि यदि बिस्वेदार या जमींदार को जिस समय अपने हक से महरूम किया जाता है उस समय यदि किसी जायज तरीके से, बोनाफाइड इन्टेन्शन से, मेलाफाइड इन्टेन्शन से नहीं, यदि ट्रान्सफर किया है, किसी कर्ज से अभिभूत होकर या किसी विशेष परिस्थिति के दबाव से ट्रान्सफर किया है और उसका कोई मेलाफाइड इन्टेन्शन से, इस लॉ के आने की चिन्ता से अथवा और किसी मंशा से नहीं किया है, तो उसको ऐसा अवसर देना चाहिये कि वह अपने बोनाफाइड इन्टेन्शन को प्रूव कर सके।

माननीय पूर्व वक्ता ने कई डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिस्प्युट्स और सब तरह की बातें कहीं और दूसरे सब बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में ज़िकर किया, लेकिन यह सीधी सी सुविधा जो एक्स प्रोप्राइटर्स बनेंगे उनको सही न्याय मिल जाय इस बात की हो, इसमें सरकार की मंशा स्पष्ट है और कानून की भाषा स्पष्ट, सुविकसित और न्याय की तरफ ले जाने वाली होनी चाहिये। जिस समय उनको अधिकारों से वंचित किया जाता है, यदि इसमें मेलाफाइड इन्टेन्शन है, तो उसके लिये काफी सेफ गार्ड है, लेकिन साथ ही साथ बोनाफाइड इन्टेन्शन को प्रूव कर सके उसके लिये यदि शब्द नहीं रखते, तो कोई बात नहीं थी, प्रोवीजो से मदद नहीं मिलती। प्रोवीजो में लिखा है: 'Provided that nothing in this sub-section shall apply to any sale under of a court in execution of a decree or order for payment of money.' तो ऐसी हालत तभी होती है जब कि वह कर्ज से दबा हुआ हो और उसके खिलाफ डिक्री हो गई और उस डिक्री में कोई कार्यवाही ट्रान्सफर की हुई हो। लेकिन स्वयं कर्ज से मुक्त होने के लिये या किसी विशेष परिस्थिति से मुक्त होने के लिये जायज ट्रान्सफर कर लेता है तो उसे वंचित करना उसके साथ ज्यादती होगी। हम जब कोई कानून बनाते हैं तो व्यापक समाज सुधार के लिये बनाते हैं। समाज का ऑटोमेटिक एडजस्टमेन्ट बिगड़ जाता है तो उसमें स्वाभाविक धार बहती रहे उसको एडजस्ट करने के लिये कानून बनाते हैं। हम यदि किसी विशेष व्यक्ति के लिये, किसी विशेष वर्ग के लिये, विशेष प्रकार का दृष्टिकोण और शंका लेकर बैठ जावें तो वास्तव में ऐसा कानून संगत दृष्टि से और सही दृष्टि से नहीं बन सकता। यदि हमारे कानून की मंशा इस सिद्धान्त की दृष्टि से, सही दृष्टि से अव्यवस्थित नहीं करना है तो हमें इसे दुर्भावना से नहीं देखना चाहिये। इसकी व्यापक मंशा है और सही तरीके से बोनाफाइड को प्रूव करने का मौका देते हैं तो मैं समझता हूं मूलचन्दजी ने जो संशोधन रखा है उसे अस्वीकार करना चाहिये और जिस प्रकार से यह सेक्शन ६ है उसी प्रकार से इसे स्वीकार करना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लॉज का विरोध करता हूं और माननीय सदस्य श्री भीमसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज को अच्छी तरह से समझने के लिये इसको एक दफा

Page No.58

(श्री पी० के० चौधरी)

पढ़ना पड़ता है तब जाकर इसका इम्पली-केशन समझ में आता है । इस क्लॉज में लिखा है ; "6. Provisions as to certain transfers and agreements.

(1) Notwithstanding anything contained in any law, no transfer of an estate or part thereof made by the Zamindar or Biswedar on or after the first day of January, 1953, by way of sale or gift or by making a grant or by way of lease for a non-agricultural purpose shall be recognised for any purpose of this Act and the estate or part so transferred shall be deemed to continue to vest in the transfer, if such transfer is established to have been made not in good faith and in the normal course of management but in anticipation of the abolition and acquisition of Zamindar and Biswedar estates; "इसके बाद प्रोवीजो में कहा जाता है : 'Provided that nothing in this sub-section shall apply to any sale made under order of a court in execution of a decree or order for payment of money.'

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इसकी जो कॉन्स्टीट्यूशनल पोजिशन है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । कॉन्स्टीट्यूशनल पोजिशन यह है कि कॉन्स्टीट्यूशन में हर एक इन्डिव्यूजुअल को राइट दिया है, पार्ट ३ में फंडामेन्टल में कहा गया है : 'in Article 13 (2):—The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void.'

Now what are the fundamental rights conferred by Part III ? One of them is in Article 19, clause 1 (f):—"All citizens shall have right to acquire, hold and dispose of property;" कोई इसको चैलेन्ज नहीं कर सकता, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन्स दिये होंगे और वे एक्सेप्शन्स क्या हैं वे क्लॉज १९ की सब-क्लॉज (५) में दी हुई हैं : "Nothing in sub-clauses (d), (e) and (f) of the said clause shall effect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercises of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the gereral public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe."

श्री उपाध्यक्ष : Will you please re-read sub-clause (f) ?

श्री पी० के० चौधरी : It is "All citizens shall have the right to acquire, hold and dispose of property..." and in the same Article, clause, (5) reads "Nothing in sub-clauses (d), (e) and (f) of the said clause shall effect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe." इससे ये एपेरेन्ट होता है कि ये जो राइट हैं under the Constitution, to acquire, hold and dispose of pro-

Page No.59

(श्री पी० के० चौधरी)

perty,इसको आप बैन नहीं कर सकते । You cannot bar that right. You cannot deprive a person of the rights of holding, acquiring and disposing of property. There cannot be any bar or ban on the transfer etc., but in Clause (5) of Article 19, they have given a certain latitude that you can impose reasonable restrictions in the interest of the general public. So you will have to prove that the restriction is imposed in the interest of the general public or for the protection of the interests of the scheduled tribes only. Only under these two conditions you can impose restrictions. So before you impose restrictions on the transfer of holdings, you will first have to establish that it is in the interest of the general public.अब यह जो हमारा क्लॉज ६ है in the Bill, if you read it with the proviso तो यह इम्पलाई होता है कि सिवाय कोर्ट डिक्री के सिलसिले में जो कुछ हुआ है, उसके सिवाय बिक्री होने की, ट्रान्सफर होने की नाट इन गुड फेथ, उसको साबित कर देता है, यह प्रोवीज़ो में नहीं होता । You have already stated that there is no restriction on bonafide transactions. "Provided that nothing in the sub-section shall apply to any sale made under order of a court in execution of a decree or order for payment of money" एन्ड कोर्ट की डिक्री से कोई सेल होती है, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोवीजो देने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह होता है : after this clause comes into operation, all sales or transfers which are not made in pursuance of the decree of a court, you will declare them as *malafide*. दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, जो इस में रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर है, उसमें आपको सबसे पहले एस्टेब्लिश करना पड़ेगा that you will have to establish—"if such transfer is established to have been made not in good faith and in the normal course of management but in anticipation of the abolition and acquisition of Zamindari and Biswedari estates;" It is a very mischievous phrase. I call it mischievous, because but for this phrase this entire clause would have become unconstitutional and this Legislature would not have been entitled to pass such a clause. Simply by adding this phrase that 'if such transfer is established to have been made not in good faith and in normal course of management but in anticipation of the abolition and acquisition of Zamindari and Biswedari estates. To general public'पब्लिक का यह जो ट्रान्सफर की लाइन है, उससे जनरल पब्लिक का कौन सा इन्ट्रेस्ट सेफ गार्ड किया है, यह उसमें साफ नहीं होता है । मैं तो समझता हूँ कि कोई ट्रान्सफर हुआ है, उसमें जनरल पब्लिक का इन्ट्रेस्ट सफर नहीं हुआ है । आज जमींदारी एबॉलिशन या बिस्वेदारी एबोलिशन का मतलब है, जो मकसद है, वह है to abolish Zamindari and Biswedari. यानी जो बीच के लोग हैं, उनको एबोलिश करना चाहते हैं, हम चाहते हैं : 'land should belong to the tiller.' जो काश्त करता है वह मालिक है इन्टरमीडियरीज जो है, उसको एबोलिश करना हमारा ऑब्जेक्ट है और उसको ज़नरल इन्ट्रेस्ट ऑफ पब्लिक कह सकते हैं not in any other circumstance. लेकिन आपका क्लॉज है, उसमें जो काश्तकार ने जमीन खरीद की है, उसको ट्रान्सफर किया है, उसको इल्लीगल

(श्री पी० के० चौधरी)

करार देते हैं, तो यह क्लॉज है उसमें कॉन्स्टीट्यूशन का जो मेन्डेटरी प्रोविजन है 'that it must be in the general interest of the public. So before bring this restriction, ये बात देखने की है whether this restriction is reasonable or not. आज यह लेजिस्लेशन आप १९५८ में पास कर रहे हैं और ६ साल पहले के लिए रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं you are giving retrospective effect that it should not have been done in January, 1953, but only prior to it, it could have been done only in 1952. छः साल के पहले का रेस्ट्रिक्शन रख रहे हैं whether this restriction is reasonable restriction or not? If it is not a reasonable restriction, if it is not in the interest of general public, then constitutionally this legislature is not competent to pass legislation of this nature.

उपाध्यक्ष महोदय, इसकी तरफ, इस क्लॉज की जो इनअफेक्टिवनेस है, उसको छोड़ते हुए जो कॉन्स्टीट्यूशनल पोजीशन है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूँ It does not fulfil the conditions of general public interest. Interest of public होता है to abolish intermediaries, but you cannot say that these transfers have been made to create other jagirdars and zamindars. क्रियेट होते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। किसी बड़े जमींदार ने जमीन ट्रान्सफर करके, गिफ्ट करके, सेल करके दूसरे जमींदार को क्रियेट कर दिया, उससे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जमीन नहीं ले सकते, आप जमीन ले सकते हैं, लेकिन वह जमीन नहीं ले सकते, ऐसी जमीन नहीं ले सकते जो काश्तकार को ट्रान्सफर कर दी है, किसी काश्तकार के पास बेच दी है, तो काश्तकार के पास में जमीन को ट्रान्सफर करना, मैं समझता हूँ, जनरल इन्ट्रेस्ट ऑफ पब्लिक हो सकता है। आप शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शन ऑफ राइट कर रहे हैं तो फर्स्ट तो आपका यह जो प्रोहीबिशन ऑफ ट्रान्सफर है, वह साबित नहीं करता है that it is in the interest of the general public and I say that it is not in the interest of general public. काश्तकार के पास जमीन गई, उससे कैसे लेंगे, फिर अपनी मर्जी से देंगे and there will be confusion and there will be corruption.

दूसरी बात यह है जो रेस्ट्रिक्शन है it must be reasonable. So before bringing this legislation you will have to establish that this is reasonable restriction. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं कह सकते १९५२ में जो ट्रान्सफर हुआ वह अनरीजनेबल था। How a man can conceive that you are going to bring this legislation in 1958? आपने लेजिस्लेशन पास नहीं किया, ५८ में जाकर लायेंगे तो इसका कन्सेप्शन नहीं आता है, ट्रान्सफर को रोकेंगे तो कोई पोइन्ट एस्टेब्लिश नहीं होता। It will become void if it goes to the High Court or the Supreme Court.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री): Is the Hon'ble Member aware that these provisions are contained in the Jagirdari Resumption Act, in the U. P. Zamindari Act and Ajmer Resumption of Jagirs Act. They have stood the test of High Court and Supreme Court.

श्री पी० के० चौधरी : I am not concerned with U. P. Act or any other Act.

श्री दामोदरलाल व्यास : I said similar provisions contained in other Acts have been challenged in High Court and Supreme Court and they have been held valid.

श्री पी० के० चौधरी : You will have to prove that it is in the general interest of the public.

श्री उपाध्यक्ष : The position is that the contention which you raise has been over-ruled by the High Court. What you have to say against them ?

श्री पी० के० चौधरी : I do not know what are the provisions of those Jagirdari abolitions Acts, लेकिन आज यहां इस क्लॉज से कौन से ट्रान्सफर को इन्वेलिड करेंगे The transfer made to a direct tenant, the transfer made direct to an agriculturist इसको तो हम इन्वेलिड करेंगे । अनादर जमींदार क्रियेट होता है उसको आप कर सकते हैं ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : On the point of clearification, Sir, I want to bring it to the notice of the Hon'ble Member that this matter has already been decided by the Supreme Court and it has deen held that legislation to this effect making transfer illegal by giving retro. spective effect, is valid. So the constitutional point which is being argued by my learned friend has been discarded long ago.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Would you please cite the ruling ?

श्री बृजमोहनलाल : I have not brought the case law with me.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That may be something absolutely different.

श्री उपाध्यक्ष : Let us proceed on. Shri P. K. Chaudhri.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य कहते हैं हाई-कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इफेक्ट किया है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से My objection is not against merely retrospective effect. मेरे objections ये हैं Can you invalidate a transfer, without establishing that it is being done in the general interest of the public ?

श्री उपाध्यक्ष : We have hear enough on the issue whether it is in the general interest or not.

श्री पी० के० चौधरी : It is like this Sir, supposing there is a Jagirdar who gives away some of the Jagir, a part of his Jagir, to his nephew, then his nephew becomes a new Jagirdar. After the coming into force of this Act we can resume the Jagirs from both of them. The question of cancellation of transfer does not arise, it is superfluous. We can resume this Zamindari from both of them. But supposing a Zamindar has sold his land to his tenant or to his sub-tenant in 1953, आप इसके बाद कहते हैं, 'if it has not been done in good faith'. यह साबित करना बहुत मुश्किल है one thing on the face of it. It is very

Page No.62

(श्री पी० के० चौधरी)

difficult to establish. जैसा हमारा इलेक्शन लॉ है where you have to establish that the person had reason to believe that his statement was false. जो इलेक्शन का करप्ट प्रेक्टिस है, उसमें एक क्लाज है, इस प्रकार है : It is not simply that you establish that a member had adopted a a corrupt practice, but also to establish that he believed it to be so (corrupt.)

अब जो गुड फेथ में एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। When we make such a provision that a man has transferred his land in good faith or not, then it is very difffcult to establish that it was not in good faith. A Zamindar has sold 2o bighas of his land to a landless peasant. How are you going to establish that it was not done in good faith ? इसमें यह आप कह सकते हैं कि उन्होंने ट्रान्सफर कर दिया अपनी बहन के नाम से This whole clause becomes superfluous. You cannot establish that I have sold. a land in 1954 to a person and I have done it in bad faith. You cannot establish it. Honestly, nobody can establish it. You have given the example of cellings, but in Cellings we are not considering individual as a unit but we have taken family as a unit. So that does not serve the purpose, because we have taken the family as a unit. It is very difficult to establish that it is done in bad faith. As a matter of fact this clause becomes superfluous. You cannot enforce it.

दूसरी बात इसके साथ जो आप प्रोवीजो रेज करते हैं, 'in the proviso you are saying that all sales etc. done in pursuance of a decree of a court will be exempt from the operation of this section. Then it implies that all transfers which are not done in pursuance of the orders of decrees of a court, they will be challenged as having been done in bad faith. So this clause is going to create litigation and harassment. Litigation on the part of people who will challange the actions of the executive and harassment on the part of the executive. The executive will take undue advantage of this provision and if you can please them they will say that you have done the transfer in gcod faith, and if you cannot please them, they will say that you have made the transfer in bad faith. So these two consequences will arise, litigation and harassment.' तो इसलिये मैं चाहूँगा कि या तो इस क्लॉज को डिलीट कर कर दिया जाय या माननीय सदस्य श्री भीमसेन का अमेंडमेंट एक्सेप्ट किया जाय कि नोटिफिकेशन इश्यू किये जाने के बाद, मैं तो इतना मोडिफाई करने को तैयार हूँ कि इस लेजिस्लेशन को हाउस में लायें उसके बाद से आप कर सकते हैं। मुझे याद है, प्लानिंग कमीशन ने जो एक पोइन्ट दिया है Whether the State can pass temporary legislation preventing transfers ? Their finding was that you can not. It will be ultravires of the Constitution

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन सर, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने किसको लिखा कि ऐसा ट्रान्सफर नहीं कर सकते ?

Page No.63

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow whether the Government of India has written or not written, since it is not before us.

श्री पी० के० चौधरी : मैं जानता हूँ यह क्विेश्चन अराइज हुआ था, आप कर सकते थे तो आज तक क्यों नहीं किया, टेम्पोरेरी लेजिस्लेशन क्यों नहीं पास किया ? जो सरकार कर सकती थी तो आपने १९५३ तक क्यों नहीं किया ? आप कोम्पीटेन्ट नहीं हैं, इसलिए आपने नहीं किया । इसलिये सवाल यह आता है कि जब तक आपने इसको, जमींदारी एबोलिशन को लेजिस्लेशन में नहीं लिया तो किसी भी ट्रान्सफर को मेलाफाइड नहीं कह सकते, Unless and until the stat Government brings legislation and introduces it in the House, you cannot declare any transfer to be malafide. आप कैसे मेलाफाइड कर लेंगे, How do you say that he has done the transfer in anticipation of the abolition or acquisition of zamindari ? आप एस्टेब्लिश कहां से करेंगे ? क्योंकि उसमें आपने यह भी लिखा है, If he has not done it in good faith and in the normal course of management. आपको इसमें क्या होगा, कि दो चीज़ें एस्टेब्लिस करेंगे । एक तो यह कि यह गुड फेथ नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष : I hope mr. Choudhri, enough justice has been done on the point and it is repetition of the same issues.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, normal course of management.... ..

आप यह कहेंगे कि नहीं किया है ! I want to have some money and I have sold it. How can you say that I have not done it in the normal course of management ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Such decisions have been taken by those persons who know how to take evidence.

श्री पी० के० चौधरी : तो इसलिये माननीय उपाध्यक्ष, मेरी तो यही राय है कि इस तरह से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर और ५ साल पहले से लागू करना कॉन्स्टीट्युशन के खिलाफ होगा और मोरेली भी ठीक नहीं होता है । इसलिये इसको उसी दिन से इफेक्ट करना होगा, जिस दिन से यह लागू हो । इसलिए मैं नापासर से जो माननीय सदस्य आये हैं, उन्होंने संशोधन रखा है, उसका समर्थन करता हूं और दूसरे का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Do you still stick to the constitutional position. Hon'ble Member ?

श्री पी० के० चौधरी : Yes Sir.

श्री विश्म्भरनाथ जोशी : On a point of information, Sir, can the Hon'ble Revenue Minister cite any provision in the Rajasthan Jagir Resumption Act which may be analogous to Clause 6 (2) (a) and (b) of this Bill ?

श्री उपाध्यक्ष : He will give it when he gets the right of reply.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान आजाद होने के

(श्री सोहनलाल भटनागर)

पूर्व से यहां की जो पोलिटिकल पार्टी थी और खास तौर से कांग्रेस, उसकी यह डिक्लेअर्ड पोलिसी थी कि सत्ता मिलेगी तो जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को सबसे पहले समाप्त करेंगे और होगी। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ और सत्ता यहां की जनता के हाथ में आई तो हमने यह देखा कि जागीरदारियां तो समाप्त हो गईं और जमींदारी को समाप्त करने के लिये यह बिल हमारे सामने है। उपाध्यक्ष महोदय, अब यह निवेदन करना है कि इस क्लॉज़ की यहां पर रखने की क्या आवश्यकता पड़ी। इसलिए पड़ी है कि जो प्रजातन्त्र की पद्धति है वह बहुत धीमी है और कानून को पास करने में समय लग जाता है और जमींदार और जागीरदार काफी चतुर हैं और वे इसके जो प्रोविज़न्स हैं उसको डिफीट करना चाहिते थे। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने मौजूद हैं। जागीर एक्ट में धारा २६ मौजूद है। २६ ए है, 'where a jagirdar has, on or after the first day of January, 1949, transferred any jagir land by sale or gift or by making a grant.. ...and the Jagir Commissioner is satisfied that.................. उसके बाद में दिया है......'such transfer, grant, lease or contract was not made, granted or entered into the normal course of management, but in anticipation of the legislation for resumption of jagir land........."

यह बिल्कुल इसके आइडेन्टिकल (identical) पड़ता है। ऐसा लगता है कि जब जागीर रिजम्शन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज़ किया और उसका निर्णय हुआ। इसलिए यह जो कॉन्स्टीट्युशनल पोइन्ट फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है वह रहता नहीं। जब Normal course of management में किया नहीं। इसलिये वह कॉन्सटीट्युशन के खिलाफ नहीं पड़ता है।

दूसरा प्रश्न उन्होंने यह उठाया कि यह जनरल इन्ट्रेस्ट ऑफ पब्लिक (general interest of the public) में है या नहीं। यदि उसने किसी टिनेन्ट को दिया है तो वह जनरल इन्ट्रेस्ट ऑफ पब्लिक में ही होगा। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जागीर रिजम्शन एक्ट की धारा २६ए में एग्रीकलचर्ल पर्पजेज़ के लिये साफ डिफाइन किया हुआ है। यह क्लॉज़ खाली नोन एग्रीकलचरिस्ट के लिये ही लागू होती है। इसलिये जो जायदाद होती है वह बिल्कुल वाज़िब है।

दूसरी बात यह हो सकती है......

श्री पी० के० चौधरी : This non-agriculture land is for lease alone.

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय उपाध्यक्ष, दूसरी बात यह देखनी है कि जनरल इन्ट्रेस्ट ऑफ पब्लिक है या नहीं। नोन एग्रीकलचरल पर्पज़ क्या हो सकता है? उसने किस गर्ज से जमीन दी है? पैसे लिये हैं और उस जमीन को दी है या किस तरह से दी है। अगर ज़मीन मौजूद होती तो सरकार उस जमीन को उनको फ्री देती। तो ऐसी सूरत में जो ट्रान्सफर किया गया है वह नोरमल कोर्स ऑफ वे में नहीं किया गया बल्कि जो मेन पर्पज़ था उसको डिफीट करने के लिये किया है। इसलिये जो जनरल इन्ट्रेस्ट के लिये कॉन्सटीट्युशनल पॉइन्ट उठाया गया है, माननीय फुलेरा से आने वाले

(श्री सोहनलाल भटनागर)

माननीय सदस्य द्वारा वह उचित नहीं है। दूसरी बात बीकानेर से आने वाले और धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने रखी कि सन् ५३ के बजाय ५५ रख दिया जाय और बीकानेर से आने-वाले माननीय सदस्य ने यह रखा है कि date of the commencement of this Act डिक्लेरेशन की डेट से रख दिया जावे। माननीय उपाध्यक्ष, जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि अगर इसको मान लिया जाता है तो इस क्लॉज का सब पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है। जमींदार लोग काफी होशियार थे और वे जानते थे कि जमींदारियां रहने वाली नहीं हैं। जिस प्रकार जागीरें समाप्त हुई ये भी समाप्त हो जावेंगी। इसलिए उन्होंने अपनी जमीनों को ट्रान्सफर करना शुरू कर दिया और पैसे पैदा करने लगे। अगर आज उनके इस अमेन्डमेंट को मान लेते हैं तो उन्होंने आज जो होलसेल ट्रान्सफर ऑफ लैंड की है चाहे किसी वक्त से, किसी वजह से किया है व वेलिड माना जावेगा। जिस तरह से जागीरदारों ने जमीनों को ट्रान्सफर करके हजारों रुपए इल्लीगली प्राप्त कर लिए वैसे यह भी कर लेंगे। इसके अलावा जिन गरीबों के पट्टे नहीं होते हैं और वे काबिज होते तो सरकार उन लोगों को मुफ्त में जमीन देती। मगर उसी जमीन के उन लोगों ने उन गरीबों से हजारों रुपए प्राप्त किए तो क्या इनको जनरल पब्लिक के हित में कहा जा सकता है? क्या उसको देखते हुए यह जनरल पब्लिक के हित में नहीं है? दूसरी बात जमींदारी एबोलिशन रिपोर्ट है, उसमें लिखा हुआ है....

श्री पी० के० चौधरी : Hon. Deputy Speaker, Sir, I raise one objection about comparing it with the Jagirdari Abolition, because when Jagirdari Abolition was taken up by the House, the Ceilings Bill was not before us. Now the Ceilings Bill is before us.

श्री सोहनलाल भटनागर : उपाध्यक्ष, अगर माननीय सदस्य ने सीलिंग बिल को देखा होता तो उनको मालूम हो जाता कि उसमें भी प्रोविजन मौजूद है। उसमें कई जागीरदार लोग ट्रान्सफर कर रहे हैं उसमें सारी बातें दी गई हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का प्रोविजन पंजाब के सीलिंग एक्ट में भी मौजूद है और दूसरे स्थानों पर भी मौजूद हैं और यह रिजनबल प्रोविजन है और आम पब्लिक के हित के लिए है।

दूसरा जो मैं निवेदन कर रहा था वह यह है: 'Any transfer made by a zamindar or biswedar in anticipation of the abolition of zamindari should not be recognised after a specified day, say, 1st January, 1949.'

तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए कमेटी बैठी थी जिसने काफी जांच की और जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुँची कि १ जनवरी, सन् ४९ के बाद जो ट्रान्सफर्स हुए लैंड के उनको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। फिर भी मन्त्री महोदय ने जमींदारी की स्थिति को देखते हुए काफी लिनीयेन्सी बरती है। इससे काफी रिकॉग्नीशन मिलेगा। इसलिए सन् ५३ के बाद का रिकॉग्नीशन नहीं मिलना चाहिए। इसलिए बीकानेर से और धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं उनको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।

Page No.66

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जमींदारी एन्ड बिस्वेदारी एबोलिशन बिल के क्लॉज ६ पर जो वाद-विवाद चल रहा है और इसमें जो संशोधन का प्रस्ताव बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री भीमसेनजी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर अभी वाद-विवाद में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य और सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने हिस्सा लिया और उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बातें सदन के सामने रखीं। माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य के तर्कों के बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए यह प्रकट किया कि जागीर एबोलिशन के बारे में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो दावे किए गए वे सब खारिज हुए और जागीरदारी एबोलिशन एक्ट को अल्ट्रावायर्स करार नहीं दिया गया। उन्होंने यू० पी० के एक्ट्स का भी हवाला दिया। उन्होंने राजस्थान जागीरदारी एबोलिशन एक्ट, १६५२ का हवाला देते हुए बताया कि वैसे ही (सिमीलर) प्रोविजन्स इसमें है और उनका हवाला देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि इस प्रकार के प्रावधान राजस्थान जमींदारी एबोलिशन बिल में रखना न्यायसंगत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ६ पर जब हम विचार करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट रेज होता है। मैं यह समझता हूं कि कान्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट के बारे में यह दलील देना कि राजस्थान जागीरदारी एबोलिशन में चूंकि ऐसा प्रोविधान है और उस एबोलिशन को हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट ने अल्ट्रावायर्स करार नहीं दिया, इसलिए वह प्रावधान इस बिल में भी जोड़ सकते हैं, मैं समझता हूं कि या तो माननीय सदस्य ने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रॉविजन्स और १३ और १६ धाराओं को ठीक तरह से नहीं पढ़ा है और पढ़ा है तो समझने में भूल हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात एक जगह ठीक होती है वह दूसरी जगह ठीक हो यह जरूरी नहीं है।

आर्टिकल १६ के बारे में फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने हवाला दिया कि हर एक नागरिक को अधिकार है : 'That he can hold the property he can dispose of the property in the manner in which he likes.

और मैं समझता हूँ कि हमारे द्वारा इस अधिकार पर किसी प्रकारकी अनधिकार चेष्टा करना यह विधान के प्रतिकूल होगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय. आर्टिकल १६ के अन्तर्गत यह बात अवश्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनानेवालों ने यह प्रोवधान जरूर रखा था कि स्टेट विधान सभा चाहे, पार्लियामेन्ट चाहे तो इस तरह का कानून बना सकती है जिससे रीजेनबल रेस्ट्रिक्शन्स लगाए जा सकें। मैं इसको स्वीकार करता हूँ और हो सकता है कि चूंकि इसके अन्दर ऐसा है, इसलिए राजस्थान जागीर एबोलिशन एक्ट में इसका प्रावधान रखा है। उस कानून का जहां तक सम्बन्ध है और जो आपत्ति की गई है उसके उत्तर में मैं निवेदन करूंगा। सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि क्यों रेस्ट्रिक्शन्स लगाए गए, यह भी नहीं बताया कि इसके ट्रान्सफर को क्यों चेलेंज किया गया, क्यों जागीरदारों ने उसको चेलेंज किया? सुप्रीमकोर्ट का क्या जजमेन्ट हुआ वह भी उनके सामने नहीं है। उन्होंने अखबारों

Page No.67

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में पढ़ लिया होगा कि जागीरदारों द्वारा फाइल की हुई रिट नामंजूर हो गई। लेकिन किस कारण से ? १६ और १३ के बारे में जो विधान द्वारा राइट्स दिए गए हैं जिस तरह से वे रेट्स बननी चाहिए थी फोर्मुलेट नहीं हुई। क्लॉज २६ राजस्थान जागीरदारी एबोलिशन को रिट में किस प्रकार चेलेंज किया गया ? और किसी जागीरदार ने यह पोजिशन नहीं रखी कि २६ अल्ट्रावायर्स है और ४६ के बाद ट्रान्सफर अल्ट्रावायर्स नहीं रखा जा सकता, यह नहीं हुआ; तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सुप्रीमकोर्ट का डिसीज़न रेस्ज्यूडिकेट नहीं हो सका है और न ही प्रावधान इसमें रख सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Can yon enlighten us on the is-ues raised before the Supreme Court ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह पॉइन्ट नहीं था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जागीरदारी एबोलिशन कानून के अन्तर्गत प्रावधान था, उस पर अभी आ रहा हूँ, लेकिन उसमें जिस प्रकार का प्रोविजन रखा है और जिस प्रकार जमींदारी एबोलिशन में रखा है दोनों में अन्तर है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन्स लगाये जा सकते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन्स लगाना आज की कन्डीशन और पब्लिक इन्ट्रेस्ट में होनी चाहिये। रेस्ट्रिक्शन जो जो मिसचीफ होने वाली है उससे ज्यादा नहीं होने चाहिये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है। सुप्रीम कोर्ट १६५४ के पेज ८८ पर है ' Whether any law has in fact transgressed the limitations specified in clauses (2)-(6) of Art. 19 is to be as certained by the Court and if in its view the restrictions imposed by the law are greater than what is permitted clauses (2) to (6) whichever is applicable, the Court will declare the same to be unconstitutional and therefore void under Art. 13. Here there is scope for the application of the 'intellcetual yardstick' of the Court. If, however, the Court finds, on scrutiny, that the law has not overstepped the constitutional limitations, the Court will have to up hold the law, whether it likes the law or not''.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन सारी बातों के बारे में जागीर एबोलिशन कानून का हवाला दिया जाता है। मैं यह Rajasthan Land Reforms & Resumption of jagirs Act, में निवेदन करूंगा कि जागीर एबोलिशन धारा २६ में जो प्रोविजन है वह इसके सीमिलर नहीं है। उसमें प्रोविजन है : "Where a Jagirdar has on or after the first day of January. 1949-

(a) transfered any Jagir Land by sale or gift or by making a grant, or.

(b) granted a lease of his jagir land or any part there of for any nonagricultural purpose for a period of three years or more, or

(c) granted a lease or entered into a contract relating to any forest in his Jagir land,

and the Jagir Commissionor is satisfied that Such transfer, grant,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

lease or contract was not made, granted or entered into in the normal course of management but in anticipation of the resumption of jagir land, the Jagir Commissioner may direct that such transfer, grant, lease or contract shall not be recognised for the purpose of assessment of compensation or rehabilitation grant payable to the Jagirdar under the provisions of this Act."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, २६ ए के अन्तर्गत जब यह प्रावधान हमने रखा था विधान सभा के अन्दर हमने यह साफ कर दिया था कि इस प्रकार सेल, गिफ्ट, ट्रान्सफर किस लिये होगी, रिकॉग्नाइज किस लिए नहीं की जावेगी ? कम्पन्सेशन के लिए वह किया जावेगा लेकिन उसको नल और वॉइड नहीं किया गया। जमींदारी एबोलिशन बिल में प्रावधान किया है उसमें दूसरी भाषा में उसको लिखा है। उसमें लिखा है:

'Not with standing any thing contained in any law, no transfer of an estate or part there of made by the Zamindar or Biswedar on or after the first day of January, 1953, by way of sale or gift or by making a grant or by way of lease for a non-agricultural purpose shall be recognised for any purpose of this Act and the estate or part so transfered shall be deemed to continue to vest in the transfer, if such transfer is established to have been made not in good faith and in the normal course of management but in anticipation of the abolition and acquisition of Zamindari and Biswedari estates'.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के अन्तर्गत क्लॉज ६ में यह नहीं रखा है कि यह कम्पनसेशन परपज के लिये नहीं होगा

It shall not be recognised for the purpose of compensation. क्योंकि इसमें कम्पनसेशन का सेक्शन था, शिड्यूल में दिया हुआ है। उस शिड्यूल के अन्तर्गत बेसिक ईयर की डेफीनिशन और इन्कम के बारे में शिड्यूल दिया हुआ है। वह इस प्रकार है : Income from sale of culturable or Abadi land calculated on the basis of average income there from...

The amount of compensation or income from rents paid in respect of the basic year the Central Govt. for taking over the.......'

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके अन्तर्गत कुछ इस प्रकार के आइटम्स हैं उन आइटम्स के आधार उनके अनुरूप इन्कम को केलकुलेशन करने के बाद कम्पन्सेशन देने का था। रकम कहीं दबा नहीं दी हो, वैसी हालत में इस प्रकार के गिफ्ट्स या शेल ग्रान्ट्स आदि के देने के बारे में प्रावधान किया गया था फोर दी पर्पज ऑफ कम्पन्सेशन इस प्रकार के ट्रान्सफर्स रिकॉगनाइज नहीं किये जायेंगे। जिस समय यह कानून विधान-सभा में लाया गया था, उस समय यह नहीं लिखा गया था दे सेल बी ट्रीटेड नल एन्ड वाइड। मैं समझता हूँ इस बारे में माननीय मंत्री महोदय को उनके संबन्धित विभाग ने जिसने जागीर रिजम्पशन बिल की यहां नकल कर डाली अकल लगाने की कोशिश नहीं की और उन्होंने जैसा प्रावधान उसमें था; यहां लाकर रख दिया और लिख दिया शेल बी डीम्ड टू बी नल एन्ड वॉइड। आप राजस्थान जागीरदारी एबोलिशन एक्ट की नकल करना चाहते हैं और यह लिखते हैं कि इस प्रकार के सारे ट्रान्सफर्स हो गये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं दे शेल बी डिक्लेअरर्ड नल एन्ड वॉइड। इस प्रकार से जो परिस्थिति की तुलना आपने जागीरदारी एबोलिशन कानून से की है वह किसी प्रकार भी न्याय संगत नहीं है। राजस्थान ने इस प्रकार के प्रोविजन्स रखे थे, वे जो रेस्ट्रिक्शन लगाये थे वे रीजनेबल थे। उसमें ऐसा हो सकता था कि जागीरदारों को जो कम्पेन्सेशन मिलने वाला था, उसमें सेल, गिफ्ट ट्रान्सफर्स आदि को नल एन्ड वॉइड करार दिया था। उसमें ऐसा हो सकता था कि किसी को जागीरदार ने लगान की माफी दे दी हो और हजारों बीघा जमीन दे दी हो। लगान माफ करने के कारण उसके कम्पनसेशन की रकम बढ़ सकती है। उसी प्रकार किसी ने जमीन दस हजार या एक लाख रूपये में बेच दी हो, सेल के आधार पर एवरेज निकलता है और उसके आधार पर कम्पनसेशन की रकम तय होती है, तो वह राज्य सरकार को देनी पड़ती है। उन सब बातों को ध्यान में रख कर राज्य सरकार ने जागीरदारी एबोलिशन बिल में इस प्रकार का प्रोवीजन रखा था वहां तो यह रेस्ट्रिक्शन आवश्यक था, पब्लिक इन्टरेस्ट में थी और अल्ट्रावायर्स नहीं थी। उन प्रोविजन्स का ताल्लुक इस बिल में लाना उचित नहीं है। इसमें किसी प्रकार का सेल गिफ्ट होगा, तो वह टिनेन्ट में या खुदकाश्त टिनेन्ट में किया जायगा। इस तरह का आरबीट्रेरी प्रोविजन रखना सरकार के लिये रिजनेबल नहीं है और वह भी सन् १६५३ से। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने १६४६ से यह क्यों नहीं रखा, आपने १६५३ से ही क्यों रखा है। जमींदारी, जागीरदारी एबोलिशन का सपना पन्द्रह साल पहले ही आ गया था, उसी आधार पर यह रख दिया जाता कि सन् ४६ ने जो भी गिफ्टया सेल किये वे नल एन्ड वॉइड समझे जायेंगे, इसमें आठ साल का क्यों नहीं रखा। आपको जिस प्रकार जागीरदारी समाप्ति का सपना सन् ४६ में आ गया था और आपने कहा कि जागीरदारियां समाप्त होगी उसके साथ यह भी सपना था कि जमींदारियां भी एबोलिश की जायगी? जागीरदारी, सामन्तशाही चली गई और आने वाले समय में केपीटिलिस्ट और केपीटलिज्म भी जाने वाला है। इस प्रकार का सपना जब आपको सन् ४६ में आगया था तो आप इस प्रकार का प्रावधान क्यों नहीं कर देते कि सन् ४६ से गिफ्ट ट्रान्सफर्स आदि किये हों उनको भी नल एन्ड वॉइड समझा जायगा? उपाध्यक्ष महोदय, भविष्य में क्या होने वाला है उसके लिये सारी कल्पनायें लगाना और उसके लिये कानून में लिख देना in anticipation of the abolition of the Zamindari and Biswedari......१६५३ में क्या माननीय मंत्री महोदय को सपना आ गया था कि जमींदारियां उनके हाथ से १६५८ में समाप्त होने वाली हैं और इसके लिये वे सन् १६५८ में कानून लायेंगे ज्योतिषियों के बताने के कारण या स्वप्न के कारण या साक्षात्कार होने के कारण राजस्व मंत्री महोदय को सपने से इस प्रकार का ज्ञान हुआ हो कि जमींदारियां खत्म होने वाली है, इसलिए जो भी गिफ्टस या ट्रान्सफर्स कर दिये गये हैं वे सारे ट्रान्सफर्स नल एण्ड वॉइड होंगे? उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे दोनों कानूनों की तुलना करें और उस पर गम्भीरता से सोचें। अगर आप इस प्रकार से दोनों के समान समझते हैं तो उसके क्या कॉन्सीक्वेन्सेज होने वाले हैं उस पर अपने विचार नहीं किया,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसमें पब्लिक इन्टरेस्ट क्या है इसको भी आपने नहीं देखा। जागीरदारी और जमींदारी एबोलिशन के लिये एक कमेटी का निर्माण किया गया था उसकी जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने लिखा है राजस्थान के इन तीन जिलों में बहुत बड़ी बड़ी जमींदारियां नहीं है अलवर, भरतपुर और धौलपुर में, ऐसे ऐसे जमींदार भी हैं जिनके पास केवल पांच पांच बीघा जमीन है, वे भी जमींदार कहलाते हैं। दो दो बीघा जमीन पर खेती करने वाले लोग भी जमींदार कहलाते हैं। वहां जमींदार का मतलब है जो खेत जोतता है। ऐसे बहुत ही कम जमींदार हैं जिनके पास हजारों बीघा जमीन है। जो रिपोर्ट दी है उसके पेज नं० ४, आइटम नं० ११ पर लिखा है : 'The absence of big Zamindar in Rajasthan unlike Bengal Bihar, and U. P.

There are no more Zamindar is in Rajasthan and the overwhelming majority of these Zamindars or Biswedars are petty peasant propritors राजस्थान सरकार ने इस कानून में यह व्यवस्था की है चाहे वह दो बीघा का भी प्रोप्राइटरी जमींदार हो, चार बीघा का मालिक हो उस बेचारे को पैसे की जरुरत पड़ी हो और उसने अपनी जमीन का आधा भाग बेच दिया हो या जमीन से पैदावार नहीं हुई हो और अपने लड़के की शादी में उसको पैसे की जरूरत हो और उसने दो बीघा जमीन बेच दी हो या लड़की को गिफ्ट कर दी हो तो उसके लिये भी इस कानून के अन्तर्गत कहा जायगा कि तुम्हें मालूम था कि जमींदारी एबोलिशन होने वाली है इसीलिये तुमने यह जमीन गिफ्ट की है या बेच दी है। हो सकता है इसके लिये मन्त्री महोदय कहें कि हम मिनिमम लिमिट कायम करेंगे उससे ज्यादा का ट्रान्सफर हुआ होगा तो उस पर यह लागू होगा। मेरी समझ में इस प्रकार का प्रावधान रखना कोई रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं। सन् १९५३ जो रखा है उससे कई झगड़े भी पैदा होंगे, कई डिसप्यूट भी खड़े होंगे। अगर उनके निर्णय के लिए आप जुडिशियल ऑफिसर को अधिकार देते तो फिर भी कुछ समझ में आता। इसके लिये क्लॉज ८ में जो व्यवस्था की गई है उसमें लिख दिया गया है, 'If any dispute or question arises with respect to any matter specified in section 4 or section 5 or section 6, such dispyute or question shall be referred to the Collector of the district in which the estate vesting in the State Government by virtue of a notification under Sec. 3 is situate.' यदि कोई इस प्रकार का डिसप्यूट खड़ा होता है तो यह सारा मामला जुडिशियल कोर्ट में नहीं जायगा। इस प्रकार के जितने भी झगड़े होंगे उसको कलेक्टर साहब तय करेंगे और कलेक्टर साहब की अपील कमिश्नर तक हो सकेगी उसके आगे कोई अपील का प्रोविजन नहीं है। इस कानून के अन्तर्गत यह मामला रेवेन्यू बोर्ड तक नहीं जायगा। इसके लिये मंत्री महोदय कह सकते हैं कि रिवीजन में जा सकता है, लेकिन रिवीजन के पावर्स आसानी से एक्सर्साइज नहीं कर सकते। ऐसी इर्रेगुलेरिटी and illegal exercise of jurisdiction रिवीजन के पावर्स रेवेन्यू बोर्ड को दिये गये है वे बिल्कुल लिमिटेड हैं। ऐसी अवस्था में सारे मैटर रेवेन्यू बोर्ड में नहीं जायेंगे। आये दिन कमिश्नर्स और कलेक्टर्स के ट्रान्सफर हुआ करते हैं। आज जो असिस्टेन्ट सेक्रेटरी हैं तो कल डिप्टी सेक्रेटरी हो सकता है। किसी समय देवस्थान विभाग

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का कमिश्नर भी हो सकता है और फिर जाकर कहीं कलेक्टर होता है। उसके सामने डिस्प्यूट होंगे तो उसका फैसला उसी प्रकार होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का जो प्रावधान रखा है उसमें और जागीरदारी एबोलिशन बिल में जो प्रावधान रखा है उसकी समानता नहीं हो सकती दोनों। को अलग अलग रूप से देखा जाय........

३ म० प०

दूसरी बात, यह भी रख दिया किन्हीं सज्जन ने फोरेस्ट के बारे में कि कोई एग्रीमेन्ट और कन्ट्राक्ट कर लिया : Any agreement or contract made by a Zamindar or Biswedar with any person on or after the first day of January, 1953-

(a) relating to or granting a lease of any forest in his estate for a period exceeding five years, or... ..

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो प्रोविजन रखा है, मैं समझता हूँ, जमींदारी एरिया में कोई भी इस प्रकार का फोरेस्ट नहीं है जिसका ठेका उन्होंने किसी को पांच साल के लिये दिया हो। पर जहां पर फोरेस्ट हैं वहां पर तो कार्यवाही आप करते नहीं। ४९ में उदयपुर के इलाके में जागीरदारी हक आपने ले लिये। फोर्मर स्टेट के वक्त में ले ली। टाइटिल खत्म न करके राइट्स ऑफ कलेक्शन ले लिये फोरेस्ट वगैरह के। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही प्रसिद्ध वह पानरवा काण्ड वहीं का है। उस जागीरदार के भी राइट्स ले लिये थे और इसके बाद भी इस प्रकार की परिस्थिति चलती रही, लाखों का घोटाला होता रहा। इसके बारे में सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकी। पर जिसके पास चार बीघा का जंगल है और उसने उसे किसी कारण से, किसी मजबूरी से किसी को दे दिया तो वह आपकी तरफ से नल और वॉइड होगा। ये हैं आपके तरीके। उधर पानरवा सरीखे कांड होते रहें पर इधर चार बीघा का जंगल आपको बर्दाश्त नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत अधिकारों पर इस प्रकार का कुठाराघात करना, उनको राइट्स से इस प्रकार डिप्राइव कर देना, फण्डामेन्टल राइट्स जो कान्स्टीट्यूशन ने हर व्यक्ति को दिये हैं उनको छीनना, वे कह सकते हैं कि आर्टिकल ९९ में आपको अधिकार हैं, उचित नहीं है। आप आर्टिकल की बात कह सकते हैं पर उसके अनुसार आपकी रेस्ट्रिक्शन्स रीजनेबल होनी चाहिए। आप क्या रीजन देंगे इसमें, इससे कौनसा पब्लिक इन्टरेस्ट क्लैश होता है या सर्व होता है, इसमें कौनसा पब्लिक इन्टरेस्ट खड़ा होता है? कितने बीघा जमीन उनके पास होगी? किसी के पास पांच, किसी के पास दस, किसी के पास बीस बीघा जमीन होगी। मैं कह सकता हूँ इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में अधिक से अधिक हजार बीघा जमीन होगी और एक हजार बीघा से ज्यादा के कितने जमींदार हैं, यह आप देखें।

इस प्रकार की परिस्थिति जहां नहीं है ऐसी स्थिति में इस प्रकार के प्रोविजन रखना, कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ लेकर क्लॉज़ ६ रखना यह एक्ट के उपयुक्त चीज नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ लेना रीजनेबल नहीं है। इसलिये नल और वॉइड करार देने का इन्तजाम मत करिये। उस वक्त का भी आप इन्तजार मत करिये कि इन मामलों को लेकर कोई हाई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कोर्ट में जावे। अब यह इन्तजार मत करिये कि अगर कोई कल अपील करेगा और हाईकोर्ट का डिसीजन इसके खिलाफ होगा, तो हम उसको मान लेंगे। हम पहले ही इसे देखें ताकि उस वक्त यह स्थिति ही नहीं आवे कि हाई कोर्ट कहे तब मानें। हमें, लेजिस्लेटर्स को इस प्रकार की बातों का ध्यान पहले से कानून बनाते समय ही रख लेना चाहिये। यह इन्तजार करने का दृष्टिकोण सही नहीं है। यहां हम बैठे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो हमें ध्यान पहले रखना ही चाहिये। और इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह क्लॉज ६ या तो आप रखें नहीं। और अगर रखते ही हैं तो कम से कम यह अवश्य करिये कि जो भीमसेनजी ने प्रोविजन रखा है वह मान लें आप। इस प्रकार ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी के बारे में आसान कानून बना रखा है। तो ऐसी स्थिति में ५३ से लागू करने में कौनसी ऐसी एब्नॉर्मल स्थिति पैदा हो गई है? आज से कर सकते हैं इसके बाद जो होगा They shall not be deemed to be transfered by sale according to law.

तो जहां तक रिट्रोस्पेक्टिव आपरेशन का सवाल है मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा कि वे सारी परिस्थितियों पर शान्ति के साथ विचार करें। केवल इधर उधर के उदाहरण देकर और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बिना देखे पढ़े इस तरह के रेफेरेन्स देना सही नहीं होगा और इसके आधार पर कोई भी तर्क देना न्यायसंगत नहीं होगा। जो संशोधन रखा है वह स्वीकार करें यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग : उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा ६ के प्रश्न को लेकर अभी एक माननीय सदस्य ने जनताके वैधानिक अधिकारों की बड़े जोरों से दुहाई दी है और हमारे संविधान को भी जो कि हमारे लिये बड़ी पवित्र वस्तु है, उद्धृत किया है, उसकी बड़ी दुहाई दी है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के अधिकारों की दुहाई समय समय पर लोगों ने अपने अपने स्वार्थों के संरक्षण के लिये दी है। एक ऐसा युग था जब हमारे राजे महाराजे अपने आपको ईश्वर का अंश बतलाते थे और अपने अधिकारों को दैवी अधिकार मानते थे। इंगलैंड में लोग राजे महाराजों को ईश्वर का पुत्र मानते थे और इस पर जनता पर निरंकुश रूप से शासन करना अपना दैवी अधिकार मानते थे। इंगलैंड का इतिहास इस बात का साक्षी है कि वहां यह स्थिति रही और बाद में यह स्थिति भी आई कि एक समय के बाद वहां की जनता में समझ आई, समय ने उनको समझ दी और एक दिन उनका एक जो अलिखित संविधान था उसमें यह बात भी जुड़ी कि राजाओं का कोई दैवी अधिकार नहीं है। उनके अधिकार सीमित किये गये और आज मैं समझता हूं कि वहां यह दैवी अधिकारों की वस्तु कुछ नहीं रही।

हमारे यहां इसी अधिकार का नाम लेकर जो जागीरदार, जमींदार और बिस्वेदार बहुत अर्से से जमीन का जो उपयोग करते आ रहे थे, उस जमाने में यहां अंग्रेजों का शासन था, विदेशी शासन था और इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि ये जमींदारियां, जागीरदारियां आदि इसलिये बनी कि इनको संरक्षण विदेशी सरकार के हित में विदेशी शासकों द्वारा मिला हुआ था। अंग्रेजों ने स्वयं बंगाल में जमीदारी को पैदा किया।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

शायद वह लॉर्ड कार्नवालिस था जिसने इस प्रथा को स्थापित किया और वे जमींदारियों, जैसा कि शायद मैंने पहले कई अवसर पर बतलाया, कुछ थोड़ी बहुत जमीन पर ही नहीं थी, एक, दो, या दस, बीस या सौ, दो सौ गांवों पर ही नही थी, पर इतनी बड़ी जमीन अकेले एक दरभंगा के जमींदार को दी थी कि उनको महाराजाधिराज कह कर लोग पुकारते थे और उन गांवों से, उस जमींदारी से उनको दो करोड़ की उन दिनों में आमदनी थी। अंग्रेजों ने इसे अपने हित में समझा और इसका बंगाल, बिहार और यू. पी. में जाल बिछा दिया। राजस्थान में भी इसको कुछ जगह पनाह मिली और जब तक अंग्रेजों का शासन रहा उनको थोड़े बहुत अधिकार रहे।

अब जब कि वह विदेशी शासन चला गया, जनता का शासन आया तो यह स्वाभाविक था कि जनता, जमींदारों को या कि उन लोगों को जिनका निहित स्वार्थ इसमें था चाहे वे राजे महाराजे हों, जागीरदार हों या जमींदार हों कोई हो सेठ साहूकार हों, बड़े बड़े व्यक्ति हों या बड़े बड़े पूंजीपति हों वे जो कि अपने दैवी अधिकार समझ कर अभी तक उनका उपयोग करते आ रहे, समाप्त करती। आज ये सारे अधिकार जनता में निहित हैं।

इस दृष्टि से पहले जो राजे महाराजे थे, उनके राज्य लिये गये, उनके निर्वाह के लिये यह जरूरी समझ कर कि उनको जो देना चाहिये वह उनको दिया गया। इसी प्रकार निर्वाहार्थ कुछ देकर जागीरदारी की समाप्ति हुई। मैं समझता हूं कि ऐसा जमाना था आठ साल पहले जागीरदारों की तरफ से उनके कुछ वकीलों ने और हिमायतियों ने भी इस तरह की आवाज उठाई थी अपने अधिकारों के नाम पर। पर जो बड़ा प्रवाह चल रहा है....

श्री दयाकृष्ण विजय : कोरम तो बिलकुल नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय ! कल भी यही स्थिति थी।

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या साहब, अब कोरम माना जावे ?

श्री उपाध्यक्ष : On the strength of the Speaker, It stands on the strength of the speaker.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Hon'ble Member should be asked to resume his seat.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : हां, तो....

श्री सतीशचचन्द्र अग्रवाल : You can't resume the debate.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : That is why I am asking.

श्री उपाध्यक्ष : Is the Qurome not present.

(कोरम की घंटी बजाई गई)

श्री दयाकृष्ण विजय : कोरम आ रहा है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Member to resume the debate.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : तो मैं यह कह रहा था कि जिस वक्त हमारे राज्य में जागीरदारी समाप्त होने जा रही थी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उस समय जागीरदारों के हिमायती और वकील भी अधिकारों के नाम पर इस प्रकार की आवाज उठाते थे कि यह उनका वैधानिक अधिकार है और यह अधिकार उनका रहना चाहिए। इनको हटाने से ऐसा होगा, हाईकोर्ट में ऐसा होगा, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होगा इस तरह की बहुत सी बातें उस समय कही गई थीं। लेकिन हमने देखा कि हमारे यहां बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी २००) रुपये तक की जागीरें खत्म हुईं। आज देर से ही सही मुझे तो इस बात का विचार है कि यह जमींदारी उन्मूलन बिल इतनी देर से नहीं आना चाहिये था। लेकिन देर से ही सही इसका पारित होना परम आवश्यक है। लेकिन आज भी इस प्रकार की दलीलें सुनाई दे रही हैं कि जमींदारों की जमींदारी लेना आज उनके जो वैधानिक अधिकार हैं उनका अपहरण करना है। वे कहते हैं कि छोटी छोटी जो जमीनें हैं उनको लेने से क्या होगा? मैं समझता हूं कि मैंने पहले भी इस विधेयक के संबंध में यह विचार प्रकट किये थे कि जैसे ही यह मालूम हुआ कि इस प्रकार का एक विधेयक राजस्थान विधान सभा में आने वाला है तो मैं तो अकेले भरतपुर का ही उदाहरण देता हूं। एक ही जमींदार ने शायद ९०० या १,००० बीघा जमीन बेच दी और वह करीब १५० रुपये से २०० रुपये बीघा तक उन्होंने बेची, यह पता चला। शायद इसको अभी साल भर ही हुआ है और इस तरह पहले न मालूम सीलिंग का भी पता पड़ गया था कि सीलिंग आ रही है तो वह जमीन बेची जा चुकी थी...

श्री भीमसिंह : वह जमीन तो काश्तकारों को ही बेची होगी?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसका अर्थ तो यही है लीज़ के लिए जो चीज दी हुई है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज लीज के लिए है सेल नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने वह बेच दी और बेचने के साथ साथ रुपया बना लिया। वैसे तो यहां पर कहते हैं उस पर लागू होगा और उसको मान्यता नहीं दी जायेगी। लेकिन मैं तो यह समझने में असमर्थ हूं कि यदि वह जमीन बेची गई है और उसका रुपया ले लिया और रुपया किसी भी काम में खर्च कर दिया तो उसको मान्यता नहीं देने से ट्रान्सफर का अधिकार होगा तो वह व्यवहार में कैसे आयेगी? वह जमीन जो दे दी गई है वह पैसा दे चुके जमीन के ट्रान्सफर करने वालों को और जमीन को मान्यता प्रदान नहीं करेंगे तो किस प्रकार से वह व्यवहार में लायेंगे, यह सवाल है। लेकिन इस संबंध में जो संशोधन एक माननीय सदस्य बीकानेर से आने वाले की ओर से लाया गया यह कानून सिर्फ अब लागू किया जाये जिस दिन से यह कानून बना है उस दिन से लागू किया जाये। मैं समझता हूं कि इससे मतलब यही है कि वे लोग भी यही चाहते थे कि हम जितनी भी जमीन जिसको जमींदारी के रूप में जिसका उपयोग किया है और किसानों का अधिक से अधिक शोषण किया है और अब ऐसे कानून आने वाले हैं कि जिससे वह जमीन हमारे हाथों से जायेगी और जो भूमि के असली पुत्र किसान हैं उनके पास जाने वाली है, तो वह यही सोच कर कि कानून चार छः महीने के बाद बन वाला है उसने जमीन को बेचकर पैसा जेब में डाल लें, दूसरे कामों में खर्च कर दें और मैं तो समझता हूं कि इस प्रावधान का रखना बहुत जरूरी है। मैंने यह सवाल भी किया था कि जो लोग एन्टीसीपेशन में कोई इस तरह से कर दे तो उसके लिए

(जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

प्रावधान रखना चाहिए। सीलिंग आया है उसमें भी सवाल उठाया है कि जो लोग पहले से ही बेचेंगे तो क्या होगा। तो वैसे भी नियम निर्धारित किये जायें कि जो भी जमींदार इस कानून के अमल में आने से कुछ समय पहले एक समय निश्चित कर दिया गया है, उस समय के अन्दर जो लोग जमीन को बेचेंगे ट्रान्सफर करेंगे उसको मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी। मैं समझता हूं कि इसके अन्दर जो प्रावधान रखा गया है वह बहुत आवश्यक है और जो संशोधन लाये गये हैं कि उसी दिन से, जब से कानून बने जमींदारी उन्मूलन का उसी दिन से लागू हो तो यह बिलकुल निरर्थक हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पूर्ण सार्थक बनाने के लिए, किसानों के हित के लिए यह बनाया जा रहा है उनको पूरी सहायता पहुंचाने के लिए और जिन जमींदारों ने अब तक किसानों का शोषण किया है और फिर भी उसी जमीन को बेच कर आज फिर बहुत सा पैसा इकट्ठा कर लेंगे उसको बचाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस धारा को इसी रूप में जिस रूप में यह है स्वीकार करें और जो संशोधन बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको हम यहां पर अस्वीकार कर दें तभी इसकी मन्शा पूरी हो सकेगी।

श्री रामचन्द्र (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ ६ में जो इस सदन के माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं, उन सभी संशोधनों का मैं विरोध करता हुआ यह नम्र निवेदन करता हूँ कि...

श्री उपाध्यक्ष : सभी का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा विस्तृत न हो जायें।

श्री रामचन्द्र : नहीं, मैं बहुत ही संक्षेप में कहूँगा, विस्तार में नहीं कहूँगा। लेकिन जो संशोधन पेश किये गये हैं मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह क्लॉज़ मूल रूप में स्वीकार करा ली जाये और इसमें कोई भी संशोधन स्वीकार न किये जायें। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार जब कानून बनाती है तो कानून बनाने के पहले सरकार की जो नीति होती है और जैसा वातावरण उस समय देश में फैला हुआ होता है उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाती है। इस समय जो कानून बनाये जा रहे हैं उनके लिये इन्हीं बातों का ध्यान रखा गया है।

श्री मूलचन्द डागा : कानून तो असेम्बली में बनते हैं।

श्री रामचन्द्र : असेम्बली क्या है ? यह भी वातावरण का ध्यान रखती है।

श्री उपाध्यक्ष : उनको पहुँचने दीजिए। बीच में ही क्यों रोकते हैं।

श्री रामचन्द्र : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस समय जब कि राजस्थान का निर्माण हो चुका और यहां के लोग स्वतंत्रता का उपभोग करने लगे, उसी समय लोगों को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि अब हमारी सम्पत्ति जिसका कि हम बहुत असें से उपभोग करते आ रहे हैं वह अब हमारे पास नहीं रहेगी और उसके विसर्जन के लिए अब हमको निश्चित रूप से तैयार होना पड़ेगा और इस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे विरोध में सरकार बहुत से ऐसे कानूनों का निर्माण करेगी। इसके फल स्वरूप सरकार की उस पॉलिसी को चेलेन्ज़ करने के लिए

(श्री रामचन्द्र)

हमारे बड़े बड़े जागीरदारों जमीदारों ने ऐसा ही किया ।

श्री उपाध्यक्ष : इस एन्टीसिपेशन के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है ।

श्री रामचन्द्र : मैं तो अधिक नहीं कहूँगा, बहुत थोड़े में कहूँगा । उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम मुझे ५ मिनट तो दे दिये जायें ...

श्री उपाध्यक्ष : वैसे आपको पूरा अधिकार है ।

श्री रामचन्द्र : तो मेरा निवेदन करना यह है कि कानून के बनाने के पेश्तर जो हमारे यहां जमीदार और बिस्वेदार थे उन्होंने अपनी जमीन का उपभोग करने के लिए बहुतों ने उसको बेच डाला, ग्रान्ट किया और इस ढँग से ट्रांसफर्म दूसरों के हक में कर दिया ताकि आइन्दा जब कभी ऐसे कानून बनें तो उनको उसका फायदा मिल जाय । जनता की सम्पत्ति जिसका उपभोग वे लोग सैकड़ों वर्षों से करते आये हैं उसके बचाव के लिए इस धारा में जो आखिरी ३ लाइनें रखी हैं वह बहुत ही उचित हैं कि अगर किसी ने 'नोट इन गुड फेथ' (not in good faith) अगर किसी जमीन का सेल कर दिया या उसको ग्रांट कर दिया है तो वह नाजायज़ समझी जाये । इसलिए इस धारा के अन्दर यह संशोधन रख दिया जायेगा तो जमींदारों, जागीरदारों और बिस्वेदारों की मन्शा की पूर्ति हो जायेगी और इससे हमारे किसानों का बहुत अहित होगा । क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस संशोधन के रखने में इस सभा के सदस्यों ने जो दलीलें दीं और उनका यह कहना है कि जागीरदारों, जमीदारों और बिस्वेदारों को यह मालूम नहीं था वह तो बहुत ही शुद्ध हृदय के व्यक्ति हैं और वह तो गरीबों की हमेशा मदद करते आये हैं, यह कहां तक ठीक है ।

इस बात की प्रत्यक्ष मिसाल तो इसी वक्त देखी जा रही है कि जब भूमि वितरण, उसके अलॉटमेंट का सवाल आता है तो आज गरीबों को १५, १५ बीघा जमीन देने के लिए, सरकार ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम गरीबों को कदम कदम पर दिक्कतें आ रही हैं । जब किसी गरीब को १५ बीघा जमीन देने के लिए सवाल आता है और भूमि पाने के लिए वह दरख्वास्त देने की कोशिश करता है तो उसी गांव के बड़े बड़े काश्तकार जिनके पास दो दो सौ, चार चार सौ बीघा जमीन होती है वे ही अपने भाई, भतीजों, बेटे और पोतों के नाम से दरख्वास्तें देकर उस जमीन पर कब्जा रखने की कोशिश करते हैं । ऐसी नीयत बड़े अर्से से लोगों की बन गई है जिससे गरीबों का बहुत अहित हुआ है । इसलिए गरीबों के अधिकारों की रक्षा करने के वास्ते इस क्लॉज़ को बहुत पहले ही अच्छी तरह से सोच विचार कर रखा है । इसका मूल रूप से रहना ही उचित है । इसके किसी पोरशन को डिलीट करने की अथवा संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है । यही मेरा निवेदन है ।

३. २२ म० प्र०

७ नवम्बर, १९५८ को उठाए गये औचित्य प्रश्न पर निर्णय

श्री उपाध्यक्ष : I would like to give my own observations on the Point of Order raised by Shri Brij

५ नवम्बर, १९५८ के निर्णय

(श्री उपाध्यक्ष)

Mohan Lal Sharma on 7th of November, 58.

On 7th November, 1958, when the Rajastean Zamindari and Biswedari Abolition Bill, 1958 was being considered, Shri Brij-Mohan Lal Sharma raised a point of order to the effect that under the Ajmer Abolition of Intermediaries and Land Reforms Act of 1955 Biswedars and Khewatdars have been excluded from the definition of the term 'estate holders'. In this connection he made a reference to sections 119 and 120 of the State Re-organisation Act 1956 by virtue of which the aforesaid Ajmer Act is still holding good. His main objection was that definitaion of Biswedar, as contaied in the Rajasthan Zamindari and Biswedari Abolition Bill, 1958 intends to abolish Biswedars and Khewatdars in the territory of Ajmer also which is not regular, when the latter enjoy exemption under the aforesaid Ajmer Act.

I have considered all possible aspects of the points so raised and am of the view that under the constitution the legislature of a State is empowered to make laws for a State the territories of which have amalgamated into the successor State and, therefore, this State Legislature is fully competent to make any law in respect of the former State Ajmer irrespective of whether such is calculated to run counter to any law in force in the successor State by virtue of section 119 of the States Reorganisation Act, 1956 or a corresponding law may be in force there, I also understand that the Rajasthan Revenue Laws (Extension) Act 1957 extends to Ajmer The Rajasthan Tenancy Act 1955. In view of this I rule out the point of the order raised by Shri Brij Mohan Lal Sharma.

श्री गिरधारीलाल : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज ६ ....

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : On a point of information Sir. It means that there can be a concurrent legislation.

श्री उपाध्यक्ष : Well whatever it may be the meaning is before you.

३. २५ म० प०

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १६५८

(पूर्व क्रम से)

श्री गिरधारीलाल (नोखा): इस क्लॉज़ पर जो माननीय भीमसेनजी ने संशोधन रखा है पहले तो मेरा विचार था कि जो क्लॉज़ है इस एक्ट के अन्दर उसका मैं समर्थन करूं, लेकिन बाद में इस क्लॉज़ के जो मूल एक्ट के अन्दर दिया गया है इसमें एक खामी मैंने पाई है। वास्तव में अगर हम गम्भीरता से सोचें तो इस क्लॉज़ से जमींदारों को फायदा है और किसानों का अहित है। किसानों को इस बात से काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार की ओर से

Page No.78

(श्री गिरधारीलाल)

जो यह बिल पेश किया गया है और जो यह क्लॉज है, इस क्लॉज़ के साथ में एक अगर प्रोविजो और जोड़ दिया जाता तो मैं सोचता हूं कि यह क्लॉज़ काफी प्रगतिशील मानी जाती, और वह किसान के हित में प्रोविजो होता। अगर सरकार इस बात का प्रोविजो जोड़ देती कि एक जनवरी, ५३ के बाद में जितने भी ट्रान्सफर जमींदारों ने किये हैं, जिस व्यक्ति को जिस किसान को जमींदार ने जमीन ट्रान्सफर की है या बेची है ....

३. २७ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

एक प्रोविजो जोड़कर वह जमीन उसी काश्तकार के अन्दर में रहती तो मैं सोचता हूं कि यह काफी प्रगतिशील मानी जाती। जिस जमींदार की जमींदारी थी और जमींदार ने किसानों को जमीन बेची, कुछ पैसों में बेची या ट्रान्सफर की तो इस प्रोविजन के साथ में अगर एक दूसरा अमेंडमेंट आता सरकार की ओर से कि वह जमीन जिस किसी किसान को बेची गई है वह जमीन उसको मुफ्त में दी जायगी। माननीय सभापति महोदय, ऐसा कोई प्रोविजन इसके अन्दर नहीं है। इसलिए जितनी जमीन सन् ५३ के बाद में जमींदारों ने बेची हैं या ट्रान्सफर की है वह जमीन ली किसने, किसानों ने ली है। उन लोगों ने ली है जिनके पास जमीन की कमी थी और उस जमीन की पूर्ति जमींदारों से जमीन लेकर की और उसके बदले में हजारों रुपये खर्च किये, जो आज तक जमींदारों की जेब में जा चुके हैं। इस तरह से उसको देखने से ऐसा मालुम होता है कि इस क्लॉज़ से जमींदारों का नुकसान होगा। अभी एक मेरे माननीय मित्र कह रहे थे कि जमींदारों ने जिन्होंने सैकड़ों सालों से किसानों का शोषण किया था, अब भी इस क्लॉज़ के द्वारा उनके शोषण का खात्मा कर सकते हैं जिन्होंने सन् ५३ के बाद में जमीनों का ट्रान्सफर किया है उसको वायड करार दे दें। सभापति महोदय, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने जमीन खरीदी है उन लोगों ने हजारों रुपये जमींदारों को दे दिये और अब आप कहते हैं कि वह जमीन जमींदारों की है और वह सरकार के अन्दर में आयेगी तो ....

श्री रामकरणसिंह : माननीय चेयरमैन महोदय, कोरम पूरा नहीं है।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) I am conscious of it

(कोरम के लिए घंटी)

श्री गिरधारीलाल : सभापति महोदय, मैं कह रहा था वैसे देखने में तो यह कानून काफी प्रगतिशील मालूम होता है, लेकिन यदि हम इसकी गहराई में जावें तो मालूम होगा कि इससे किसानों का अहित होने जा रहा। मैं बता रहा था कि सन् ५३ के बाद में जमींदारों ने जमीन बेची किसानों को और किसानों ने खरीदी और बदले में हजारों रुपये दिये और आज हम कानून पास कर रहे हैं कि वह जमीन उन किसानों के पास नहीं रह सकती और इसके बदले में जो मुआवजा देंगे वह जमींदारों को देंगे और उस जमीन पर कब्जा सरकार का होगा। इसका मतलब यह होगा कि जिन किसानों ने हजारों रुपये खर्च किये उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ और यदि वे किसान उन जमींदारों पर दावा भी करते हैं, तो भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि जमींदार, जिनकी

(श्री गिरधारीलाल)

स्वाभाविक तौर से ज्यादा पैसा खर्च करने की आदत होती है वे जीत जायं और किसानों के हजारों रुपये लग जायं और जिन किसानों ने हजारों रुपये जमीन की लागत के दिये हैं वह भी उनको न मिले। इसलिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे हम किसानों का अहित करते हैं। आप इसमें कोई ऐसा प्रोविजो बढ़ा दें जिससे आज तक जिस व्यक्ति का जमीन पर कब्जा है उसी को दिला दें और मुफ्त में जमीन दें तब तो इस कानून का प्रोविजन काफी प्रगतिशील बन जाता है, नहीं तो किसानों को नुक्सान होगा। उसके हजारों रुपये जमीन खरीदने में लग गये और फिर वह कोर्ट में दावा करेगा और साबित करने की कोशिश करेगा कि फलां सन् में उसने जमीन खरीदी और इतने रुपये दिये और उसके बदले डिक्री करानी पड़ेगी। किसान और जमींदार के बीच में झगड़ा होगा और नतीजा यह होगा कि जमींदार जिसने जमीन बेची उसको फायदा होगा और किसान का अहित होगा। वकीलों को पैसे देने पड़ेंगे, किसान साबित नहीं कर पायेंगे। जमींदारों ने लाखों रुपये ले लिये और फिर भी उनको फायदा होगा, लेकिन उन किसानों का क्या होगा इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : सभापति महोदय, जमींदारी, बिस्वेदारी को समाप्त करने के लिये यह जो बिल है उसकी छठी क्लॉज पर बहस चल रही है। सन् ५३ से पहले जो जमीन किसी जमींदार या बिस्वेदार ने किसी को बेची है या किसी को दान में दे दी हैं, तो उसे वापिस लिया जाय। सभापति महोदय, जमींदारी समाप्त हो रही है और सदन में जहां तक देखने में आता है किसी को इन्ट्रेस्ट भी नहीं है जमींदारी खत्म करने के लिये इसलिये बार बार कोरम अधूरा रह जाता है।

सभापति महोदय, इस क्लॉज के पास होने से एक दिक्कत सामने आने वाली हैं वह निश्चय ही यह कि सन् ५३ से पहले जिस जमींदारी ने जमीन बेच दी है और जिस काश्तकार ने जमीन खरीदी तो उसने कुछ रुपया तो जमींदार को जमीन खरीदते समय दिया और सन् ५३ से आज तक कुछ रुपये उसने जमीन को उपजाऊ बनाने में या उसका विकास करने में लगाये और वही जमीन आज उससे छीन ली जाती है तो उस काश्तकार का क्या होगा, वह सोचने की बात है। जिस समय जमींदार से काश्तकार द्वारा जमीन खरीदी गई उस समय क्या काश्तकार ने जमीदार से इस प्रकार के टर्म्स लिखा लिये थे कि यदि तरीके से जमीन वापिस होगी, तो पैसा उसको वापिस किया जायगा ? मैं समझता हूं इस प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं है। उस काश्तकार से जमीन वापिस होगी और रुपये जमींदार को दे दिये हैं वे चले जायेंगे। यदि वह अदालत में इस रुपये के लिये चाराजो करेगा तो दिक्कत खड़ी हो जायेगी। जब हम जमींदारी को खत्म करने जा रहे हैं। और सारा काम प्रेमपूर्वक करना चाहते हैं उस हालत में भी यह झगड़ा खड़ा हो जायगा, इसलिये यह क्लॉज ठीक नहीं जंचता।

केवल यही नहीं है कि जो जमीन बेची है वही वापिस ली जायगी बल्कि जो जमीन दान में भी दी है तो वह भी वापिस हो सकती है, मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आचार्य विनोबाजी भूदान के लिये पदयात्रा करते हैं और जगह जगह से

(श्री सूबेदारसिंह)

जमीन दान में लेते हैं और कईयों ने दी है, तो उस जमीन का क्या होगा ? सन् ५३ के बाद में भी जमीन आई है मंदिरों आदि में तो इस प्रकार का झगड़ा खड़ा होने वाला है । श्री भीमसैन जी ने अमेन्डमेन्ट रखा है उसके लिये और दूसरे माननीय सदस्यों ने जो अमेन्डमेन्टस रखे हैं उन सब के बारे में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिये कि जहां जमींदारी एबॉलिश कर रहे हैं वहां यह भी सोचना चाहिये कि बीच में ट्रबल नहीं खड़ी हो जायगी । जिस काश्तकार को जमीन बेची गई उसको परेशानी न हो और उसने जितने रुपये दिये हैं वे उसको मिल जाय और जमीन भी दी जाय, यह मैं कहना चाहता हूं ।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : सभापति महोदय, यह जो धारा ६ है उसके सब-क्लॉज़ (१) का मैं विरोध करता हूँ, जमींदारी एबॉलिशन बिल के द्वारा हम जमींदार के हक को रिज्यूम कर रहे हैं । सभापति महोदय, जमींदार को राइट था कि अपने जमींदारी के मालिकाना राइट को दूसरों को बेच सके । अब जबकि ये राइट उसके थे और वह अपने मालिकाना राइट दूसरों को बेच सकता था, तो उस हक को खरीदने वाला भी एक तरह से जमींदार हो जाता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि एक जमींदार की एवज में दूसरा आ गया और एक मुआवजा दूसरे को मिल रहा है, तो उसमें सरकार को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिये । यहां जमींदार और काश्तकार का सवाल नहीं है, बल्कि यहां तो जमींदारी राइट सन् ५३ के बाद में बेचा गया है और जिसने बेचा है उसने उसके बदले में पैसा ले लिया है, तो क्या आज सरकार उसी को दुबारा पैसा मुआवजे के तौर पर दिलाना चाहती है । यह काश्तकार का सवाल नहीं है, बल्कि यहां तो सवाल यह है कि सन् ५३ के बाद में जितने जमींदारों ने अपना राइट बेचा और जिन्होंने लिया है उसे खत्म कर दिया जाय और जमींदार जो पैसा कमाने वाला है और उसने बेईमानी की हैं उसी को और रुपये दिये जायँ, यह समझ नहीं आता कि यह क्या चीज हो रही है ? यह सवाल सामने है, यह प्रोविजन है कि गुड फेथ में बेचा हो या बेड फेथ में, लेकिन बेचा इसलिये कि हमारी जमींदारी चली जायेगी, लेकिन उसको बेचने का हक था इसलिए बेचा, लेकिन जिसने खरीदा वह भी तो एक जमींदार है । मान लीजिये किसी काश्तकार को बेचा है तो जमींदारी का मुआवजा उसको मिल जायगा और जमीन भी उसके पास रह जायगी क्योंकि उसने उस पर खुदकाश्त की है । यदि वह खुदकाश्त करता है तो खुदकाश्त की जमीन उसके पास रह जायगी, तो कब्जा लेने का कारण मेरी समझ में नहीं आता । इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि यह जो क्लॉज़ रखा है वह बिल्कुल विपरीत है एक जमींदार ने बेईमानी की है, उसने एक काश्तकार से रुपये वसूल किये हैं उसको कुछ न कह कर जिसने गुड फेथ में खरीदा है उसको कहते हैं कि तुम्हारा कब्जा नाजायज है ।

आज हम देखते हैं कि कोई कानून बनाते हैं तो उसका असर क्या होगा, यह देखना जरूरी होता है । जब कानून हम सन् ५८ में बनाने जा रहे हैं और सन् ५३ के बाद की बिक्री को खत्म करने जा रहे हैं यह उपयुक्त बात नहीं कही जा सकती । इस धारा को हटा देने से सरकार को कोई नुकसान नहीं है और न काश्तकारों को नुकसान है । सरकार का उद्देश्य है कि बिचोलिये बीच में न रहें, तो

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

बिचोलिये जो बीच में बन गये हैं पहले हट गये, दूसरे आ गये उनको दीजिये। चाहे उन्होंने १०,००० में खरीदी, खरीद ली होगी, लेकिन हम जो मुआवजा आठ गुना या दस गुना देना चाहते हैं वही तो लेंगे। इसलिए समझ नहीं आता कि सब-क्लॉज़ (१) जो विपरीत है और जो हटाने के काबिल है उसे क्यों रखा जाता है।

श्री **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, धारा ६ पर सदन में इस समय वाद-विवाद हो रहा है। इस सम्बन्ध में कई संशोधन सदन में प्रस्तुत किये गये हैं और यह कहना चाहिए कि जितने भी संशोधन पेश हुए हैं और जो भी भाषण हुए हैं, जो मैंने सुने हैं, उनमें सिवाय एक माननीय सदस्य के सबने इस धारा की भावना का विरोध किया है......

श्री **दामोदरलालव्यास** : आपने नहीं सुना है, उसका क्या होगा ?

श्री **भैरोंसिंह** : ऐसी स्थिति में मैं अगर यह कहूं कि सदन के अधिकांश सदस्य इस धारा का विरोध कर रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और इस कारण यह मान कर चलने की भी गुंजाइश है कि सदन की भावना माननीय मंत्री जी द्वारा एप्रीशियेट की जायगी, लेकिन केवल इस आधारा पर कि यह भावना एप्रीशियेट की जायगी, अगर किसी प्रकार का भ्रम मुझे रह जाय तो मैं समझता हूं उसके कारण नुकसान भी हो सकता है। वास्तव में जमींदारों ने इस कानून से बचने के लिए सेल किया है, जहां भी उनको मौका मिला है, जमींदारों ने जमीन को खेती के काम के लिए या बगैर काम के लिए बेचा है, यह उसी का डर है और उस के कारण से सरकार को भ्रम हो रहा है कि अगर इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया, तो जो जमीन उनके अधिकार में है या जो जमीन उन्होंने बेच दी है, वह जमीन वापिस नहीं ली जा सकती या उस जमीन पर सरकार का अधिकार नहीं हो सकता या इस प्रकार की बिचौती को वाजिब करार नहीं दिया जा सकता। ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि सारी जमीन के ऊपर, जिस प्रकार के भी ऐसे एग्रीमेंट हुए हैं, उन सबको रद्द करार दिया जाय। मैं, सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी की जानकारी के लिए, जिन्होंने स्वयं ने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से नियुक्त जमींदारी एबॉलिशन कमेटी का सभापतित्व किया है, जिनके हस्ताक्षर से यह रिपोर्ट पेश हुई है, उसी रिपोर्ट के कुछ उद्धरण इस बात की पुष्टि के लिए देऊंगा कि सरकार को एप्रीहेन्शन हो रहा है, इस प्रकार का एप्रीहेन्शन बिल्कुल निर्मूल है। वैसे तो उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में यहां तक भी कहा है कि जमींदारी एबॉलिशन के कारण जिस प्रकार के प्रभाव होने वाले हैं, वे मामूली से हैं। उस रिपोर्ट के पेज ५ पर उन्होंने लिखा है :

"Zamindari or Biswedari tenure is inherited but these Zamindars and Biswedars do not possess full proprietory rights and restrictions have been imposed almost in all cases as will be seen from the following resume of the relevant provisions of the revenue laws in the covenanting States......"

आपके कहने का मतलब यह है कि अधिकांश केसेज़ के अन्दर, जमींदारों के जो ऐसे अधिकार हैं, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया हुआ है, अधिकार काश्त करने

(श्री भैरोंसिंह)

का नहीं है, अधिकार सेल करने का, मोर्टगेज़ करने का अधिकार, किसी चीज को लीज पर देने का अधिकार, इसी प्रकार से ट्रांसफर करने का अधिकार है, उन अधिकारों के ऊपर तत्कालीन रियासतों ने कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रखे थे। इस कारण से सरकार को एप्रीहेन्शन होता है, मैं समझता हूं उनके शब्दों में ही, उनकी रिपोर्ट के अनुसार, निर्मूल है। जैसा उन्होंने आगे कहा है: 'In Bharatpur State according to rules issued in 1898, no zamindar was allowed to alienate his land by sale or mortgage without the previous sanction of the State Council.'

अब उसके आगे फिर लिखा है: 'In the case of gift, sale or mortgage of Biswedari rights, to permissible classes the previous consent of the Council continues to be indispensable.

इसका मतलब यह है कि जब तक इस प्रकार के अधिकारों के अन्दर सरकार की ओर से कोई तरमीम नहीं हुई है, ऐसे अधिकारों के सम्बन्ध में, जो पहले के आदेश थे, जो सक्यूलर्स इश्यू हुए थे या जो कोई भी कानून हैं, उस कानून में सरकार की ओर से जब तक कोई तरमीम नहीं हुई है, उस समय तक बिस्वेदार भरतपुर स्टेट में बिस्वेदारों को अधिकार नहीं था कि सरकार की बिना अनुमति से जमीन सेल कर दें, जमीन को मोर्टगेज कर दें। यह परिस्थिति केवल भरतपुर में ही नहीं है। उसके आगे पार्ट 'बी' में लिखा है: 'In Alwar State the Biswedars could not alienate Biswedari rights by sale, mortgage or gift except with sanction of the Chief Revenue Officer,

और उसी प्रकार कोटपुतली परगना के लिए लिखा है: 'In the Kot Putli Pargana, the Biswedars could not sell or mortgage to non-agriculturists without the permission of the revenue authorities.

डी० में लिखा है: 'In the area of former Dholpur State the Zamindars have no real proprietory rights, but merely contract with the State for the payment of revenue. Their position is merely that of the collectors of revenue, but these Zamindars cannot transfer their rights without previous consent, and then only to agriculturists who are residents of the State.

और इसी तरह से आगे लिखा है: 'In the Ganganagar Colony too, the previous sanction of the revenue authorities is required for alienation.

अब मेरी समझ में नहीं आता, एक तरफ, जहां मेरी जानकारी का सम्बन्ध है, हो सकता है राजस्थान सरकार, जिन्होंने कानून बनाया है, उस राजस्थान के प्रतिनिधि माननीय राजस्व मंत्री को मेरे से अधिक जानकारी हो लेकिन मैं ऐसा विश्वास करके चलता हूं कि जो पुरानी रियासतों के इस प्रकार के जमीन के एलीनियेशन के सम्बन्ध में नियम बने हुए थे, उनमें ट्रांसफर के सम्बन्ध में जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया हुआ था, उनके बारे में हमारी सरकार ने न तो किसी प्रकार की ढिलाई की है, न उस प्रकार की आज्ञाओं में संशोधन किया है। वे आज्ञायें, या नियम आज तक उसी प्रकार प्रचलित हैं,

Page No.83

(श्री भैरोंसिंह)

जिस प्रकार पहले प्रचलित थीं। अब परिस्थित पैदा होती है कि जब इस प्रकार के नियम थे, जब रेस्ट्रिक्शन हमने इम्पोज किये हुए थे, तब यदि कोई जमीन सेल हुई है या ट्रांसफर हुई है, उसे मोर्टगेज़ किया है, या इस प्रकार की कार्यवाही जमीन के अन्दर बिस्वेदार ने स्वत: कर दी है या सरकार की इजाजत से कर दी है। मैं ऐसा समझता हूं सभापति महोदय, अगर सरकार की इजाजत से कर दी है, तो यह मान कर चलना पड़ेगा और निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा कि जो काम सरकार की इजाजत से हुआ है, वह काम इस इम्प्रेशन से नहीं हुआ है कि जो जमींदारी एबोलिशन एक्ट का ऑब्जेक्ट है, उसको डिफीट किया जाय। उन्होंने सरकार के सामने दर्ख्वास्त पेश की होगी, अपनी मजबूरियां जाहिर की होंगी, इच्छायें व्यक्त की हों और नियम के आधार पर सरकार ने उनको इस बात की इजाजत दी होगी। आज कहें : Notwithstanding anything contained in......

इसमें लिखा है : Notwithstanding anything contained in any law, no transfer of an estate or part thereof made by the Zamindar or Biswedar on or after the first day of January, 1953......

इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि किस कानून के अन्तर्गत जमीन को ट्रान्सफर किया गया है, किस कानून के अन्तर्गत जमीन को ट्रांसफर करने का अधिकार प्राप्त है। इस बात की चिन्ता नहीं है कि सरकार की इजाजत से ट्रांसफर की है। आज राजस्थान सरकार को चिन्ता पड़ी है कि जिस जमीन को ट्रांसफर करने को लोगों को इजाजत दी है, उस पर्माशन के आधार पर जमीन ट्रांसफर हुई है, सरकार ने जो गलतियां की हैं, उन्हें दुरुस्त करने का खामियाजा जमींदार उठाये या जिसको ट्रान्सफर की है, वह उठाये मैं समझता हूँ कानून की दृष्टि से माननीय राजस्व मंत्रीजी अपने आपको माहिर समझते हैं, माहिर समझते होंगे पर नैतिकता की दृष्टि से कानून की परिभाषा किस प्रकार से रख कर उन मूल सिद्धान्तों की तरफ भी देखना पड़ेगा कि सरकार आज एक नियम बनाती है, कानून बनाकर लोगों को एक सुविधा प्रदान करती है। और सरकार द्वारा बनाये गये उन नियमों के अन्तर्गत एक व्यक्ति आचरण करता है, और फिर सरकार कहती है कि अब हम एक दूसरा नियम बनाते हैं, उसके अनुसार आज तक हमारे पहले के बनाये हुए नियमों के अनुसार जो आचरण किया गया वह दूषित था, दोषपूर्ण था और उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा तो यह कभी न्याय नहीं कहा जा सकता, तो इस कानून में यह दलील की गई है, वह मेरी समझ में नहीं आती। एक कानून में आपने गारन्टी दी और फिर दूसरा कानून बना कर उस गारन्टी को छीन लिया। एक तरफ सरकार कहती है कि काश्तकारों के दिमाग में एक अनिश्चितता का वातावरण है उसको हम दूर करना चाहते हैं और फिर दूसरी तरफ टिनेन्सी एक्ट की एक धारा है उसमें सरकार कहती है : 'Releving, whether in whole or in part, a tenant from liability for payment of rent for any land comprised in the holding......,'

कुछ ऐसा लगता है कि किसी एक व्यक्ति की बिल्कुल बूढ़ी भैंस मरती है और उसके नीचे बकरी का बच्चा आ जाय, जिसकी भैंस मेरे उसको भैंस की चिन्ता नहीं रहती पर जो जिन्दा

(श्री भैरोसिंह)

रहने वाला बकरी का बच्चा है उसका सोच रहता है।

हम चाहते हैं कि जमींदारी जल्दी से जल्दी खत्म हो पर यह नहीं चाहते कि जो काश्तकार का कब्जा है, उसने कानून से जो हक हासिल किया है, उसके साथ अन्याय किया जाय। उस किसान ने रुपया जमींदार को दे दिया और उससे हम फिर रुपया यह कहकर लें कि जमींदार ने गलत तरीके से ज़मीन बेची थी, यह न्याय नहीं कहा जा सकता। जमींदारी खत्म की जाय पर उसके साथ काश्तकार का हित है उसको ध्यान में रखा जाय। जमींदार ने काश्तकार को यह कह कर जमीन दे दी कि मुझे इस समय रुपयों की आवश्यकता है, मुझे इतना रुपया दे दे मैं तेरे से १० वर्ष तक लगान नहीं लूंगा, तो इस पर सरकार कहती है कि ले लिया होगा, तो ले लिया होगा। दूसरा ५०० रुपया काश्तकार को हमें और देना चाहिये। यह न्याय नहीं है। जो एड्वान्स में रेंट के रूप में जमींदार ने काश्तकार से ५०० रुपया वसूल कर लिया है, उसका देनदार कौन होगा, काश्तकार या जमींदार इस पर सिद्धान्त की दृष्टि से देखें, तो जिस चीज को खत्म करने जा रहे हैं, उसके एवज में उसने इस प्रकार की रकम ले ली है तो जमींदार ही उस रकम का देनदार होगा न कि काश्तकार; वह तो एक बार जमींदार को दे चुका है। हमारी सरकार कहेगी कि जमींदार पर वह जिम्मेदारी आयद की जा सकती है पर उस रकम की वसूली के लिये काश्तकार सिविल कोर्ट में जाय और उससे वसूल करे। यह है हमारी राजस्थान सरकार की नीयत और काश्तकारों के प्रति उदारतापूर्ण नीति। यदि इस प्रकार की नीयत नहीं होती, जिस प्रकार जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था जागीर रिजम्प्शन एक्ट में नहीं है, १९५२ से १९५८ तक जागीर पुनर्ग्रहण कानून में यह नहीं आया, तो हमें यह महसूस करना पड़ेगा कि सरकार के सामने इस प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं आई, वरना मैं नहीं समझता कि सरकार के सामने इस प्रकार की डिफिकल्टी आये और सरकार इस ख्याल से नहीं रखे कि इससे जागीरदार हरेश होंगे, जागीरदार किसी भी प्रकार हरेश हों, इस प्रकार का प्रावधान लाने में हमारी राजस्थान सरकार चूकेगी नहीं। यदि इस प्रकार की बात हमारी सरकार के ध्यान में आ जाती तो सरकार इस प्रकार जरूर करती। तो मैं यह मान कर चलूंगा कि यह प्रावधान जागीर रिजम्प्शन एक्ट में नहीं लाया गया, तो सरकार के सामने इस प्रकार की डिफिकल्टी नहीं आई, सरकार के ध्यान में इस तरह की बात नहीं आई।

जमींदारी एबॉलिशन में हमने यह नहीं किया कि कम्पेन्सेशन क्लेम नहीं कर सके, जितना ट्रान्सफर हुआ है सरकार की इजाजत से हुआ है वह रद्द समझा जायगा, कम्पेन्सेशन पर इसका असर होगा कि नहीं, इसका असर उसकी आर्थिक स्थिति पर होगा कि नहीं, इसके साथ ही उसने जिस काश्तकार को जमीन बेची है, उस पर इसका असर होगा कि नहीं, इसकी बात नहीं पर इसका असर होना चाहिये इस समय......

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह जान लें कि नल एन्ड वोइड.... 'it is in sub-section (2) and it is not sub-section (1)' It does not apply to sub-section (1). Therefore, there is a

(श्री दामोदरलाल व्यास)

misunderstanding. सब सेक्शन दो में हैं, आप गलतफहमी में हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं गलतफहमी में नहीं हूं मैं क्लॉज दो का ही जिक्र कर रहा हूं, मैंने पहले ही इस बात को कहा है और मैंने पढ़ कर सुनाया था २ को । उसी पर बोल रहा हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, इसमें बेचने का कोई सवाल नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो समझने की बात है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : There are only two provisions authorising... ..

श्री भैरोंसिंह : मैंने पढ़ कर सुनाया था । इस सब-सेक्शन दो के क्लॉज़ बी. में : (b) relieving, whether in whole or in part, a tenant from liability for payment of rent for any land comprised in his holding, यह मैंने पढ़ कर इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया था कि यदि किसी जमींदार ने काश्तकार से लगान लेकर छूट दे दी है तो आज किस स्थिति में काश्तकार से आप वापिस लगान लेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ठीक है, आप फरमाइये । इसीलिये कानून बना है, अगर यह ऐसा है ।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो प्रावधान इस बिल में रखा गया है, वह ऐसा समझ कर चलना चाहिये जैसा कि अभी माननीय राजस्व मंत्रीजी के रुख से पता चलता है कि गवर्नमेन्ट डिटरमिन्ड है........

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि किसी किसान से अगले २० वर्ष का ब्याना ले लिया है तो मैं कभी रिकग्नाइज़ नहीं करूंगा....and I request this House that this body may please pass this law as it is...

क्योंकि यह एन्क्रोचमेंट है, २० साल का लगान ले लिया तो फिर जमींदारी एबोलिशन क्या कर रहे हैं He will claim compensation as well as he will have the benefit of these 20 years' rent.

यह बिल्कुल गलत है, गवर्नमेंट की यह मंशा है कि इस प्रकार के ट्रान्जेक्शन्स हुए हैं तो....'they should be null and void once for all.'

श्री भैरोंसिंह : एक बात बता दीजिये, जो पैसा जमींदार ने काश्तकार से ले लिया है, उसको वापिस दिलाने का क्या प्रावधान है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो कानून की बात है, दावा करके ले ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, सरकार की मंशा काश्तकारों को लिटिगेशन में ज्यादा से ज्यादा फंसाने की है । ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के केसेज़ जायं, इस प्रकार की व्यवस्था हम करने लग गये हैं । मैंने पहले भी निवेदन किया कि जमींदार ने उससे जो लगान के रूप में एडवान्स पैसा लिया है, उस पैसे को वसूल करने के लिये उस काश्तकार को अलग से कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसको हरेशमेंट होगा, मुकदमेबाजी होगी और जिस प्रकार का सस्ता न्याय आजकल मिलता है, वैसा सस्ता न्याय अगर उस काश्तकार को मिला तो, यह मान

(श्री भैरोंसिंह)

कर चलना चाहिये कि जो लगान उसने एडवान्स में दिया है वह लगान वकालत में और खर्चों में और अदालत की फीस के रूप में अदालत में जमा हो जायगा किसकी जेब में वह पैसा जायगा, यह नहीं कह सकता पर इतना कह सकता हूं कि आज की जिस प्रकार की न्यायपद्धति है उसके अनुसार काश्तकार कम से कम उस पैसे को अपनी जेब में तो हर्गिज नहीं रख सकेगा।

जैसा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी ने कहा, वे डिटरमिन्ड हैं, हम भी डिटरमिन्ड हैं....

४ म० प०

श्री : सभपति One point of clarification, if an agreement has been made prior to 1953 and he has realised rent for 20 years, will that be null and void ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That will also meet the same fate. It would be treated as a loan. The zamindar would be borrowing some money from his tenants. There are certain dates fixed for realisation of rent for Kharif and Rabi crops and no zamindar is expected to realises 20 years' rent in advance. If a zamindar realises 20 or 30. years' rent from a tenant and gives him exemption from payment of land revenue, then in this Bill it would not be recognised, and that part of the agreement will be null and void. Whether he has realised that 20 years' rent prior to 1953 is immaterial, because so far as excess rent is concerned, the tenant will be able to realise it.

श्री सभापति : My point is somewhat different. I am simply envisaging a position in which ..

श्री दामोदरलाल व्यास : I have understood your point, Sir. If he has paid the rent prior to 1953, then the Kashtkar can realise that excess amount which he has paid to the zamindar.

श्री सभापति: But not under this provision. This provision says 'on or after the first day of January, 1953'. The Hon'ble Member said the supposing a Zamidar realised 20 years rent from his tenant Prior to January, 1953, then that will be recognised ?

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as the question of making a tenant 'rent free' for 20 years is concerned, it will not be recognised, but if he has done earlier than January, 1953 and if he had rights to do it, then the Government will have to recognise it. Much will depend upon the local laws. Supposie in Ganga-Nagar he could do it and he had such rights, then the Government will have to recognise according to law as it was prior to January, 1953.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि...

श्री रामचन्द्र : सभापति महोदय, समाज कल्याण सप्ताह का आखरी दिन है और सभी माननीय सदस्यों को बुलावा है। आज आखरी दिन है और चार बज चुके हैं। आज अगर इसको ४ बजे समाप्त कर दिया जावे तो सब वहां पर जा सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो इसमें कोई एतराज नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप समाप्त करते हैं तो कर दें, वरना चलने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : आप कार्यवाही स्थगित करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप समाप्त कर दें। आप बोलें।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि अभी जब माननीय राजस्व मंत्री ने कहा, ऐसा समझना चाहिये कि उन्होंने जो बातें कही हैं वह पूर्णतया सही नहीं है। जिस समय वे लैंग्वेज पढ़ रहे थे any agreemnt or contract on or after 1st day of January, 1953 इतना सा पढ़ कर उन्होंने यह कह दिया कि इसमें कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन इसके आगे पढ़ने के बाद उनको स्वयं को पता चला कि on or after 1st day of January, 1953 है इससे यह स्पष्ट हो गया। सभापति महोदय, कि १९५३ से पहले अगर कोई एग्रीमेंट हुआ हो और वह २० वर्षों के पैसे काश्तकारों से पहले ले लिये और काश्तकारों को उन्होंने रेन्ट फ्री कर दिया, फिर वे कहेंगे कि वे कानून के माहिर हैं, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि फिर वही बात इस धारा के अन्तर्गत कवर नहीं होती है। सन् १९५३ से पहले जितने भी एग्रीमेंट हुए उसके आधार पर जितने पैसे ले लिये गये वे तो माननीय राजस्व मंत्री नहीं मानेंगे, वे इस धारा के अनुसार नल एन्ड वोइड नहीं होंगे। फिर भी यह बात आती है कि इस प्रकार की घटना अमूमन हुआ करती है और यह हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि इस प्रकार के यदि कोई एग्रीमेंट होते हैं तो उनको नल एन्ड वोइड करार देते जिससे काश्तकारों का हित होता। क्योंकि उसमें काश्तकार किसी प्रकार से दोषी नहीं हैं। हमारे कानून के अनुसार जमींदार दोषी हैं। मगर यहां हम दोषी को दंड देने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं मगर निर्दोष को दंड देने की व्यवस्था करते हैं उन लोगों की सुनवाई का मौका मिलेगा या नहीं इसके बाद क्लेम कर सकेंगे या नहीं, यह सब एक्ट के मातहत नहीं होगा बल्कि उनको अलग से दावा दायर करना होगा कि अमुक जमींदार ने २० वर्षों का रुपया पहले ले लिया है। मान लें कि २० वर्षों का उसने २,००० रुपया ले लिया। चार वर्ष तक फ्री रेन्ट रहा। १६ वर्ष बाकी रहे तो उस हिसाब से उसका १,५०० रुपया तो अभी बाकी रहा है। वह यह कहेगा कि मेरे एग्रीमेंट को सरकार ने इल्लिगल करार दे दिया है, इसलिए बाकी के रुपये १५००) वापिस दिये जावें। इसके बजाय अच्छा यह होता अगर हमारी सरकार इस पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था करती कि अगर किसी ने इस प्रकार का लगान लिया है तो उसको वापिस देना चाहिये। मगर यहां पर इस प्रकार के प्रावधान करने की बात तो बहुत दूर रही मगर इसके लिये हां भरना भी हमारी सरकार को भार लगता है। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करूंगा कि चाहे जमींदारी एबोलिशन के कारण या अन्य किन्हीं कारणों से किसी भी जमींदार ने इस प्रकार जमीनों का ट्रांसफर किया है, तो हमें एक पोइन्ट को लेकर चलना चाहिये कि जिन कारणों से सरकार ने कन्सोलिडेटेड फन्ड से रुपया गाइड करने की व्यवस्था की है और जागीरदारी एबोलिशन में उसी भावना से काम लिया है कि जिन जागीरदारों ने जागीर रिजम्पशन के डर से जमीन बेच

Page No.88

(श्री भैरोंसिंह)

रहे थे, सस्ती जमीन या कहीं पर पैसे ज्यादा ले लिये जाते या कुछ प्रोपर्टी को जागीर रिजम्पशन केडर से किसी को देकर ऐसी व्यवस्था की हो जिससे इन्कम को बढ़ाई जा सके और उस पर कम्पेन्सेशन लेने की चेष्टा की हो तो कमिश्नर उसको नहीं देता। जमीदारी एबोलिशन में यदि कम्पेन्सेशन का प्रावधान रखा जाता, तो मैं समझता हूं कि हमको जमीदारी और जागीरदारी दोनों को एक दृष्टि से देखा होता। लेकिन जमीदार काश्तकारी की केपेसिटी के हैं। जागीरदारों के साथ हमने रियायतें की हैं, लेकिन जमीदार जो काश्तकारों की श्रेणी में आ सकते हैं उनके साथ व्यवस्था लागू करने की बात कहते हैं उनकी ट्रांसफर शुरू हो गई उसको रिकोग्नाइज़ करके वैध मानने की बात करते हैं तो कहते हैं कि लाखों की संख्या में रुपया देना होगा और सरकार को नुकसान पहुंचेगा और सरकार इतने आर्थिक बोझ को बरदास्त नहीं कर सकेगी। मैं राजस्व मंत्री को विशेष रूप से कहता हूं कि जागीर में हमने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है इससे राजस्थान को ज्यादा नुकसान हो सकता है। इससे हमने कोई व्यवस्था नहीं की। मगर मैं यह कहूंगा कि यहां पर जमीदारों में १०० या १५० इस प्रकार के केसेज़ मिल सकते हैं, इसलिये, प्रवधान रखें। मगर सरकार यह कहेगी कि ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये और अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो अतिरिक्त भार होगा और जमीदारों ने बेजा मुनाफा उठाया है उसे काफी रुपया उनको देना होगा या सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये दोनों दलीलें मैं समझता हूं, जमीदारी के विषय में उपयुक्त नहीं हैं। अच्छा हो माननीय राजस्व मन्त्री महोदय उसी प्रकार का प्रावधान उसमें रखते।

इसके साथ साथ एक प्रावधान रखा है फोरेस्ट का। जिसमें व्यवस्था की है (a) 'relating to or granting a lease of any forest in his estate for a period exceeding five years......'

मैं समझता हूँ यह बहुत ही कन्ट्रोवर्सियल क्लॉज़ है। जमीदार के जंगलात हैं, जंगलात जमीदार के हैं, जागीरदार के जंगलात थे, जंगलात में सरकार का भी अधिकार था और जागीरदार का भी अधिकार था। जागीरदारी एबोलिशन में भी ऐसा प्रावधान रखा है और जमीदारी एबोलिशन में भी ऐसा प्रावधान रख रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की बातें पिछली विधान सभा में हुई थीं उन बातों से शिक्षा हमें लेनी चाहिये। कूकस का एक मशहूर मामला था, वह भी इसी प्रकार का एक मामला था। वह भी इसी प्रकार का मामला था कूकस के एक जागीरदार को हक था, जंगलात उसने बेचा, सरकार के हित को ध्यान में नहीं रखा गया और उस समय के एक माननीय मंत्री महोदय ने आज्ञा दी। उसकी जांच भी हुई थी। परिणाम तो निकला नहीं, सही तथ्यों को छिपाया जाता है। मामला खत्म हुआ, कागजों में खत्म हुआ है या नहीं मैं नहीं कह सकता........

श्री दामोदरलाल व्यास : I will request the Hon. Member through you Sir, that he should confine to the Bill. कूकस का यहां कोई प्रश्न नहीं है। पांच साल से ज्यादा लीज़ दिया। कूकस में क्या है? मंत्री महोदय ने परमीशन दी, It is absolutely irrelevant to the Bill. I will request the Hon. Member should be asked to confine himself to the Bill and its provisions.

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज कर रहा था....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय का ध्यान रख कर इसको समाप्त कर दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : He has already taken more than 45 minutes and still he wants to discuss Kookas and all these things.

श्री पी० के० चौधरी : कूकस क्या है ? The House may adjourn and we will hear about Kookas......

श्री दामोदरलाल व्यास : It will take time. It is already 4.15 So the House my be adjourned for to morrow.

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह अर्ज कर रहा था। सबसे पहले तो माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने जो आपत्ति उठाई है उसका जवाब देना है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कोई आपत्ति नहीं उठाई है। मैंने तो सभापति महोदय से निवेदन किया कि उनको जरा रिलेवेन्सी में रखें।

श्री सभापति : कूकस के वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है। जरा समय का ख्याल रखें।

श्री पी० के० चौधरी : समाज कल्याण सप्ताह में जाना है।

श्री रामचन्द्र : वे तो समाप्त करेंगे नहीं और फंक्शन ही समाप्त हो जायगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य प्रारम्भ रखें और जल्दी समाप्त कर दें।

श्री भैरोंसिंह : कोशिश तो यही कर रहा हूँ।

सभापति महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने यह आपत्ति उठाई कि मैं बिल के बाहर बोल रहा हूं। उनके आपत्ति उठाने से पहले ही मैंने सब क्लॉज़ की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था, जिसमें लिखा है 'relating to or granting a lease of any forest in his estate for a period exceeding five years......' और मैंने जो कूकस का जिक्र किया वह इस कारण से किया कि हमने इस प्रकार का प्रावधान जागीर रिजम्पशन एक्ट में रखा था और उसके जो जो परिणाम निकले थे वे हमने देखें हैं और उस परिणाम में कूकस का मामला मशहूर था और भी जंगलात के विषय के मामले हैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। राजस्थान में कूकस और पानरवा इन दोनों जंगलों के मामले मशहूर मामले हैं और भी मामले जंगलों के मशहूर हो जाते तो मैं उनका भी जिक्र कर देता इसलिए इनका जिक्र किया है। मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति में जंगलात के सम्बन्ध में यदि हमने इस प्रकार के अधिकार इस कानून के द्वारा सरकार को दिये तो जितने भी जंगलात हैं उन जंगलातों के सम्बन्ध में जमींदार के बीच में या जिनको कॉन्ट्रेक्टस दिये गये हैं उनके बीच में या कॉन्ट्रेक्टस के आधार पर फॉरेस्टस में वर्क करते हैं उनके बीच में एक प्रकार की ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी जो किसी प्रकार से किसी के लिए लाभदायक नहीं है। किसी जमींदार ने सन् १९५३ में ठेका किसी जंगल का ठेकेदार को दस वर्ष के लिए दे दिया। ठेका देने के बाद में इस बीच के अन्दर जमींदारी इस कानून द्वारा समाप्त हो गई। समाप्त हुई उस वक्त केवल पांच वर्ष का ही अर्सा निकला। जमींदार ने पूरा पैसा फॉरेस्ट के कॉन्ट्रेक्टर से ले लिया, कॉन्ट्रेक्टर ने पेमेंट कर दिया। जमींदार को

Page No.90

(श्री भैरोंसिंह)

भुगतान कर दिया फोरेस्ट की संख्या जमींदार से कम होगी जागीरदारों के बनिस्पत, लेकिन उस फोरेस्ट में यदि जमींदार की कोई सम्पत्ति होगी, यदि जमींदार की कोई लकड़ी पड़ी हुई है तथा उसने कोयला बना रखा है फोरेस्ट में कुछ वर्क करके प्रोड्यूस बना ली है और उस प्रोड्यूस का इन्वेस्टमेन्ट के द्वारा कीमत बनाकर डिस्पोज़ ऑफ करने की स्थिति में ला रखा है तो उसका क्या होगा ? लेकिन आपने यह कर दिया कि इस प्रकार के जितने कॉन्ट्रेक्ट्स होंगे उनको नल और वोइड करार दिया जावेगा, तो तात्पर्य यह हुआ कि कितनी भी उस जंगल में सम्पत्ति हो, कितना ही वह जंगल काटा हुआ हो, कोयला बनाया हुआ हो, उसमें कितना ही प्रोड्यूस रख छोड़ा हो, वह कॉन्ट्रेक्ट नल और वोइड करार दिया गया है वह सारी की सारी सम्पत्ति, सारी की सारी फोरेस्ट प्रोड्यूस सरकार की होगी और जब सरकार की होगी, माननीय सभापति महोदय, तो उसके कारण से एक स्थिति और पैदा होगी। वह एक व्यक्ति की प्रोपर्टी है, फोरेस्ट की नहीं है, फोरेस्ट प्रोड्यूस है जिसको कानून से प्राप्त किया है उसको बिना कम्पन्सेशन के जो उसकी प्रोपर्टी है उसके लिए यह व्यवस्था करें इस कानून के द्वारा कि वह तो गलत थी, जायज तरीके से प्राप्त उसको नहीं किया था और कानून के विपरीत भावना से प्राप्त की तो मैं इस प्रकार की बातों को जायज नहीं समझता। कानून के माहिर इसमें क्या समझें ? यह वे ही जान सकते हैं जिनकी इस प्रकार की भावना है कि दूसरों की सम्पत्ति को इस प्रकार पांच वर्ष बाद कानून लाकर जब्त कर लें। इसके द्वारा उन सारी बातों को या कॉन्ट्रेक्ट को नल और वॉइड करके उस सारी सम्पत्ति पर अधिकार करने की चेष्टा की तो ऐसे कानून को चुनौती दी जायगी। माननीय राजस्व मंत्री यह कहें कि ऐसी सम्पत्ति पर अधिकार नहीं करेंगे; लेकिन मैं उनको बताऊं कि सवाई माधोपुर के जंगल में हुआ है, ईसरदा के जंगल में हुआ है। यदि मैं और उदाहरण दूंगा तो माननीय राजस्व मंत्री कहेंगे कि कूकस के और पानरवा के जो मशहूर जंगल के मामले हैं, ईसरदा के जंगल का मामला है, वह स्कोप के बाहर के हैं।

जमींदारों के जंगल बहुत कम हैं, इतने नहीं हैं जो कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर लोगों को दिये हुए हों। हमने एक प्रावधान यह भी रखा था कि जब जमींदारी एक्विजिशन नोटिफिकेशन इश्यू हुआ उसके बाद में कोई जमींदार जंगलात काटें कर काश्त के लिए भूमि नहीं बना सकता। तात्पर्य यह है कि जितने जंगल जिस स्थिति में हैं सरकार के कब्जे में आ जावें। वह स्थिति क्या होगी ? पेड़ खड़े हैं, जंगल है, पेड़ काटने के बाद वह उसकी प्रोपर्टी है। उसको बिना कुछ दिये ही पांच वर्ष के बाद कानून बना कर उसको अवैध करार देकर उसको लेना चाहेंगे तो फिर सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जंगल से कटा हुआ माल जहां कहीं गया है उसको बरामद किया जाय, किसी के मकान में पड़ा है तो उसको लिया जाय, कोयला बनाकर कहीं गया है तो उसको बरामद किया जाय, शहतीर पड़ा है तो उसको लाया जाय, पलंग बनाये हैं तो उनको मकानों से खींचा जाय, स्टॉल बनाये हैं तो उनको भी अधिकार में लिया जाय। मैं समझता हूँ, माननीय राजस्व मंत्री महोदय बेचैन हो रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे बेचैनी नहीं हो रही है, लेकिन आपकी रिलेवेन्सी पर बेचैनी हो रही है कि किस तरह की बातें आप

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इस सम्बन्ध में कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : इस तरह से तो यह भाषण समाप्त नहीं होने वाला है और जब तक फंक्शन ही समाप्त हो जायगा।

श्री सभापति : पांच सात मिनट में ही आप अपना भाषण समाप्त कर दें।

श्री भैरोंसिंह ! यह बेचैनी आपको हो रही है तो जहां पर इसका असर होने वाला है वहां भी हो रही है।

श्री रामचंद्र : फिर तो, सभापति महोदय, इसको पांच बजे ही समाप्त कीजिये, क्यों सदन का समय बेकार जाय क्योंकि ४.३० बजे तो फंक्शन ही समाप्त हो जायगा।

श्री सभापति : यहां तो थोड़े ही माननीय सदस्य हैं और काफी वहां गये हुए हैं। इसलिए इसको चलने दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में...

श्री सोहनलाल भटनागर : सभापति महोदय, यदि माननीय सदस्य और ज्यादा समय लें और समाप्त नहीं कर रहे हैं, तो हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : अभी तो, माननीय, सभापति महोदय, ऐसी बातें भी हैं जो कॉन्स्टिट्युशनल हैं और जिन पर मुझे प्रकाश डालना है और ऐसी बातें भी हैं जो राइट्स पर कुठाराघात करती हैं उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना है, इसलिए मुझे इस पर बोलना है और समय लगेगा....

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक ८, दिसम्बर ५८ के ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल ४.२२ बजे, दिनांक ८ दिसम्बर, ५८ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

———

Page No.92

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	५३७५	अध्यापकों की सिनीयोरिटी लिस्ट ।	
चम्बल नदी पर कॉफर डैम का निर्माण ।		राजस्थान में रूटों का राष्ट्रीयकरण ।	
महाराजा धौलपुर की ओर बकाया रकम ।		ग्राम लूणवा, तहसील नांवा से एक १३ वर्षीय बालिका का अपहरण ।	
पुलेता नदी के पुल का ठेका ।			
गर्ल्स स्कूल, टोंक की छात्राओं का घायल हो जाना ।		दौसा उप जिला में हाई स्कूल्स की संख्या ।	
एस. पी. श्री गुमानसिंह का बम्बई के फ्री प्रेस जनरल पत्र में वक्तव्य ।		सीकरी अस्पताल का भवन ।	
		उद्योगपति के विरुद्ध बलात्कार का केस ।	
कस्तूरचन्द गेन्ना, मोहर्रिर का तबादला ।			
मंत्रियों द्वारा बीकानेर का दौरा ।		शारदा प्रेस व जैन प्रिंटिंग प्रेस, भीलवाड़ा को लोन ।	
राजस्थान में लघु-सिंचाई योजना का लक्ष्य ।		सत्र न्यायालयों, मुन्सिफ एवं मजिस्ट्रेटों के यहां विचाराधीन मुकद्दमे ।	
पलाना खान ।			
लालसोट में चरागाह का अभाव ।		अफसरों के तबादले ।	
मुल्तानी मिट्टी—बाडमेर ।		कामां-पहाड़ी सड़क पर पुल की आवश्यकता ।	
बिजली के मीटरों की जांच ।			
		तहसील पदमपुर के मुकदमात ।	
सरकारी अधिकारियों को कोयलों का परमिट ।		खनिज विभाग की ओर से सर्वे ।	
राजस्थान के पशु चिकित्सालय व उनके डॉक्टरों की संख्या ।		ओबरा (गोगून्दा) मरडर केस को पुलिस बरामद करने में असमर्थ ।	

Page No.93

स्कम्भ

महारानी गर्ल्स हाई स्कूल, अलवर की बेकार बसें।

चौमू से सामोद वाली सड़क का ठेका।

अलवर जिले में लड़कियों के लिए बोर्डिंग हाउस खोलने की स्कीम।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

निम्नांकित सदस्यों को सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई :

(१) मेजर फतहसिंह—दिनांक १-१२-५८ से १५-१२-५८

(२) श्री हीराभाई — दिनांक १-१२-५८ से १५-१२-५८

राज्य की खाद्यान्न स्थिति सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव ५४१८

श्री भैरोंसिंह (१४) के उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

शासकीय संकल्प

विधान मंडल के सदन, संसद एवं सदस्यों के अवमान तथा विशेषाधिकार की अवहेलना सम्बन्धी संकल्प ५४२०

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित संकल्प सदन द्वारा स्वीकार किया गया :—

स्कम्भ

"यह सदन संकल्प करता है कि यदि भारत के किसी अन्य विधान मण्डल के सदन अथवा भारतीय संसद् के किसी सदन का सदस्य, अधिकारी या सेवक इस सदन के अवमान अथवा विशेषाधिकार की कथित अवहेलना के मामले में अन्तर्ग्रस्त हो तो अध्यक्ष उस विषय को उस सदन के अधिष्ठाता अधिकारी को निर्दिष्ट कर देंगे। परन्तु यदि प्रश्न उठाने वाले सदस्य को सुनने के उपरान्त अथवा जहां शिकायत किसी लेख पर आधारित हो, वहां उस लेख का अवलोकन करने के उपरान्त अध्यक्ष को यह समाधान हो जाय कि विशेषाधिकार की कोई अवहेलना नहीं हुई है अथवा मामला इतना तुच्छ है कि उस पर ध्यान देना उचित नहीं है, तो वह विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकते हैं।

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि यदि भारत के किसी अन्य विधान मण्डल के सदन अथवा भारतीय संसद् के किसी सदन के अवमान अथवा विशेषाधिकार की कथित अवहेलना का मामला जिसमें इस सदन का कोई सदस्य, अधिकारी या सेवक अन्तर्ग्रस्त हो, इस सदन को अवमानित

सदन के अधिष्ठाता अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, तो इस सदन के अध्यक्ष उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेंगे जैसी कि इस सदन की अवहेलना के सम्बन्ध में की जाती और प्राप्त हुए मामले में की गई जांच तथा कार्यवाही की रिपोर्ट संबन्धित अधिष्ठाता अधिकारी को, जिसने मामला निर्दिष्ट किया हो, भेज देंगे।"

विधायी कार्य

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १६५८

(अग्रेतर खण्डशः विचार)

खण्ड ५—वाद-विवाद के पश्चात् इस खण्ड को स्थगित रखा गया।

खण्ड ६—इस खण्ड पर सर्वश्री डॉ० बहादुरसिंह, बृजमोहनलाल शर्मा, श्रीमानसिंह, मूलचन्द डागा तथा भीमसेन ने अपने-अपने संशोधन प्रस्तुत किये। इस पर की गई बहस में ६ सदस्यों ने भाग लिया।

७ नवम्बर, १६५८ को उठाए गये औचित्य प्रश्न पर निर्णय

अजमेर एक्ट के अन्तर्गत बिस्वेदार की परिभाषा संबन्धी श्री बृजमोहनलाल शर्मा द्वारा ७ नवम्बर, १६५८ को उठाए गए औचित्य प्रश्न पर उपाध्यक्ष महोदय, ने आज निर्णय दिया।

५४२५

सोमवार, दिनांक ८ दिसम्बर, १६५८ की कार्यक्रम सूची

राजस्थान जमीदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन विधेयक, १६५८ (अग्रेतर विचार-विमर्श)।

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार दिनांक ५ दिसम्बर, १९५८)

कालम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५३७९	८	रावराजा श्री सरदार्सिह	रावराजा श्री सरदारसिंह
५३८४	१	नि रीत्तक	निरीत्तक
५३९२	११	मान्य	माननीय
५३९३	११	No possible	Not possible
५३९६	अन्तिम पंक्ति	कपडा गया	पकड़ा गया
,,	अन्तिम से २	कोटडा सकिल	कोटड़ा सर्किल
५३९७	अन्तिस से ८	मौके पर	मौके पर
५४०३	१०	मख्य मन्त्री	मुख्य मन्त्री
५४०५	१५	पिट खदा जाय	पिट खोदा जाय
,,	१४	पिट तैयर	पिट तैयार
५४१४	१८	wi h	with
५४१५	अन्तिम पंक्ति	मालम	मालूम
५४१६	६	भगने वाल	भगाने वाला
,,	१८	कुम्हरों	कुम्हारों
,,	२३	१३९	१०३९
५४२०	१	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
,,	७	अतके सामने	आपके सामने
,,	अन्तिम से ५	Someother Hous	Some other house
५४२१	१७	श्री पी. के चौधरी	श्री पी. के. चौधरी
५४२४	अन्तिम से १०	priuilege C mmittee	privilege committee

१	२	३	४
५४२४	अन्तिम से ३	It is L. K sabha	it is Lok Sabha
५४४६	११	a l tanks,	all tanks
५४४७	१८	गान के मोगों का	गांवों के लोगों का
५४५६	८	इस तरह के प्रोविजन्स है	इस तरह के प्रोविजन्स हैं
५४५५	अन्तिम से ११	इर्रिगेशन टैक्स	इर्रिगेशन टैक्स
५४५६	अन्तिम से २	n t have b swedari	not have biswedari
५४६६	३	pes S i	yes Sir.
,,	१४	member. S r	member Sir
५४७०	६	हनारी देवी	हमारी देरी
५४७४	अन्तिम से १०	1 53	1953
५४७६	२३	उपाध्यक्ष पदसीन	उपाध्यक्ष पदासीन
५४८६	६	महेदय	महोदय
५४६५	६	ha ıe	have
५५०३	८	date of t le	date of the
५५०४	२	on ab ut	on about
५५०७	१८	on the issyes	on the issues
५५०८	२६	jagir ! and	jagir land
,,	अन्तिम	'(atishfied	satisfied
५५१०	३	समें	उसमें
,,	२१	प्रॉवजन	प्रोविजन
५५१८	२०	the a oli tion	the abolition

१	२	३	४
५५१३	१७	the abense	the absence
"	५	रिपोर्ट आई	रिपोर्ट आई
५५१७	३	अपील करे	अपील करेगा
५५२१	१४	लेकन	लेकिन
"	अन्तिम से ३	ज ीन	जमीन
५५२६	२७	परेशन	पोरशन
५५२७	४	7th novemker	7th November
५५३२	२४	लिये चाराजी	लिये चाराजोई
५५३३	१५	वहना	कहना
५५४५	१४	समपति	सभापति
५५४६	२५	Supposie	Suppose
५५४८	२६	प्रवधान	प्रावधान
	(स्कम्भ ५३७५)		
५५५७	८	घायल ह जाना	घायल हो जाना
५५५६	१२	मेजर फनेहसिंह	मेजर फतेहसिंह
५५६२	१६	:६५८	१६५८